सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

एमपीलैड फंड योजना के तहत निधि आवंटन और उपयोग की समीक्षा

प्राक्कलन समिति
(2021-22)

चौदहवाँ प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चौदहवाँ प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

एमपीलैड फंड योजना के तहत निधि आवंटन और उपयोग की समीक्षा

(4.4 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

..... 2022/ ..... 1944(शक)

विषय सूची

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति (2020-21) की संरचना		(ii)
प्राक्कलन समिति (2021-22) की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		(v)

भाग एक

अध्याय एक	प्रस्तावना	1
अध्याय दो	परियोजना आवंटन, रिलीज और उपयोग (2014-21)	7
अध्याय तीन	योजना का कार्यान्वयन	21
अध्याय चार	निगरानी तंत्र	49

भाग दो

टिप्पणियाँ और सिफ़ारिशें 56

अनुलग्नक

I.	17वीं लोकसभा के उन सांसदों की सूची जिनकी एमपीलैड्स के तहत 2019-20 की किस्तें 30.06.2021 तक जारी नहीं की गई हैं	70
II.	एमपीलैड्स योजना के निलंबन के बाद एमपीलैड्स निधि जारी करने का अनुरोध करने वाले माननीय सांसदों की सूची	75
III.	2016 से एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में प्रभावी संशोधनों का विवरण	79
IV.	परिपत्र संख्या E-4/2020-MPLADS(Pt) दिनांक 24 मार्च, 2020	81
V.	पूर्व सदस्यों के खातों के निपटान / बंद करने और वर्तमान सदस्यों (एलएस/आरएस) के बीच अव्ययित धनराशि का अंतरण/वितरण पर परिपत्र	83

अनुबंध

I.	दिनांक 19.11.2020 को आयोजित समिति की बैठक का कार्यवृत्त	95
II.	दिनांक 05.01.2021 को आयोजित समिति की बैठक का कार्यवृत्त	97
III.	दिनांक 31.03.2022 को आयोजित समिति की बैठक का कार्यवृत्त	102

प्राक्कलन समिति का संरचना (2020-21)

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट - सभापति

सदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री प्रदान बरूआ
5. श्री सुदर्शन भगत
6. श्री अजय भट्ट
7. श्री पी.पी. चौधरी
8. श्री नंद कुमार सिंह चौहान
9. श्री निहाल चंद चौहान
10. श्री पी.सी. गद्दीगौद
11. डॉ संजय जायसवाल
12. श्री धर्मेंद्र कुमार कश्यप
13. श्री मोहनभाई कुंडारिया
14. श्री दयानिधि मारन
15. श्री पिनाकी मिश्रा
16. श्री के मुरलीधरन
17. श्री एस.एस पलानीमणिक्कम
18. श्री कमलेश पासवान
19. डॉ के.सी. पटेल
20. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़
21. श्री विनायक भाऊराव राऊत
22. श्री अशोक कुमार रावत
23. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी
24. श्री राजीव प्रताप रूडी
25. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा
26. श्री जुगल किशोर शर्मा
27. श्री प्रताप सिम्हा
28. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
29. श्री केसिनेनी श्रीनिवास
30. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा

प्राक्कलन समिति का गठन (2021-2022)

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट - सभापति

सदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री पी.पी. चौधरी
6. श्री निहाल चंद चौहान
7. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
8. श्री हरीश द्विवेदी
9. श्री पी.सी. गद्दीगौदर
10. डॉ संजय जायसवाल
11. श्री धर्मेंद्र कुमार कश्यप
12. श्री मोहनभाई कुंडारिया
13. श्री दयानिधि मारन
14. श्री पिनाकी मिश्रा
15. श्री के मुरलीधरन
16. श्री जुएल ओराम
17. श्री एस.एस पलानीमणिक्कम
18. श्री कमलेश पासवान
19. डॉ के.सी. पटेल
20. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़
21. श्री विनायक भाऊराव राऊत
22. श्री अशोक कुमार रावत
23. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
24. श्री राजीव प्रताप रूडी
25. श्री दिलीप शइकीया
26. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा
27. श्री जुगल किशोर शर्मा
28. श्री प्रताप सिम्हा
29. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
30. श्री केसिनेनी श्रीनिवास

•• बुलेटिन भाग-2 नंबर 2897 दिनांक 29.07.2021 के माध्यम से प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित।

सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री मुरलीधरन. पी	-	निदेशक
3.	डॉ. शीतल कपूर	-	समिति अधिकारी

मैं, प्राक्कलन समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) निधि योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन और उपयोग की समीक्षा' विषय पर यह चौदहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) भारत सरकार की एक पूर्ण वित्त पोषित योजना है जहां निधियां सीधे जिला प्राधिकारियों को सहायता अनुदान के रूप में जारी की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत, संसद सदस्य समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करते हैं। यह योजना दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती है, जिन्हें समय-समय पर व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में समग्र सुधार का श्रेय विभिन्न हितधारियों के सहयोग से प्राप्त तालमेल और समय के साथ प्राप्त प्रचालनात्मक अनुभव, सामुदायिक भागीदारी और निगरानी को दिया जाता है।

3. प्राक्कलन समिति (2020-21) ने गहन जांच और सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) निधि योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन और उपयोग की समीक्षा' विषय का चयन किया। प्राक्कलन समिति (2021-22) ने विषय की जांच जारी रखी।

4. इस प्रतिवेदन में समिति ने निधि संबंधी दस्तावेजों को विलंब से प्रस्तुत करने और इसके परिणामस्वरूप निधि जारी करने में विलंब, परित्यक्त परियोजनाओं को पूरा करने, एमपीलैड स्कीम का निलंबन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेंटेज प्रभार, अनियमित तृतीय पक्ष वास्तविक मूल्यांकन, प्रशासनिक व्ययों की लेखापरीक्षा की आवश्यकता, सुविधा केन्द्रों के अनुरक्षण आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर ध्यान दिया है। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, एमपीलैड योजना कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए गैर-परिचालित रही, हालांकि बाद में इसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष भाग के लिए

बहाल कर दिया गया था। समिति ने इन मुद्दों/बिन्दुओं का विस्तार से विश्लेषण किया है और प्रतिवेदन में टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं।

5. समिति ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लेने के लिए 19.11.2020 और 05.01.2021 को दो बैठकें आयोजित कीं। समिति ने इस विषय पर प्रारूप प्रतिवेदन पर 31.03.2022 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया और उसे स्वीकार कर लिया।

6. समिति सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का हार्दिक धन्यवाद करती है, जिन्होंने उनके सामने उपस्थित होकर इस विषय पर अपने विचार रखे और विषय की जांच के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की।

7. संदर्भ और सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-II में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
21 मार्च, 2022
10 चैत्र, 1944 (शक)

गिरीश भालचंद्र बापट
सभापति
प्राक्कलन समिति

भाग - 1

अध्याय एक

प्रस्तावना

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) भारत सरकार द्वारा 23 दिसंबर, 1993 को विकास कार्यों और टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए शुरू की गई एक योजना है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है जिसके तहत राशि अनुदान सहायता के रूप में सीधे जिला प्राधिकारियों को जारी की जाती है। इस योजना का उद्देश्य संसद सदस्यों (सांसदों) को स्थानीय स्तर पर महसूस की गई जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर देने के साथ उनके निर्वाचन क्षेत्रों/पात्र क्षेत्रों में किए जाने वाले विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है। योजना के प्रारंभ से ही पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़क आदि के सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थायी सम्पत्तियां सृजित की जा रही हैं। एक तरह से, इस योजना की स्थापना जहां परिसंपत्तियों की आवश्यकता है और जो समुदाय की आकांक्षाएं व विकास संबंधी आवश्यकताएं भी हो सकती हैं उनकी पहचान करने में नागरिकों की सहभागिता पर की गई है। ऐसी आवश्यकताएं जन प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं और योजना का आधार बनती हैं।

इस योजना का कार्यान्वयन एमपीलैड्स के दिशानिर्देशों के अनुसार होता है जो पहली बार फरवरी 1994 में जारी किए गए थे और समय-समय पर अद्यतन किए गए हैं। जारी दिशा-निर्देशों में योजना की अवधारणा, कार्यान्वयन और निगरानी को शामिल किया गया है। जून 2016 में जारी एमपीलैड्स के नवीनतम दिशानिर्देशों में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण, सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि के कार्यान्वयन के निर्देश शामिल हैं। अगस्त, 2017 में एक संशोधन के द्वारा एक एक शर्त को और शामिल किया गया कि जिला प्राधिकारी द्वारा गत वित्तीय वर्ष की पहली किस्त के कम से कम 80% का अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त जारी करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है।

1.2 इसकी स्थापना के बाद से, एमपीलैड की योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण में थी लेकिन अक्तूबर 1994 से इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। एमओएसपीआई , नोडल मंत्रालय के रूप में, नीति निर्माण, धनराशि जारी करने और

योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में एक विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है, जिस पर जिलों और अन्य संबंधित विभागों के साथ एमपीलैड्स कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, निगरानी और समन्वय की समग्र जिम्मेदारी है। निधियां जिला प्राधिकारियों को जारी की जाती हैं, जो योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

1.3 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 इस योजना की मुख्य विशेषताओं की रूपरेखा इस प्रकार है: -

i. एमपीलैड्स केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है जिसके तहत धनराशि अनुदान सहायता के रूप में सीधे जिला प्राधिकारियों को जारी की जाती है।

ii. स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर और हमेशा बड़े पैमाने पर जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध विकास कार्य इस योजना के तहत आते हैं। राष्ट्रीय महत्व से संबंधित कार्यों जैसे पेयजल, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, सड़क आदि का प्रावधान को प्राथमिकता दी जाती है।

iii. इस योजना के तहत जारी की गई निधियां व्यपगत नहीं होती हैं, अर्थात किसी वर्ष विशेष में जारी नहीं की गई निधियों को पात्रता के अधीन, बाद के वर्षों में आगे बढ़ा दिया जाता है।

iv. संसद सदस्यों की भूमिका केवल कार्यों की सिफारिश तक सीमित होती है। तत्पश्चात, संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों को निर्धारित समय अवधि के भीतर कार्य के स्वीकृत, निष्पादित और पूरा करना जिला प्राधिकारी की जिम्मेदारी है।

v. जिला प्राधिकारी को कार्यों की पात्रता की जांच करने, धनराशि स्वीकृत करने और कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन करने, समग्र कार्यान्वयन की संवीक्षा करने और जमीनी स्तर पर योजना की निगरानी करने का अधिकार है। जिला प्राधिकरण इन कार्यों को संबद्ध विभागों, स्थानीय कार्यान्वयन एजेंसियों या अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से निष्पादित करवाते हैं।

vi. निर्वाचित लोक सभा सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।

vii. राज्य सभा के सदस्य उस राज्य के किसी भी क्षेत्र में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं जहां से वे चुने जाते हैं। लोक सभा और राज्य सभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्यों के कार्यान्वयन के लिए सिफारिश कर सकते हैं।

viii. सरकार के लिए निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए कोई लागत सीमा नहीं है। हालांकि, ट्रस्ट/सोसाइटी हेतु किए गए कार्यों के लिए, प्रत्येक ट्रस्ट/सोसाइटी के कार्यकाल के लिए ₹50 लाख की

सीमा है। सांसद वित्तीय वर्ष में एमपीलैड्स निधि से न्यासों/सोसाइटियों के कार्यों के लिए कुल मिलाकर 100 लाख रुपये मात्र तक की राशि की सिफारिश कर सकता है।

ix. बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, भूस्खलन, बवंडर, भूकंप, सूखा, सूनामी, आग और जैविक, रासायनिक, रेडियोलॉजिकल खतरों आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में एमपीलैड्स कार्यों को लागू किया जा सकता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अप्रभावित क्षेत्रों के सांसद भी उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र (क्षेत्रों) में अधिकतम 25 लाख रुपये प्रति वर्ष तक के अनुमेय कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं ।

x. देश के किसी भी हिस्से में "गंभीर प्रकृति की आपदा" (जैसा कि भारत सरकार द्वारा तय और घोषित किए गए अनुसार) की स्थिति में, सांसद प्रभावित जिले के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता है। इस संबंध में धनराशि संबंधित सांसद के नोडल जिला प्राधिकरण द्वारा प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी को अनुमत कार्यों को निष्पादित करने के लिए जारी की जाती है।

xi. अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) बाहुल्य क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए, एमपीलैड्स फंड का 15% एससी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए और 7.5 फीसदी फंड एसटी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाना है। आदिवासी आबादी के लिए भी निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

क. यदि लोक सभा में संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त जनजातीय आबादी नहीं है, उन्हें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के लिए निर्धारित अपनी वार्षिक पात्रता के 7.5% तक धनराशि सिफारिश करने की अनुमति है , उन क्षेत्रों में जहां ऐसी आबादी उनके निर्वाचन क्षेत्रों में न हो लेकिन उनके निर्वाचन राज्य में हो। सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण की सिफारिश केवल 50% से अधिक जनजातीय आबादी वाले अधिसूचित सामुदायिक विकास (सीडी) ब्लॉकों में और मुख्य रूप से जनजातीय लोगों के लाभ के लिए की जा सकती है।

ख. जनजातीय लोगों की बेहतरी हेतु काम करने के लिए ट्रस्टों/सोसाइटियों को प्रोत्साहित करने और जनजातीय क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, पैरा 3.21 में ट्रस्टों/सोसाइटियों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता भवन संपत्ति की सिफारिश करने के लिए निर्धारित ₹50 लाख की निर्धारित सीमा में 50% की वृद्धि की गई है, अर्थात सीमा निम्नलिखित शर्तों के तहत 50 लाख रुपये के बजाय 75 लाख रुपये है।

- 50% से अधिक जनजातीय आबादी वाले विशेष रूप से अधिसूचित आदिवासी सीडी ब्लॉकों में मुख्य रूप से आदिवासी लोगों के लाभ के लिए सामुदायिक उपयोगिता निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए ₹ 25 लाख की अतिरिक्त निधि की अनुमति दी जाएगी।
- किए गए कार्य और लाभार्थी ट्रस्ट/सोसाइटी को एमपीलैड्स दिशानिर्देशों की अन्यथाअन्य सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए।

xi. यदि किसी निर्वाचित संसद सदस्य को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बाहर या राज्य के भीतर या दोनों क्षेत्रों के बाहर किसी स्थान पर एमपीलैड्स फंड के योगदान करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो सांसद वित्तीय वर्ष में इन दिशानिर्देशों के तहत अधिकतम 25 लाख रुपये तक के पात्र कार्यों की सिफारिश कर सकता है। सांसद की ओर से इस तरह का कार्य जमीनी स्तर पर लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता, सद्भाव और बंधुत्व को बढ़ावा देगा।

xii. सभी अनुशंसित पात्र कार्यों को सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, सिफारिश प्राप्त होने की तारीख से 75 दिनों के भीतर स्वीकृत किया जाना चाहिए। हालाँकि, जिला प्राधिकारी, सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर, कारणों सहित, सांसदों को अस्वीकृति, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेगा।

xiii. सांसद के कार्यकाल के अंतिम दिन तक जिला प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त सभी सिफारिशों को निष्पादित किया जाना है, बशर्ते ये पात्र हैं और सांसद के एमपीलैड्स फंड के हकदार हैं।

xiv. जिला प्राधिकरण कार्यान्वयनकारी एजेंसी की पहचान करेगा जिसके माध्यम से सांसद द्वारा अनुशंसित विशेष कार्य निष्पादित किया जाना है।

xv. कार्यान्वयनकारी एजेंसी के लिए कार्यों को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और यह सामान्य रूप से एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

xvi. एक बार सांसदों द्वारा अनुशंसित और जिला प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत कार्यों को रद्द किया जा सकता है, यदि सांसद द्वारा ऐसा वांछित है, तो केवल तभी कार्य का निष्पादन शुरू नहीं हुआ है और रद्द करने से सरकार को कोई संविदात्मक और वित्तीय दायित्व / लागत नहीं आती है।

xvii. एमपीलैड योजना को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है बशर्ते ऐसे कार्य एमपीलैड के तहत पात्र हों। एमपीलैड्स कार्यों के लिए स्थानीय निकायों से धन भी एकत्र किया जा सकता है। एमपीलैड्स फंड की सिफारिश सांसदों द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्रों में लागू की जा रही केंद्र प्रायोजित योजना में राज्य सरकार के हिस्से के लिए भी की जा सकती है, बशर्ते कि एमपीलैड्स के तहत केंद्र प्रायोजित योजना के तहत काम करने की अनुमति हो। हालांकि, एमपीलैड्स फंड का

इस्तेमाल किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के कार्यक्रम /योजना में सार्वजनिक और सामुदायिक योगदान को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता है , जिसमें इस तरह के योगदान का एक घटक शामिल है। उदाहरण के लिए, एमपीलैड्स फंड को अधिक टिकाऊ संपत्ति बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय की मनरेगा योजना के साथ भी जोड़ा जा सकता है । सांसद एमपीलैड्स के तहत जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित मनरेगा परियोजनाओं के क्षेत्र से बाहर कार्यों की सिफारिश उस वर्ष के लिए जब सिफारिश की जा रही है, कर सकते हैं और जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए जिसमें मनरेगा के तहत जिले के अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना आती है।

xviii. एक पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी के लिए सामुदायिक आधारभूत संरचना और जनोपयोगी भवन निर्माण कार्य की अनुमति है, बशर्ते:

क. ट्रस्ट/सोसाइटी समाज सेवा/कल्याण गतिविधियों में लगा हुआ है और कम से कम 3 वर्षों से अस्तित्व में है।

ख. यह अच्छी तरह से स्थापित, जनोपयोगी, गैर-लाभकारी संस्था है, और क्षेत्र में इसकी अच्छी प्रतिष्ठा है।

ग. इसे एमपीलैड्स के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के प्रचालन और अनुरक्षण का दायित्व लेना चाहिए।

घ. ऐसे ट्रस्ट/सोसाइटी के कार्यकाल के दौरान किसी समाज विशेष के एक या अधिक कार्यों के लिए 50 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं किया जा सकता ।

ड. सिफारिश करने वाले सांसद या उनके परिवार के किसी सदस्य (सांसद के पति या पत्नी, माता-पिता, भाई, बहन, बच्चे, पोते और उनके पति या पत्नी और उनके ससुराल वाले), ट्रस्ट / सोसाइटी के प्रेसिडेन्ट या चेयरमैन या प्रबंधन समिति के सदस्य या ट्रस्टी नहीं होने चाहिए।

भूमिका और जिम्मेदारियाँ

1.4 इस योजना के तहत, स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों में सदस्य टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए विकास से जुड़े कार्यों की सिफारिश करते हैं; अनुशंसित कार्यों के लिए प्राथमिकता के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा, बिजली, पेयजल सुविधा, सिंचाई सुविधाएं, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत शामिल हैं। इस योजना के तहत, पांच हितधारक हैं, यथा संसद सदस्य, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), राज्य नोडल विभाग, जिला प्राधिकारी (डीसी/डीएम) और कार्यान्वयन एजेंसी। प्रत्येक

हितधारक को जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं जहां सांसद प्रमुख योगदानकर्ता होते हैं जिनकी सिफारिश पर काम शुरू होता है। नोडल मंत्रालय, एमओएसपीआई , अन्य हितधारक है जो उचित निगरानी, खाता रखने और उसके विकास कार्यों के मूल्यांकन के साथ-साथ धन जारी करने की भूमिका निभाता है। एक बार जब सांसदों द्वारा कार्यों की सिफारिश की जाती है, तो राज्य नोडल विभाग (तीसरा हितधारक) की अपनी भूमिका होती है, जहां वे प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के साथ-साथ अनुशंसित कार्यों का समन्वय और निगरानी करते हैं। जिला प्राधिकारी (चौथा हितधारक) को विभिन्न अभिलेखों/कार्य रजिस्टरों आदि के रखरखाव के साथ-साथ प्रशासनिक/वित्तीय मंजूरी जारी करने की भूमिका सौंपी जाती है। वे खातों का रखरखाव भी करते हैं और संसद सदस्यों को सुविधा केंद्र प्रदान करते हैं। मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर), उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कार्रवाई करने और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से संबंधित पहलू को देखने के संबंध में कार्रवाई करने के लिए जिला प्राधिकारी की प्रमुख जिम्मेदारी है। योजना के तहत कार्यों का अंतिम निष्पादन कार्यान्वयन एजेंसी (पांचवें हितधारक) पर निर्भर करता है जो योजना के तहत स्वीकृत कार्यों को निष्पादित करता है।

अध्याय-दो

परियोजना आवंटन, धनराशि जारी करना और उपयोग (2014-2021)

1993-94 में योजना के पहले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक सांसद को 5 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी जिसे बढ़ाकर 1994-95 के बाद से 1 करोड़ रुपये प्रति सांसद कर दिया गया था। इसे आगे 1998-99 में बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया और वर्तमान में यह वित्तीय वर्ष 2011-12 से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

वर्ष	पात्रता (रुपये करोड़ में)
1993-94	0.05
1994-95 से 1997-98	1.00
1998-99 से 2010-11	2.00
2011-12 के बाद	5.00

2.2 एमपीलैड योजना के तहत बजट आवंटन में संशोधन के लिए अपनाई जा रही कार्यप्रणाली/मानदंडों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित कहा:

"यह वित्त मंत्रालय के परामर्श से सरकार के निर्णय के अनुसार है। एमपीलैड्स के तहत वार्षिक पात्रता के विषय की पहले विस्तार से जांच, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से की जा चुकी है।"

2.3 पिछले सात वित्तीय वर्षों के लिए एमपीलैंड योजना के अंतर्गत निधियों के आवंटन, जारी करना और उपयोग का विवरण मंत्रालय द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

तालिका

करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन	भारत सरकार की विज्ञप्ति	व्यय	बजट आवंटन पर भारत सरकार की रिलीज का %	बजट आवंटन से अधिक व्यय का %
2014-15	3950.00	3350.00	2634.94	84.81	66.71
2015-16	3950.00	3502.00	3628.01	88.66	91.85

2016-17	3950.00	3499.50	3903.12	88.59	98.81
2017-18	3950.00	3504.00	4076.29*	88.71	103.20
2018-19	3950.00	3949.50	5016.52*	99.99	127.00
2019-20	3950.00	3640.00	2491.45	92.15	63.07
2020-21	3950.00	शून्य #	1011.08 @	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

*तत्संबंधी अवधि में व्यय जारी निधि से अधिक हो सकता है। यह असंगत नहीं है क्योंकि निधियां अव्यपगत होती हैं और अव्ययित निधियों के साथ-साथ जिला स्तर पर अर्जित ब्याज का उपयोग बाद के वर्षों में किया जाता है।

वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में एमपीलैड्स की स्थिति: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल को हुई अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021- 22 के लिए एमपीलैड्स का संचालन नहीं करने का फैसला किया, और इस तरह से इन दो वर्षों के दौरान 31.03.2020 तक या उसके पहले किस्तों को जारी न करने के साथ-साथ एमपीलैड किस्त जारी नहीं होगी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एमपीलैड्स के लिए वार्षिक बजटीय परिव्यय को भी कोविड-19 के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों के प्रबंधन के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के समक्ष निपटान हेतु रखा गया था।

@ निधियों का व्यय एक सतत प्रक्रिया है। समय के साथ इसके उत्तरोत्तर बढ़ने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में व्यय जिला प्राधिकारियों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष से किया जा रहा है।

एमपीलैड्स निधि जारी करना

2.4 किसी वर्ष विशेष के लिए सांसद की एमपीलैड्स निधि की पात्रता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:

वित्तीय वर्ष में सांसद के रूप में अवधि	पात्रता
3 महीने से कम	शून्य।
9 महीने तक	वार्षिक आवंटन का 50%

9 महीने से अधिक	वार्षिक आवंटन का 100%

वार्षिक पात्रता जारी करना

2.5 मंत्रालय ने निम्नलिखित दिशानिर्देश प्रस्तुत किए हैं जिनका एमपीलैड योजना के अंतर्गत निधियां जारी करने के संबंध में पालन किया जाना है:

भारत सरकार द्वारा सीधे संबंधित संसद सदस्य के नोडल जिले के जिला प्राधिकरण को 5 करोड़ रुपये की वार्षिक पात्रता 2.5 करोड़ रुपये की दो समान किस्तों में जारी की जाती है।

(क) **पहली किस्त :** लोक सभा के गठन और राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन के बाद 2.5 करोड़ रुपये की पहली किस्त नोडल जिला प्राधिकारी को बिना किसी दस्तावेज के जारी की जाती है।

शेष वर्षों में, प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जाती है:-

I. संबंधित सांसद के लिए पिछले वर्ष की दूसरी किस्त जारी की गई थी;

II. पिछले वर्ष की पहली किस्त के व्यय के कम से कम 80% को कवर करने वाले पिछले वर्ष के अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन; तथा

III. संबंधित सांसद का अव्ययित निधि शेष 03 करोड़ रुपये से कम है ।

(ख) दूसरी किस्त : एक वित्तीय वर्ष की एमपीलैड्स निधि की दूसरी किस्त निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन जारी की जाती है: -

I. स्वीकृत सभी कार्यों की लागत को ध्यान में रखते हुए जिला प्राधिकरण के खाते में उपलब्ध अस्वीकृत शेष राशि ₹1 करोड़ से कम है ;

II. संबंधित सांसद की अव्ययित राशि की निधि 2.5 करोड़ रुपये से कम है ; तथा

III. पिछले वित्तीय वर्ष का उपयोग प्रमाण पत्र और पिछले वर्ष से पहले के वर्ष में संबंधित सांसद के लिए जारी की गई धनराशि के लिए लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र क्रमशः दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रारूप में जिला प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शर्तों की गणना प्रत्येक बैठक के लिए मासिक प्रगति रिपोर्ट और पूर्व सांसद के कार्यकाल के अनुसार अलग-अलग की जाती है। बैंक खाता विवरण/पासबुक की एक प्रति के साथ निर्धारित प्रारूप में मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की जानी है। निधि के अव्ययित शेष का सत्यापन माननीय सांसद/पूर्व सांसद के पीएफएमएस विवरण या बैंक खाता विवरण से किया जाता है ।

निधियों की गैर-व्यपगत प्रकृति

2.6 जांच के दौरान, मंत्रालय ने सूचित किया कि भारत सरकार द्वारा जिला प्राधिकरण को जारी की गई धनराशि व्यपगत नहीं है। इसके अलावा, मंत्रालय ने इस योजना के तहत निधियों के मुद्दे को निम्नानुसार स्पष्ट किया:

> "जिले में शेष धनराशि को अगले वर्षों में उपयोग के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तथापि, किसी भी वर्ष में एमपीलैड स्कीम के लिए जारी समग्र बजट आवंटन को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार, हालांकि 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सांकेतिक रूप् से माननीय सांसद के लिए संचित किये जाते हैं, इस मंत्रालय द्वारा खर्च नहीं की गई राशि वित्तीय वर्ष के अंत में भारत की संचित निधि में वापस चली जाती है तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास नहीं रहती है ।

उपयोग प्रमाणपत्र

2.7 जैसा कि पैरा 2.4 (ख) iii में ऊपर बताया गया है, वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त जारी करने के मानदंडों में से एक मानदंड पिछले वित्तीय वर्ष के उपयोग प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने के अधीन है। इस संबंध में, समिति ने यह जानना चाहा कि क्या वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पहली किस्त जारी करने के लिए पिछले वर्ष की पहली किस्त के कम से कम 80% व्यय को कवर करने वाले पिछले वर्ष के अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के दिशानिर्देश पर पुनर्विचार किया जा सकता है, क्योंकि एक वर्ष के अंतराल में 80% उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा कार्य है। समिति ने परियोजनाओं के संबंध में नोडल जिला प्राधिकारियों के स्तर पर सत्यापन, अनुमोदन और अन्य औपचारिकताओं की धीमी प्रक्रिया के मुद्दे को हल करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के ब्यौरे और उपयोग प्रमाण पत्र जमा करने में परिणामी देरी के बारे में भी पूछताछ की। इस संबंध में मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

> "पिछले वित्तीय वर्ष की पहली किस्त का कम से कम 80% जिला प्राधिकारी द्वारा अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त जारी करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। इस शर्त को एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में अगस्त, 2017 में संशोधन के माध्यम से वित्त मंत्रालय के परामर्श के बाद और एमपीलैड्स की तृतीय पक्ष वास्तविक

निगरानी के निष्कर्षों पर शामिल किया गया है। वर्तमान में, मंत्रालय में 80% की सीमा को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एमपीलैड्स के तहत जारी की गई निधियां पूंजीगत परिसंपत्तियों में (जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/स्थानीय निकायों को सहायता) के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के रूप में जारी की जाती है।

एमपीलैड योजना के तहत अनुदानों की विस्तृत मांग के लिए बजटीय परिव्यय निम्नानुसार है:

2553 एमपी स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (प्रमुख शीर्ष)

00.101 जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/स्थानीय निकायों को सहायता (लघु शीर्ष)

01 सहायता अनुदान

01.00.31- सामान्यं सहायता अनुदान,

01.00.35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान सहायता

इसके मद्देनजर, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 240 की पूर्ति हेतु जिला प्राधिकारियों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

2.8 एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में कि क्या संबंधित जिला प्राधिकारी उपयोग प्रमाण पत्र जारी करते हैं जब और जब संसद सदस्य किसी परियोजना / कार्य की सिफारिश करते हैं / स्वीकृति देते हैं या उस समय जब आवंटित निधि का उपयोग उस विशेष परियोजना / कार्य के लिए किया जाता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने निम्नानुसार कहा:

''एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों के पैरा 5.3, में अन्य बातों के साथ-साथ किया गया है, "किसी कार्य के पूरा होने पर कार्यान्वयन एजेंसी उस कार्य के लिए खातों को शीघ्रता से अंतिम रूप देगी और एक कार्य पूर्णता रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी और संबंधित जिला प्राधिकरण को उपयुक्त शेष राशि (बचत) एवं ब्याज राशि 30 दिनों के भीतर वापस करेगी।"

ऊपर से यह स्पष्ट है कि क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों से जिला अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत कार्य-वार उपयोग/पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें बाद में संबंधित जिले के स्तर पर संकलित और समेकित किया जाता है। मंत्रालय जिला प्राधिकारियों को पूर्व में जारी किस्तों के एवज में जिला प्राधिकारियों से समेकित उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करता है।

2.9 उपयोग प्रमाण पत्र की आवश्यकता को स्पष्ट करने के बारे में कहे जाने पर और क्या मंत्रालय के लिए एमपीलैड निधि योजना के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों में संशोधन किए बिना उपयोग प्रमाण पत्र को समाप्त करना संभव है, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 230(7) में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार कहा गया है, "जब एक ही संस्था या संगठन को एक ही उद्देश्य के लिए आवर्ती अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है, तो पिछले अनुदान के अव्ययित बकाया को उसके बाद के अनुदान को मंजूरी देने के लिए लिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए मंत्रालयों/विभागों का कार्यक्रम प्रभाग प्रत्येक रिलीज करने से पहले प्राप्तकर्ताओं के बैंक बैलेंस को जानने के लिए पीएफएमएस पोर्टल की मदद लेगा। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए समय-समय पर जारी पीएफएमएस पोर्टल के उपयोग के संबंध में व्यय विभाग के निर्देशों का सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा। जहां तक संभव हो सभी भुगतानों को जारी करने के संबंध में ' **जस्ट इन टाइम रिलीज**' के सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए।"

इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 का नियम 238(2) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार निर्धारित करता है:

"आवर्ती अनुदानों के संबंध में, संबंधित मंत्रालय या विभाग को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत कोई भी राशि जारी करनी चाहिए। आगामी के वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत कुल राशि के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक सहायता अनुदान को उपयोग प्रमाण पत्र के बाद ही जारी किया जाएगा और पिछले वर्ष में जारी सहायता अनुदान से संबंधित वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण संबंधित मंत्रालय/विभाग की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मंत्रालय या विभाग के आंतरिक लेखा परीक्षा दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट और वर्ष में तीसरी और चौथी तिमाही के लिए प्राप्त कार्यनिष्पादन रिपोर्ट को भी आगे अनुदान स्वीकृत करते समय देखा जाना चाहिए।"

इस प्रकार, ऊपर से, समय-समय पर वित्त मंत्रालय के अनुदेशों/निर्देशों पर ही उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

2.10 जिला प्राधिकारियों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र, अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र जैसे अपेक्षित निधि से संबंधित दस्तावेजों को देरी से जमा करने के मुद्दे को कारगर बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए पूछे जाने पर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार कहा:

"मंत्रालय ने एमपीलैड्स पर वार्षिक समीक्षा बैठक के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल विभागों के साथ एमपीलैड्स फंड के उप-इष्टतम उपयोग के मामले को बार-बार उठाया है, 17 जनवरी, 2020 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल विभागों के साथ नवीनतम 22वीं अखिल भारतीय समीक्षा बैठक हुई है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन मामलों को सख्ती से लेने के लिए निर्देशित किया गया जहां धन के उपयोग में सुधार संतोषजनक नहीं है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि एक वर्ष में जारी की गई धनराशि का उपयोग उसी वर्ष किया जाए ताकि निधियों को जारी करने में होने वाली देरी को कम किया जा सके और अव्ययित शेष के रूप में बैंक खातों में निधियों के रुकने/निष्क्रिय होने की घटनाओं को कम किया जा सके।

जिला प्राधिकरणों को भी उपयोग में तेजी लाने (उचित प्रक्रियाओं का पालन करके) और एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.12 और 3.13 में निर्धारित समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

एकीकृत एमपीलैड्स पोर्टल में लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र, उपयोग प्रमाण पत्र, अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र और मासिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की सुविधा है। जिला अधिकारियों को एमपीलैड्स पोर्टल पर इन सेवाओं/सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने की सलाह दी गई है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के नोडल विभाग भी मंत्रालय द्वारा एमपीलैड योजना के तहत निधियों के कार्यान्वयन और उपयोग की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए

एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए प्रभावित होते हैं, यदि अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। उनसे समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि वे वर्ष में कम से कम एक बार जिला अधिकारियों और सांसदों के साथ मुख्य सचिव/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित करें और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त मंत्रालय को भेजें।

मंत्रालय के अधिकारियों को योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए विभिन्न राज्यों/जिलों का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है जो कार्यों के निष्पादन की गति को तेज करने में सकारात्मक योगदान देता है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि निधि से संबंधित दस्तावेजों को जमा करने में देरी के मुद्दों को जिला प्राधिकरण के समक्ष उठाया जाता है। जिला प्राधिकरण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधीक्षण में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।

2.11 जांच के दौरान, समिति ने मंत्रालय से जिला नोडल अधिकारियों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच गैर-समन्वय, यदि कोई हो, जिसके कारण निधियों का अनुचित उपयोग हुआ, के विवरण के बारे में जानना चाहा। इसके उत्तर में मंत्रालय ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

"एमपीलैड्स फंड के उप-इष्टतम उपयोग की समस्या को जिला अधिकारियों और मंत्रालय के बीच समन्वय की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के सेट (जून 2016) द्वारा शासित होता है और मंत्रालय उसी का पालन करता है।

मंत्रालय ने एमपीलैड्स पर वार्षिक समीक्षा बैठक के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल विभागों के साथ एमपीलैड्स निधियों के उप-इष्टतम उपयोग के मामले को बार-बार उठाया है, 17 जनवरी, 2020 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल विभागों के साथ नवीनतम 22वीं अखिल भारतीय समीक्षा बैठक हुई।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन मामलों को सख्ती से लेने के लिए निर्देशित किया गया जहां धन के उपयोग में सुधार संतोषजनक नहीं है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि एक वर्ष में जारी की गई धनराशि का उपयोग उसी वर्ष

किया जाए ताकि निधियों को जारी करने में होने वाली देरी को कम किया जा सके और अव्ययित शेष के रूप में बैंक खातों में निधियों के रुकने/निष्क्रिय होने की घटनाओं को कम किया जा सके।

जिला प्राधिकरणों को भी उपयोग में तेजी लाने (उचित प्रक्रियाओं का पालन करके) और एमपीलैड्सं दिशानिर्देशों के पैरा 3.12 और 3.13 में निर्धारित समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के नोडल विभाग भी मंत्रालय द्वारा एमपीलैड योजना के तहत निधियों के कार्यान्वयन और उपयोग की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए प्रभावित होते हैं, यदि अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। उनसे समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि वे वर्ष में कम से कम एक बार जिला अधिकारियों और सांसदों के साथ मुख्य सचिव/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित करें और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त मंत्रालय को भेजें।

मंत्रालय के अधिकारियों को योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए विभिन्न राज्यों/जिलों का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है जो कार्यों के निष्पादन की गति को तेज करने में सकारात्मक योगदान देता है।

एमपीलैड्स के तहत निधियां जारी करना निधि से संबंधित इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और अव्ययित और स्वीकृत शेष राशि के मानदंडों को पूरा करने के साथ-साथ बाद में जांच के क्रम में पाए जाने के अधीन है।

एमपीलैड्स निधियां जारी करने के प्रयोजन के लिए मंत्रालय को जिला प्राधिकारियों से पूर्व में जारी किस्तों के एवज में जिला प्राधिकारियों से समेकित उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होते हैं। व्यक्तिगत कार्य-वार उपयोग/समापन प्रमाण पत्र क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों से जिला अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं क्योंकि एमपीलैड्स को योजना निर्माण के तत्वावधान में समान स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। उपयोग प्रमाणपत्र जिला प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित होने आवश्यक हैं। मंत्रालय उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय आरंभिक और अंतिम आंकड़ों, अर्जित ब्याज की राशि और जिला प्राधिकरण द्वारा की गई जांचों के विवरण पर विशेष जोर देता है ।

मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रकृति में गतिशील होती है जो तत्संबंधी निधि निर्गम/व्यय के साथ उत्तरोत्तर बदलती रहती है और इसमें कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति पर संचयी विवरण शामिल होते हैं जैसे कि अनुशंसित कार्यों की संख्या, स्वीकृत, चालू, अव्यय और अस्वीकृत शेष की जानकारी, वितरण पर पूर्ववर्ती सांसद से प्राप्त राशि, अर्जित ब्याज, जिला प्राधिकरण द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या आदि। मंत्रालय के पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक नए एमपीआर की विधिवत जांच की जाती है और मंत्रालय द्वारा जिला प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत पिछले एमपीआर और विसंगतियों, यदि कोई हो, के साथ तुलना की जाती है। उचित कार्रवाई करने के लिए जिला प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है और इस प्रकार पाई गई विसंगतियों पर स्पष्टीकरण के साथ संशोधित एमपीआर प्रस्तुत करता है। अधिकारियों की एक समर्पित टीम को यह काम सौंपा गया है। ऑडिट सर्टिफिकेट के सभी खंडों की बारीकी से जांच की जाती है और यहां तक कि शब्दों/आंकड़ों में मामूली विसंगतियों को भी जिला अधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है, जिन्हें ऑडिटिंग फर्म के साथ विसंगतियों को उठाना होता है और खंड के साथ संशोधित लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र के साथ-साथ की गई कार्रवाई रिपोर्ट फिर से जमा करना होता है। "

एमपीलैड्स निधि का निलंबन/निधि का जारी न करना

2.12 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 2020 को हुई अपनी बैठक में , वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021 - 22 के लिए एमपीलैड्स का संचालन नहीं करने का निर्णय लिया है, और इस तरह इन दो वर्षों के दौरान 31.03.2020 तक या उससे पहले जारी न की गई किस्तों सहित एमपीलैड की किस्तें जारी नहीं की जाएंगी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एमपीलैड के लिए वार्षिक बजटीय परिव्यय को भी कोविड - 19 के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों के प्रबंधन के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के निपटान में रखा गया है। हालांकि, समिति ने पाया कि अधिकांश सांसदों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए किस्तें भी जारी नहीं की गईं और जब उनसे इसका कारण बताने के लिए कहा गया, तो मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया किया:

"एमपीलैड्स के तहत निधियों का जारी किया जाना निधि से संबंधित मानदंडों की पूर्ति के अधीन है जैसा कि दिशानिर्देशों में उल्लिखित है और निधि से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और साथ ही अव्ययित और अस्वीकृत शेष के मानदंडों को पूरा करने उन दस्तावेजों को जांच के क्रम में पाए जाने के अध्यधीन है। जिला प्राधिकारियों द्वारा निधि से संबंधित अपेक्षित दस्तावेज जैसे उपयोग प्रमाण पत्र, अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा

प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी से लंबित किस्तों के जारी होने पर व्यापक प्रभाव पड़ता है । वर्ष 2020-21 से पहले के वर्षों की किस्तें संसद के कुछ सदस्यों के संबंध में जारी नहीं की गई हैं क्योंकि फंड से संबंधित दस्तावेजों को जमा करने में देरी हुई है और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के कारण वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए एमपीलैड्स का संचालन नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक बजटीय परिव्यय को कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों के प्रबंधन के लिए वित्त मंत्रालय के निपटान में रखा गया है। इसलिए, वर्तमान में, मंत्रालय के पास इसके निपटान के लिए कोई बजट नहीं है। ये लंबित किस्तें व्यय विभाग के अनुसार एमपीलैड्स के पुन: संचालन और मंत्रालय के पास धन की उपलब्धता के अनुसार सरकार द्वारा जारी की जाएंगी।"

इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय के निर्देश पर पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से आवंटित धन के संबंध में व्यय अनिवार्य कर दिया गया है। तदनुसार, पहली किस्त के बाद एमपीलैड्स के अंतर्गत निधियां तभी जारी की जानी हैं, जब निधियों का उपयोग पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से बुक किया गया हो। इसके अलावा, यहां तक कि 17वीं लोक सभाकी पहली किस्त को भी केवल पीएफएमएस पर बैंक खाते के पंजीकरण और मंत्रालय द्वारा बैंक खाते के अनुमोदन के बाद ही जारी किया गया था।

2.13 जांच के दौरान समिति के एक विशिष्ट प्रश्न के संबंध में कि पिछले वर्षों की किस्तें क्यों जारी नहीं की गई थीं, हालांकि इसे केवल 2020-21 और 2021-22 के लिए रोक दिया गया है, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष निम्नवत बताया:

".....वह प्रणाली जिसके अंतर्गत सरकार की कोई भी निधि बजट प्रावधान होने पर जारी की जाती है। चालू वर्ष में बजट प्रावधान 3950 करोड़ रुपये दिया गया था। लेकिन बजट पारित होने के बाद सरकार के सर्वोच्च प्राधिकारी की मंजूरी से जो आदेश जारी किया गया है, वह यह है कि 2020-2021 और 2021-2022 के दौरान किस्तें जारी नहीं की जा सकती हैं। दूसरा भाग महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर है कि 3,950 करोड़ रुपये की निधि में से स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए 10 करोड़ रुपये कार्यकलापों के मूल्यांकन आदि के लिए निर्धारित

है इसका अर्थ है कि 3,940 करोड़ रुपये कोविड -19 से संबंधित अन्य उद्देश्यों के लिए दोबारा खर्च किए गए हैं। यह सरकार का सुविचारित निर्णय है कि अधिक महत्वपूर्ण कार्यकलापों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है और तदनुसार, इस तरह के कुछ कार्यकलापों के लिए 3,940 करोड़ रुपये आबंटित किए गए जो अधिक आकस्मिक और शायद अधिक महत्वपूर्ण कार्यकलाप थे और सरकार का निर्णय यह रहा है कि इस निधि को अब अन्य प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, इसका उत्तर यही है और मैं आगे के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। मैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के सचिव के रूप में यह कहूंगा कि इस प्रयोजनार्थ किसी को निधि जारी करने के लिए मेरे पास कोई निधि/कोई स्वीकृत बजट नहीं है। निधि जारी करने के लिए बजटीय प्रावधानों और उस उद्देश्य के लिए स्वीकृति की आवश्यकता होती है जिसके लिए इसे सदन में अनुमोदित किया गया है और साथ हीं, अन्य सभी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं।"

2.14 वित्तीय वर्ष 2019 की किस्त (किस्तें) प्राप्त करने वाले संसद सदस्यों की सूची और यह पूछे जाने पर कि ये किस्तें क्यों जारी नहीं की गई और उस 'शीर्ष' का विवरण क्या है जिसके अंतर्गत जारी नहीं की गई निधि जमा हो जाती है, के संबंध में एमओएसपीआई ने निम्नवत बताया::

"वित्तीय वर्ष के अंत में एमओएसपीआई के साथ किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत वार्षिक बजटीय परिव्यय में से जारी नहीं की गई निधियां एमओएसपीआई के पास नहीं रहती हैं और भारत की समेकित निधि में वापस चली जाती हैं। संबंधित नोडल जिले को एमपीलैड्स निधियों की जारी करने की लंबित अवधि का कारण जिलों से अपेक्षित दस्तावेजों की अनुपलब्धता या एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में निर्धारित अव्ययित और अस्वीकृत शेष राशि संबंधी मानदंडों का पूरा नहीं होना है।"

2.15 समिति ने लोकसभा के संसद सदस्यों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2019-20 और पिछले वर्षों की लंबित किस्तों को जारी करने की स्थिति के विषय में पूछा। इस प्रश्न के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया-

"वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 17वीं लोकसभा के संबंध में, 102 किस्तें जारी किए जाने के लिए लंबित हैं (परिशिष्ट-दो)। 16वीं लोक सभा के संबंध में, लंबित किस्तों की वर्ष-वार स्थिति निम्नानुसार है -

वित्तीय वर्ष	16वीं लोकसभा के माननीय संसद सदस्यों के संबंध में लंबित किस्तें	
	किस्तों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2014-15	--	0
2015-16	2	5
2016-17	22	55
2017-18	91	227.5
2018-19	355	887.5
कुल	**470**	**1175**

2.16 दो वर्षों के लिए एमपीलैड योजना के निलंबन के बाद लंबित किस्तों को जारी करने का अनुरोध करने वाले संसद सदस्यों की सूची **परिशिष्ट-दो** में रखी गई है। जब समिति ने उन माननीय सदस्यों, जिनका कार्यकाल उस अवधि के दौरान समाप्त हो जाएगा जब एमपीलैड्स निधि निलंबित रहेगी, को एमपीलैड निधि जारी करने के मामले में लिए गए निर्णय के विषय में जानना चाहा, तो मंत्रालय ने निम्नवत स्पष्ट किया:

> "इस मामले को पहले ही वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया जा चुका है और विचार-विमर्श चल रहा है। वर्तमान में, मंत्रालय के पास लंबित किस्तों को जारी करने के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत कोई निधियां उपलब्ध नहीं हैं।

2.17 समिति के एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में कि क्या वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए निलंबित एमपीलैड निधियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में जारी किया जाएगा, क्योंकि निधि अव्यपगत है और क्या किसी नई परियोजनाओं/कार्यों की सिफारिश की जा सकती है क्योंकि इसके लिए अनुमोदन प्राप्त करने में काफी समय लगता है, मंत्रालय ने इस संबंध में निम्नवत बताया:

> "एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 4.4 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जिला प्राधिकारियों को जारी की जाने वाली निधियाँ अव्यपगत होती हैं। जिले के पास शेष बची निधि को बाद के वर्षों में उपयोग हेतु अग्रेनीत किया जा सकता है। तथापि, किसी भी वर्ष सांख्यिकी और

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को एमपीलैड स्कीम हेतु कुल आबंटन समग्र बजट आबंटन के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार, हालांकि माननीय संसद सदस्य के लिए प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रु अनुमानित रूप से जमा होते हैं, परंतु इस मंत्रालय द्वारा खर्च न की गई कोई भी राशि वित्तीय वर्ष के अंत में भारत के समेकित कोष में वापस चली जाती है वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास नहीं रहती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 2020 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए एमपीलैड्स को संचालित नहीं करने और कोविड महामारी से निपटने के लिए निधियों को दो वर्षों के लिए वित्त मंत्रालय के पास रखने का निर्णय लिया। मंत्रालय ने मामले में अधिक स्पष्टता के लिए वित्त मंत्रालय को लिखा है और उत्तर प्राप्त होने पर समिति को सूचित कर दिया जाएगा।

मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए एमपीलैड्स को संचालित नहीं करने के निर्णय के परिणामस्वरूप, मंत्रालय द्वारा दिनांक 08.04.2020 को जारी परिपत्र के द्वारा सभी हितधारकों को निर्देशों का एक विस्तृत सेट जारी किया गया था। जिला प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि किसी भी संस्तुत कार्य जिसके लिए या तो निधि उपलब्ध नहीं है अथवा अतिरिक्त निधि जारी नहीं की जाएगी, के लिए मंजूरी/निर्णय न लें क्योंकि कोई और निधि जारी नहीं की जाएगी। माननीय संसद सदस्यों से भी अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी ऐसे नए कार्य की सिफारिश न करें जिसके लिए जिला प्राधिकरण के खातों में निधि उपलब्ध नहीं है।"

2.18 एमपीलैड्स परियोजनाएं शुरू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिए जाने वाले सेंटेज अधिभार के संबंध में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 4.17.1 निम्नलिखित अनुसार प्रावधान करता है, "पैरा 4.17 में यथा उपबंधित प्रशासनिक व्यय को छोड़कर, नोडल विभाग, जिला प्राधिकरण या कार्यान्वयन एजेंसी एमपीलैड्स के अंतर्गत प्रारंभिक कार्यों सहित कार्यों के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के संबंध में पर्यवेक्षण शुल्क, सेंटेज अधिभार, कर्मियों के वेतन, यात्रा व्यय आदि जैसे कोई भी खर्च वसूल नहीं करेंगी।"

अध्याय - तीन

योजना का कार्यान्वयन

एमपीलैड योजना दिशानिर्देशों के एक सेट द्वारा शासित होती है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। उत्तरवर्ती संशोधित परिपत्रों के साथ वर्तमान दिशानिर्देश सार्वजनिक डोमेन: https://www.mplads.gov.in/MPLADS/UploadedFiles/MPLADSGuidelines2016English_638.pdf पर उपलब्ध हैं। जब मंत्रालय से उक्त दिशानिर्देशों में संशोधन के लिए किसी निर्धारित समय-सीमा के अस्तित्व और दिशानिर्देशों में संशोधन अथवा संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंडों का विवरण पूछा, तो एमओएसपीआई ने समिति को निम्नवत बताया:

> "एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में संशोधन करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जून, 2016 में जारी होने वाले एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के बाद से, इसके विभिन्न अनुच्छेदों में बीस संशोधन किए जा चुके हैं। मंत्रालय स्कीम के हितधारकों से प्राप्त संदर्भों के मद्देनजर मामला-दर-मामला आधार पर एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में संशोधन करता है और स्कीम के मूल उद्देश्यों के अनुपालन के संदर्भ में मेरिट के आधार पर उसमें संशोधन करता है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में समग्र संशोधन वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान 216 जिलों में एमपीलैड्स कार्यों के प्रस्तावित तृतीय पक्ष द्वारा किए गए वास्तविक मूल्यांकन के निष्कर्षों पर निर्भर रहेगा। एमपीलैड्स स्कीम की तृतीय पक्ष भौतिक मूल्यांकन कराने के अनुरोध संबंधी प्रस्ताव (आरएफपी) हेतु पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष के चयन की प्रक्रिया चल रही है ।"

मंत्रालय द्वारा हाल ही में एमपीलैड योजना दिशानिर्देशों में किए गए संशोधनों का ब्यौरा **परिशिष्ट-तीन** में दिया गया है।

3.2 मंत्रालय ने अपने पृष्ठभूमि नोट (समिति को प्रस्तुत) में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत, संसद सदस्यों द्वारा कार्यों की सिफारिश करने से किसी भी परियोजना की गतिविधियों की पूरी श्रृंखला शुरू होती है। लोक सभा के निर्वाचित सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं और राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य उनके चुनाव राज्य के भीतर कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। मनोनीत सदस्य देश भर में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। सभी सदस्यों को अपने द्वारा

संस्तुत कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से और एमपीलैड्स के अंतर्गत उनकी ओर से होने वाले संपूर्ण समन्वय के लिए एक जिला चुनना पड़ता है। यह जिला नोडल जिला कहलाता है।

संबंधित नोडल जिला प्राधिकरण संसद सदस्यों द्वारा संस्तुत उपयुक्त कार्य को कार्यान्वित करने और निष्पादित किए गए व्यक्तिगत कार्यों और योजना के अंतर्गत व्ययित राशि के ब्योरे रखने के लिए उत्तरदायी है। जिला प्राधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रोजेक्ट की शेल्फ बनाएं, जो कि केवल सरल सुबोध हो, बोझिल न हो। जिला प्राधिकरण से कार्य निष्पादन के विषय से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की संस्थापित कार्य संवीक्षा, तकनीक, कार्य आकलन, निविदा जारी करने और प्रशासनिक प्रक्रिया का अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है और वह ऐसे कार्यों के समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। उन्हें राज्य सरकार की संस्थापित प्रक्रिया (तकनीकी स्वीकृति, टेंडर/नॉन टेंडर, मूल्यों की सूची इत्यादि के मामले में) के अनुसार उपयुक्त स्वीकृत कार्य निष्पादित करना पड़ता है। प्रशासनिक संस्वीकृति/अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार जिला प्राधिकरण के पास होता है। जिला प्राधिकारियों द्वारा एमपीलैड्स के अंतर्गत तैयार की गई परिसंपत्तियां अनुरक्षण हेतु उपयोगकर्ता एजेंसियों (जैसे स्थानीय निकाय) को सौंपी जाती हैं।

3.3 कार्यान्वयन एजेंसी के चयन के लिए जिला प्राधिकारियों द्वारा लागू किए गए मानदंड के संबंध में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने लिखित रूप से निम्नवत बताया:

"एमपीलैड्स संबंधी प्रतिपादित दिशानिर्देशों का पैरा 2.11 (क) निम्नानुसार निर्धारित होता है, *"जिला प्राधिकरण एक उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसी का चयन करेगा, जिसके माध्यम से एक संसद सदस्य द्वारा संस्तुत एक विशेष कार्य ही निष्पादित किया जाएगा"।*

एमपीलैड्स संबंधी प्रतिपादित दिशानिर्देशों के पैरा 2.11 (ख) में निम्नानुसार निर्धारित है, "कार्यान्वयन एजेंसी का चयन इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। एक कार्यान्वयन एजेंसी का चयन करते समय केंद्र सरकार की एजेंसियां सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी, आदि पर राज्य सरकार/जिला प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार के कुछ मंत्रालयों/संगठनों (जैसे रेलवे) में कुछ कार्यों के लिए जहां कार्यान्वयन एजेंसी को आवश्यक रूप से संबंधित केंद्र सरकार के

मंत्रालय/संगठन का होना आवश्यक है, उसी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना जाना है।'

3.4 जब उन मामलों का विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया जहां कार्यान्वयन एजेंसी समय पर आवंटित कार्य को पूरा करने में विफल रही है, साथ ही उन दिशानिर्देशों का विवरण पूछा जिसके अंतर्गत ऐसी चूक करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों से निपटा जाता है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"मंत्रालय ऐसी शिकायतों/उदाहरणों/शिकायतों का संज्ञान लेता है, जिन्हें उसके नोटिस में लाया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसियों के खिलाफ देरी/अनियमितताओं की शिकायतों का निवारण जिला प्राधिकरण के स्तर पर किया जाता है और जिला प्राधिकरण से असंतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर यह मामला मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को बढ़ाया जाता है, जिनके अधीक्षण में जिला अधिकारी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।

एमपीलैड्स दिशानिर्देश में पहले से ही कार्यान्वयन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान हैं। एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.13 निम्नानुसार निधारित होता है, *"स्वीकृत पत्र/आदेश, कार्यान्वयन एजेंसी के लिए काम पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करेगा। कार्यों के पूरा होने की समय सीमा आमतौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। असाधारण मामलों में, जहां कार्यान्वयन का समय एक वर्ष से अधिक है, उसी के विशिष्ट कारणों को मंजूरी पत्र/आदेश में शामिल किया जाएगा। मंजूरी पत्र/आदेश राज्य सरकार की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करने में उनकी विफलता की स्थिति में कार्यान्वयन एजेंसी के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए एक खंड भी शामिल होगा। मंजूरी पत्र/आदेश की एक प्रति संबंधित संसद सदस्य को भेजी जाएगी।'*

3.5 समिति ने एमपीलैड फंड के अंतर्गत आवंटित परियोजनाओं के संबंध में जिला प्राधिकारियों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए विकास/प्रगति की निगरानी के लिए बनाए गए निगरानी तंत्र के विषय में पूछा। इस संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"कार्यों की समीक्षा और पर्यवेक्षण में जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका को एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 6.4 और 6.5 में स्पष्ट किया गया है।

एमपीलैड्स संबंधी प्रतिपादित दिशानिर्देशों के पैरा 6.4 (i) में निम्नानुसार निर्धारित है, "जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर योजना के अंतर्गत कार्यों के समग्र समन्वयन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा और हर साल कार्यान्वयन के अंतर्गत कम से कम 10 प्रतिशत का निरीक्षण करेगा। जिला प्राधिकरण को परियोजनाओं के निरीक्षण में सांसदों को संभव सीमा तक शामिल करना चाहिए। "इसके अतिरिक्त, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 6.4 (vi) इस प्रकार है, "जिला प्राधिकरण कार्यान्वयन एजेंसी के साथ एमपीलैड्स कार्यों के कार्यान्वयन का हर महीने और किसी भी मामले में कम से कम एक बार हर तिमाही में समीक्षा करेगा, जिला प्राधिकरण ऐसी समीक्षा बैठकों में संबंधित संसद सदस्यों को आमंत्रित करेगा और इस तरह की समीक्षा बैठकों की रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजेगा।"

एमपीलैड्स दिशानिर्देश के पैरा 6.5 (i) इस प्रकार है, "यह कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे नियमित रूप से कार्य स्थलों का दौरा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्य निर्धारित प्रक्रिया, समय सारणी और विनिर्देशों के अनुसार संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहे हैं।" इसके अतिरिक्त, एमपीलैड्स संबंधी प्रतिपादित दिशानिर्देशों के पैरा 6.5 (ii) में निर्धारित है, "कार्यान्वयन एजेंसियां प्रत्येक महीने जिला प्राधिकरण को प्रत्येक कार्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति प्रस्तुत करेंगी और संबंधित राज्य विभाग को भी एक प्रति भेजेगी। कार्यान्वयन एजेंसियों को रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रति भी प्रदान करनी चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एक कार्य रजिस्टर भी रखा जाना चाहिए, जो उनके द्वारा की जा रही परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का विवरण प्रदर्शित करें। इस रजिस्टर में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की गई स्पॉट दौरे का विवरण भी होना चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसी को 100 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए । "इसके अतिरिक्त एमपीलैड्स संबंधी प्रतिपादित दिशानिर्देश के पैरा 6.5 (iii) में निर्धारित है, "कार्यान्वयन एजेंसियां कार्य पूरा होने के एक महीने के भीतर जिला प्राधिकरण को पूर्ण रिपोर्ट/प्रमाण पत्र और उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी।"

3.6 परियोजनाओं को शुरू करने में विलंब और इसके परिणामस्वरूप निधियों का उपयोग न करने के लिए संबंधित जिला प्राधिकारियों/कार्यान्वयन एजेंसियों पर की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"मंत्रालय उन मामलों का संज्ञान लेता है जो उसके संज्ञान में लाए जाते हैं, जहां निधियों के उपयोग और निधियों की मंजूरी में देरी हुई है। उन मामलों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

सरकारों के साथ उठाया जाता है, जहां मंत्रालय एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.3.1 के प्रावधानों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने पर जोर देता है, जिसमें कहा गया है कि "यदि अभी भी योजना के तहत कोई भी रुका हुआ/निलंबित एमपीलैड कार्य है, तो इसे राज्य सरकार द्वारा उनकी अपनी निधि से पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार भी जिम्मेदारी तय करेगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित करे कि निधियों का उपयोग पूर्व में स्वीकृत रूप में ही किया गया हो ताकि निधियों के आवंटन का दोहराव न हो।

3.7 मंत्रालय ने अपनी पृष्ठभूमि टिप्पण में यह भी कहा है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है, जिसका उद्देश्य जिलों और अन्य संबद्ध विभागों के साथ योजना के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, मूल्यांकन और समन्वय की समग्र जिम्मेदारी है। नोडल मंत्रालय के रूप में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नीति निर्माण, निधियों को जारी करने और योजना के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय सदस्यों को उनके लिए निर्धारित निधि जारी करता है और जारी की गई निधियों की समग्र स्थिति, स्वीकृत कार्यों की लागत तथा खर्च की गई निधियों की निगरानी करता है। मंत्रालय जिला प्राधिकारियों से कार्य के पूर्ण होने की रिपोर्टों, उपयोग प्रमाण-पत्रों और लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र की प्राप्ति की भी निगरानी करता है। यह मासिक प्रगति रिपोर्टों (एमपीआर) के माध्यम से अनुशंसित, स्वीकृत, किए गए व्यय आदि कार्यों के बारे में संचयी जानकारी भी प्राप्त करता है।

3.8 समिति द्वारा प्रस्ताव, प्राक्कलन, निविदा, बिलों को पारित करने और ठेकेदारों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए मौजूद तंत्र के संबंध में व्याख्या करने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने कहा कि:

"एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में विभिन्न प्रावधान जो प्रस्तावों के प्रसंस्करण, बिल पास करना, समय पर भुगतान जारी करना आदि की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं, नीचे दिए गए हैं :

एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.3 के अनुसार, " जिला प्राधिकारी ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान करेगा जो पात्र कार्यों का कार्यान्वयन गुणवत्तापूर्वक, समय पर और संतोषजनक रूप से

करने में सक्षम हो। जिला प्राधिकारी कार्य निष्पादन के मामले में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के स्थापित तरीकों से काम की जांच, तकनीकी कार्य का आकलन, निविदा एवं प्रशासनिक प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और ऐसे कार्यों के समय-समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। "

एमपीलैड्स दिशानिर्देश का पैरा 3.12 इस प्रकार है, "सभी अनुशंसित पात्र कार्य अनुशंसा की प्राप्ति की तिथि से 75 दिनों के भीतर सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् स्वीकृत किए जाने चाहिए। तथापि, जिला प्राधिकारी अनुशंसाओं की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अस्वीकृति, यदि कोई है, के संबंध में उनके कारणों सहित संसद सदस्यों को सूचित करेगा। "

"यदि इस खंड में उल्लिखित समय सीमाएं निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित आदर्श आचार संहिता के प्रचालन की अवधि के भीतर आती हैं, तो यह अवधि जो आदर्श आचार संहिता द्वारा अधिसूचित की गई है, समय-सीमाओं की गणना में शामिल नहीं की जाएगी।"

एमपीलैड्स दिशानिर्देश के पैरा 4.15 इस प्रकार है, " जिला प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए लागू राज्य सरकार के नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को निधियां जारी करेंगे।"

एमपीलैड्स दिशानिर्देश के पैरा 3.14 इस प्रकार है, "योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तर के अधिकारियों के पास होता है। इस योजना के अंतर्गत कार्यों के शीघ्र कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा जिले के अधिकारियों को पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए। जिला प्राधिकारियों को अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व सक्षम जिला अधिकारियों से कार्यों को तकनीकी रूप से अनुमोदित करवाने और वित्तीय प्राक्कलन तैयार करवाने का पूर्ण अधिकार होगा। कार्य स्वीकृत करने से पूर्व जिला प्राधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारियों से सभी अनापत्तियां प्राप्त कर ली गई हैं और कार्य दिशानिर्देशों के अनुरूप है।"

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि एमपीलैड्स के तहत कार्य संबंधित राज्य सरकार के तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय नियमों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं। इसलिए एमपीलैड्स के तहत कार्यों के निष्पादन की गति राज्य दर राज्य भिन्न होती है।"

<u>एमपीलैड्स निधि का उपयोग</u>

3.9 जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, एमपीलैड योजना दिशानिर्देशों के एक सेट द्वारा शासित होती है। इस संबंध में समिति ने यह जानना चाहा कि क्या मौजूदा दिशा-निर्देशों में ऐसा कोई प्रावधान है जो सांसदों को गैर-सरकारी संगठनों के लिए एमपीलैड्स निधि का उपयोग करने की अनुमति देता है। मंत्रालय ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया:

"न्यासों/सोसाइटियों/गैर-सरकारी संगठनों को निधियों के आबंटन से संबंधित एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के संगत उपबंध निम्नानुसार हैं –

इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियों/न्यासों के लिए सामुदायिक अवसंरचना और सार्वजनिक उपयोगिता निर्माण कार्य भी अनुमेय हैं, बशर्ते कि सोसायटी/न्यास सोसायटी सेवा/कल्याण कार्यकलाप में संलग्न हो और पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अस्तित्व में हो। सोसायटी / ट्रस्ट के अस्तित्व की गणना उस तारीख से की जाएगी जब उसने क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को शुरू किया था, या प्रासंगिक पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण की तारीख, जो भी बाद में हो। लाभार्थी सोसायटी / ट्रस्ट एक सुस्थापित, जनता के लिए काम करने वाली, गैर-लाभकारी इकाई होगी, जो इस क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित है। ऐसी सोसायटी/न्यास अच्छी तरह से प्रतिष्ठित है या नहीं, इसका निर्णय संबंधित जिला प्राधिकरण द्वारा संगत कारकों के आधार पर किया जाना चाहिए, जैसे कि सोसायटी सेवा के क्षेत्र में प्रदर्शन, कल्याणकारी गतिविधियां, इसकी गतिविधियों का गैर-लाभकारी अभिविन्यास, इसकी गतिविधियों की पारदर्शिता और अच्छी वित्तीय स्थिति।

भूमि का स्वामित्व सोसायटी/ट्रस्ट के पास रह सकता है, लेकिन एमपीलैड्स निधियों से निर्मित संरचना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की संपत्ति होगी। सोसायटी/ट्रस्ट एमपीलैड्स के तहत सृजित परिसंपत्ति को अपनी लागत पर संचालित करने, बनाए रखने और बनाए रखने का कार्य करेगा। यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि एमपीलैड्स निधियों के साथ बनाई गई परिसंपत्ति का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है जिसके लिए परिसंपत्ति को वित्त पोषित किया

गया था, तो राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार परिसंपत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है और सोसायटी / ट्रस्ट से वसूली करने के लिए पहल कर सकती है परिसंपत्ति के निर्माण के लिए एमपीलैड्स से होने वाली लागत सहमत कार्यों के लिए, एमपीलैड्स निधि के उपयोग की तारीख से 18% प्रति वर्ष ब्याज की दर के साथ गणना की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ सोसायटी/न्यास द्वारा सरकार के पक्ष में जिला प्राधिकरण के साथ एक औपचारिक करार पर पहले से ही हस्ताक्षर किया जाएगा। यह करार 10 रुपये या उससे अधिक के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर संबंधित पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा, जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में लागू होता है। पंजीकरण के लिए किसी स्टांप शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि परिसंपत्तियों का कोई औपचारिक हस्तांतरण नहीं है।

उस सोसायटी/ट्रस्ट के जीवनकाल में किसी विशेष सोसाइटी/ट्रस्ट के एक या अधिक कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधि से 50 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं किए जा सकते हैं। यदि किसी सोसायटी ने पहले ही 50 लाख रुपये तक की एमपीलैड्स निधियों का लाभ उठा लिया है, तो इस योजना के तहत उस सोसायटी/ट्रस्ट के लिए और अधिक निधियों की सिफारिश नहीं की जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से, एक सांसद एक वित्तीय वर्ष में एमपीलैड्स फंड से सोसायटी/ट्रस्ट के कार्यों के लिए केवल एक करोड़ रुपये तक की धनराशि की सिफारिश कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से पहले की अवधि के लिए माननीय सांसदों द्वारा की गई सिफारिश को उस अवधि के दौरान मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाना है।

एमपीलैड्स वित्तपोषण किसी सोसायटी/ट्रस्ट के लिए अनुमेय नहीं है, यदि सिफारिश करने वाला सांसद या उसके परिवार का कोई सदस्य प्रबंध समिति का अध्यक्ष/सभापति या सदस्य है या पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट का न्यासी है। परिवार के सदस्यों में सांसद और सांसदों के पति या पत्नी शामिल होंगे, जिसमें उनके माता-पिता, भाई और बहन, बच्चे, पोते और उनके पति या पत्नी और उनके ससुराल वाले शामिल होंगे। सांसद यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि न्यासों/सोसायटियों के सर्कुलर फंडिंग या म्यूचुअल फंडिंग से बचकर दिशानिर्देशों की भावना को बनाए रखा जाए।

इसके अलावा, जब किसी संसद सदस्य द्वारा किसी सोसायटी/ट्रस्ट के लिए निधि की सिफारिश की जाती है और मंजूरी से पहले जांच के लिए दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक स्पष्टीकरण/दस्तावेज जिला अधिकारियों द्वारा मांगे जाते हैं, तो उक्त सोसायटी/ट्रस्ट को जिला प्रशासन से पत्र प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अधिकतम अवधि के भीतर अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए।

तीन माह की अवधि के बाद भी दस्तावेज नहीं मिलने पर जिला प्रशासन एक माह के भीतर दो रिमाइंडर भेज सकता है। यदि अभी भी अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, तो सांसद द्वारा सोसायटी/ट्रस्ट के प्रति की गई सिफारिश को जिला प्रशासन द्वारा रद्द माना जा सकता है और इसकी सूचना सिफारिश करने वाले सांसद को दी जा सकती है।

सर्वाधिक वंचित वर्गों के लिए शिथिल प्रावधान: उन ट्रस्टों / सोसायटियों के लिए जो अनाथों के लिए धर्मार्थ आवासीय घर चलाते हैं (अनाथालय / यतीमखाना), वृद्ध / वृद्ध व्यक्तियों के लिए धर्मार्थ आवासीय घर, विधवाओं के लिए धर्मार्थ आवासीय घर, कुष्ठ रोगियों के लिए धर्मार्थ आवासीय घर / कॉलोनियां, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए धर्मार्थ आवासीय घर, स्पास्टिक / मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए धर्मार्थ आवासीय घर या बहरे और गूंगे बच्चों के लिए धर्मार्थ आवासीय घर, अपने जीवनकाल में 50 लाख रुपये तक की एमपीलैड निधि प्राप्त करने की सीमा को 1 करोड़ रुपये तक कर दिया जाएगा। इस छूट वाली व्यवस्था के तहत एमपीलैड्स से प्राप्त कुल निधियों का उपयोग केवल पूर्व में उल्लिखित धर्मार्थ और आवासीय घर /कॉलोनी में और उसके लिए किया जाएगा (न कि संबंधित ट्रस्ट / सोसाइटी के किसी अन्य उद्देश्य के लिए)। और निधियों का उपयोग केवल-दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 में दिए गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

दोनों सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और ट्रस्टों/सोसाइटियों द्वारा चलाए जाते हैं, दिशानिर्देशों के तहत सभी अनुमेय मदों के लिए एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने के लिए पात्र हैं; संबंधित शैक्षिक संस्थान को चलाने वाले विशेष ट्रस्ट/सोसाइटी को दिशानिर्देशों (पैरा 3.21) के तहत ट्रस्टों/सोसाइटियों पर लगाई गई अधिकतम सीमा द्वारा शासित किया जाएगा। अपने जीवन काल में एक विशेष ट्रस्ट / सोसायटी को 50 लाख रुपये की राशि (साथ ही यह भी कि एक माननीय सांसद एक वित्तीय वर्ष में सभी ट्रस्टों / सोसाइटियों को मिलाकर केवल 1 करोड़ रुपये तक की सिफारिश कर सकता है)]

केवल जनजातीय क्षेत्रों में ही खर्च किए जाने हेतु 25 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि: जनजातीय लोगों की बेहतरी के लिए न्यासों और सोसायटियों को प्रोत्साहित करने के लिए, पैरा 3.21.2 में न्यासों और सोसाइटियों द्वारा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए निर्धारित 50 लाख रुपए की राशि को निम्न शर्तों के अध्यधीन 50% बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया जाएगा (क) सामुदायिक निर्माण कार्य मुख्यरूप से जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के लाभ के लिए है। (ख) शुरू किए गए कार्यों और लाभार्थी

न्यास/सोसायटी को एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों की अन्य सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए। उसके रिकॉर्ड, आदि सुप्रतिष्ठित हो और वह समुदाय / जनता की भलाई के प्रति समर्पित हो।

सहकारी समितियां:

i. सहकारी समितियां एमपीलैड्स के अंतर्गत पंजीकृत न्यासों/समितियों के समान सहायता की पात्र होंगी।

ii. सहकारी समिति पिछले 3 वर्षों से अस्तित्व में होनी चाहिए और, जिला प्राधिकरण की राय में, प्रदर्शन और रिकॉर्ड आदि के उद्देश्य मूल्यांकन के आधार पर, सुप्रतिष्ठित और समुदाय / सार्वजनिक भलाई के लिए समर्पित होना चाहिए।

iii. सहायता केवल सामुदायिक अवसंरचना और जनोपयोगी निर्माण कार्यों के लिए होगी (जो पैरा 3.21 के तहत ट्रस्टों/सोसाइटियों के लिए अनुमत हैं)।

iv. एमपीलैड्स निधि से निर्मित संरचना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की संपत्ति होगी। (दिशानिर्देशों का पैरा 3.21.1 यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा)

v. ट्रस्टों/सोसाइटियों को सहायता के लिए ऊपरी सीमा (एक विशेष ट्रस्ट/सोसाइटी को उसके जीवनकाल में 50 लाख रुपये और एक साल में एक सांसद द्वारा सभी ट्रस्टों/सोसाइटियों को 1 करोड़ रुपये) लागू होगी। (दिशानिर्देशों का पैरा 3.21.2 यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा)

vi. सिफारिश करने वाला सांसद या उसके परिवार का कोई सदस्य सहकारी समिति का पदाधिकारी या सदस्य या संरक्षण वाला नहीं होना चाहिए। सांसदों द्वारा म्युचुअल फंडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। (दिशानिर्देशों का पैरा 3.21.3 यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा)

vii. कार्य (बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक उपयोगिता भवनों के) पूरी तरह से गैर-वाणिज्यिक प्रकृति के होने चाहिए।

viii. काम बड़े पैमाने पर समुदाय या जनता के लिए होना चाहिए। व्यक्तिगत या पारिवारिक लाभ की अनुमति नहीं होगी।

ix. सार्वजनिक और सामुदायिक योगदान के लिए एमपीलैड्स निधियों के प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं होगी (दिशानिर्देशों का पैरा 3.20 लागू होगा)

x. कार्यों को सृजनात्मक उपयोग में लाया जाएगा। उनके रखरखाव और संचालन की लागत प्राप्तकर्ता सहकारी समिति की जिम्मेदारी होगी।

xi. सहकारी समितियों के कार्यालय और आवासीय भवनों की अनुमति नहीं होगी। कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आश्रय:

कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आश्रयों की अनुमति एमपीलैड्स की मूल योजना के अनुरूप होगी, इस शर्त के साथ कि:

क. वे केवल निम्न के लिए स्वीकार्य होंगे:

1. सरकार/सरकारी संस्थान (एमपीलैड्स के सामान्य आशय के अनुसार); तथा
2. पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटियां (एमपीलैड्स पर दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 के अनुसार)।

ख. दोनों ही मामलों में:

1. **वाणिज्यिक गतिविधि निषिद्ध होगी;**
2. **केवल ऐसे आश्रयों की अनुमति दी जाएगी जो विशेष कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से उपयुक्त और विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं।**
3. आश्रय ऐसे भी हो सकते हैं, जिन्हें तोड़ा जा सकता है, ले जाया जा सकता है और मजबूती से दोबारा खड़ा किया जा सकता है और किसी अन्य स्थान पर पुन: उपयोग किया जा सकता है।
4. एमपीलैड्स के तहत बनाए गए आश्रयों को एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों के पैरा 3.21 के तहत प्राप्तकर्ता सरकारी संस्थान या पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी के स्टॉक-रजिस्टर में विधिवत दर्ज किया जाएगा। राज्य सरकार के नियमों, दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार जिला प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा।

3.10 मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ट्रस्ट/सोसाइटी के लिए किए जाने वाले कार्यों में प्रत्येक ट्रस्ट/सोसाइटी के जीवनकाल के लिए ₹50 लाख की सीमा है। एक सांसद एक वित्तीय वर्ष में न्यासों/सोसायटियों के कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधि से केवल ₹100 लाख तक की राशि की सिफारिश

कर सकता है। इस संबंध में समिति ने बताया कि कुछ ऐसी समितियां हैं जिनमें लगभग 100 स्कूल हैं, लेकिन मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, इन सभी स्कूलों को ₹50 लाख की सीमा के साथ सहायता करना संभव नहीं है। इस विशिष्ट बिंदु का उत्तर देते हुए, मंत्रालय ने निम्नानुसार कहा:

"एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का पैरा 3.21.2 निम्नानुसार निर्धारित करता है, "उस सोसाइटी/ट्रस्ट के जीवनकाल में किसी विशेष सोसाइटी/ट्रस्ट के एक या अधिक कार्यों के लिए एमपीलैड्स फंड से ₹50 लाख से अधिक खर्च नहीं किया जा सकता है। यदि कोई सोसायटी पहले ही ₹50 लाख तक एमपीलैड्स निधि का लाभ उठा चुकी है, तो योजना के तहत उस सोसाइटी/ट्रस्ट के लिए और अधिक धनराशि की अनुशंसा नहीं की जा सकती हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 से, एक सांसद एक वित्तीय वर्ष में समितियों/न्यासों को कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधि से केवल ₹ एक करोड़ तक की धनराशि की सिफारिश कर सकता है।

तथापि, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का पैरा 3.21.5 निम्नानुसार निर्धारित करता है,

"ट्रस्ट/सोसाइटियों के लिए जो अनाथों के लिए धर्मार्थ आवासीय घर (अनाथालय / यतीमखाना) चलाते हैं, वृद्ध / वृद्ध व्यक्तियों के लिए धर्मार्थ आवासीय घर, विधवाओं के लिए धर्मार्थ आवासीय घर, कोढ़ी के लिए धर्मार्थ आवासीय घर / कॉलोनियां, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए धर्मार्थ आवासीय घर, धर्मार्थ आवासीय घर स्पास्टिक/मानसिक रूप से मंद बच्चों या मूक-बधिर बच्चों के लिए धर्मार्थ आवासीय घरों के लिए, उनके जीवनकाल में ₹50 लाख तक एमपीलैड्स निधि प्राप्त करने की सीमा को शिथिल करके ₹1 करोड़ कर दिया जाएगा। इस रियायती व्यवस्था के तहत एमपीलैड्स से प्राप्त कुल धनराशि का उपयोग केवल ऊपर उल्लिखित धर्मार्थ और आवासीय घर/कॉलोनी में किया जाएगा (और संबंधित ट्रस्ट/सोसाइटी के किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं)"।

"एमपीलैड्स दिशानिर्देश उस सोसाइटी/ट्रस्ट के जीवनकाल में किसी विशेष सोसाइटी/ट्रस्ट के एक या अधिक कार्यों के लिए एमपीलैड्स फंड से खर्च की जा सकने वाली राशि की ऊपरी सीमा तय करता है। स्कूलों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।"

3.11 समिति द्वारा एक विशिष्ट प्रश्न उठाया गया था कि यदि विद्यमान दिशा-निर्देशों में कोई ऐसा प्रावधान है जो पूर्ववर्ती संसद सदस्य को आवंटित निधियों का उपयोग करके उत्तराधिकारी संसद सदस्य को पूर्ववर्ती संसद सदस्य के कार्यकाल के दौरान सिफारिश किये गये और शुरु किये गये परित्यक्त कार्य को पूरा करने

की अनुमति देता है तथा संसद सदस्य जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है को जारी निधि के बारे में पूछा गया। इस संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत् उत्तर दिया:-

"एमपीलैड्स दिशानिर्देश के पैरा 3.13 में निम्नानुसार कहा गया हैं, "स्वीकृत पत्र/आदेश में कार्यान्वयन एजेंसी के लिए कार्य समापन की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी। कार्य समापन के लिए समय-सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी विशेष मामले में,जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष की सीमा को पार कर जाता है, स्वीकृति पत्र/आदेश में उसके लिए विशेष कारण शामिल किए जाएंगे। स्वीकृति पत्र/आदेश में राज्य सरकार की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में असफल रहे पर कार्यान्वयन एजेंसी के विरुध्द उचित कार्र्वाई की शर्त भी शामिल की जाएगी। संबंधित संसद सदस्य की स्वीकृति पत्र/आदेश की प्रति भेजी जाएगी।"

एक स्थायी सिद्धांत के रूप में, जिला प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत कार्यों को एक बार अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए । यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर काम पूरा नहीं होता है, तो एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.3.1 को लागू किया जा सकता है, जिसमें निम्नानुसार निर्धारित है, "यदि अभी भी योजना के तहत कोई भी परित्यक्त /निलंबित एमपीलैड्स कार्य मौजूद है, इसे राज्य सरकार द्वारा अपनी स्वयं की निधियों से पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार इस संबंध में उत्तरदायित्व भी निश्चित करेगी तथा चूककर्ता पदधारियों के विरुध्द आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। जिला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निधियों का उपयोग अवश्य ही इस प्रकार होना चाहिए जैसाकि पहले स्वीकृत किया गया था ताकि निधियों के आवंटन की द्विरावृत्ति न हो।"

यह संसद के उत्तराधिकारी संसद सदस्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह अपने पूर्ववर्ती के परित्यक्त परियोजना या कार्य को पूरा करने के लिए अपने एमपीलैड्स निधि से राशि की सिफारिश करे। नये संसद सदस्य को अपने लेटरहेड पर औपचारिक रूप से ऐसा करने के लिए अपनी सहमति देने के बाद ही, जिला प्राधिकारियों द्वारा परित्यक्त कार्य के लिए, नए संसद सदस्य को एमपीलैड्स निधि से राशि की अनुमति तभी दी जाएगी।

एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का निरूपण इस प्रकार किया गया है कि, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इतना लगन से कार्यों का निष्पादन करने पर, शेष राशि / बचत एक महीने के भीतर कार्यान्वयन एजेंसी से जिला प्राधिकारियों को वापस कर दी जाती है।

उत्तराधिकारी संसद सदस्य द्वारा पूर्ववर्ती संसद सदस्य के निधियों का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है। पूर्ववर्ती संसद सदस्य के सभी पात्र कार्यों को पूरा करके और पूर्ववर्ती संसद सदस्य के बैंक खाते को बंद करके और पूर्ववर्ती संसद सदस्य के बैंक में रखी शेष धन राशि को उत्तराधिकारी सांसद के बैंक खाते में अंतरित करने के बाद ही पूर्ववर्ती संसद सदस्य के अव्ययित धन राशि का उचित उपयोग उत्तराधिकारी संसद सदस्य द्वारा किया जा सकता है। "निधियों के अप्रमाणित शेष राशि का अंतरण/ वितरण और खातों को बंद करना", विस्तृत तौर पर यह सभी कार्य जिला प्राधिकारी द्वारा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 4.7 से 4.10.1 पर विवरण में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना है।

कोविड-19 महामारी के लिये एमपीलैड्स निधि का उपयोग

3.12 देश में कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति मंत्रालय से एम्बुलेंस के लिये अनुदान, पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य कोई मेडिकल आपूर्ति उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिये जाने सहित विशेषकर कोविड-19 संबंधी एमपीलैड्स निधियों के आवंटन और उपयोग के संबंध में हाल ही के दिनों में मंत्रालय द्वारा जारी सभी परिपत्रों/अधिसूचनाओं/दिशानिर्देशों/आदेशों के नवीनतम ब्यौरों के बारे में जानना चाहती थी और क्या सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, नगरपालिका अस्पतालों के अतिरिक्त अन्य संगठनों को दिये जाने वाले अनुदानों पर कोई प्रतिबंध था। इस संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:-

"(i) सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में स्वतंत्र ऑक्सीजन निर्माण संयंत्रों की स्थापना सहित कोविड - 19 महामारी की रोकथाम के लिए परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए एमपीलैड्स फंड के उपयोग पर दिनांक 30-04-2021 का परिपत्र और दिनांक 13.05.2021 का शुद्धिपत्र परिशिष्ट चार पर है।

(ii) एम्बुलेंसों के लिए एमपीलैड्स से अनुदान के संबंध में, यह कहा गया है कि इस पर पहले से ही संसद सदस्य की सिफारिश पर जिले के जिला प्राधिकारियों/जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एम्बुलेंस

खरीदने की अनुमति है [एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2016 का पैरा-3.25]। हालांकि, निजी संगठनों के माध्यम से एम्बुलेंस/शव वाहन सेवाओं का संचालन, जो एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2012 के पैरा 3.25 के तहत अनुमत था, को मंत्रालय के परिपत्र संख्या सी-66/2011-एमपीएलएडीएस-खंड-III, दिनांक 5-6-2015 के तहत वापस ले लिया गया है। वर्ष 2016 में जारी किए गए एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में निजी संगठन के माध्यम से एम्बुलेंस/शव वाहनों के संचालन का प्रावधान शामिल नहीं है। अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों को दिए जाने वाले अनुदान पर एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अन्य प्रासंगिक प्रावधान निम्नलिखित हैं:

एमपीलैड्स दिशानिर्देश वाहनों की खरीद की अनुमति देता है, जिसमें केंद्र, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और स्थानीय स्वशासी अस्पतालों के लिए उपकरण शामिल हैं।

जब भी कोई संसद सदस्य सरकारी अस्पतालों के निर्माण के लिए पूंजीगत कार्यों हेतु एक नए प्रस्ताव की सिफारिश करता है, तो वह चल वस्तुओं (जैसे फर्नीचर, उपकरण और गैर-उपभोज्य) की खरीद की सिफारिश कर सकता है। प्रस्ताव अनिवार्य रूप से पूंजीगत कार्यों के लिए होना चाहिए और चल वस्तुओं (फर्नीचर, उपकरण आदि) पर संबद्ध व्यय कुल लागत के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

आवश्यक जीवन रक्षक भवनों अर्थात सरकारी अस्पतालों को पुनः संयोजन कार्य की अनुमति है।"

3.13 इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि सरकार ने माननीय संसद सदस्यों से यह अनुरोध किया है कि वे कोविड-19 उपचार जैसे कि कोविड-19 महामारी का पता लगाने, रोकने और उपचार के लिये आवश्यक चिकित्सा परीक्षा, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं हेतु अपने एमपीलैड्स निधि से एक करोड़ रुपये आबंटित करें; मंत्रालय से यह भी पूछा गया कि वह उक्त उद्देश्य के लिये अपनी एमपीलैड्स निधि आबंटित करने वाले संसद सदस्यों की संख्या और नामों के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोविड-19 उपचार के लिये उपयोग की जा रही एमपीलैड्स निधि के ब्यौरे तथा मात्रा के बारे में बताये।

"मार्च, 2020 माह में संसद सदस्यों से अनुरोध प्राप्त किए गए हैं जिसमें कोविड-19 जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया गया है । कोविड-19 के विरूद्ध चल रही लड़ाई में सहायता देने के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत चिकित्सीय जांच और स्क्रीनिंग जैसी सुविधाओं को शामिल किया जाए ।

(क) तदनुसार, मंत्रालय ने कुछ शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में कोविड-19 के संबंध में जांच, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं की खरीद/स्थापना के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत दिनांक 24 मार्च, 2020 के अपने परिपत्र सं. ई-4/2020-एमपीलैड्स (भाग) द्वारा एकबारगी छूट प्रदान की है । इस प्रकार के योगदान के लिए कोई उच्च सीमा नहीं थी ।

(ख) मंत्रालय ने दिनांक 28 मार्च, 2020 के अपने परिपत्र सं ई-4/2020-एमपीलैड्स (भाग III) के द्वारा विशेष अनुदेश जारी किए हैं जिसके माध्यम से पदासीन संसद सदस्य ऐसी निधि/केंद्र सरकार पूल या लेखाध्यक्ष (केंद्र सरकार द्वारा यथा निश्चित) को/के माध्यम से पात्र किस्तों में से एक निर्धारित प्रारूप में केवल कोविड-19 के लिए एमपीलैड्स निधि को जारी करने की सिफारिश कर सकती है । मंत्रालय सम्मत राशि काट लेगा और शेष राशि संबंधित नोडल जिला प्राधिकारी को जारी करेगा । इसके अतिरिक्त, किस्त के पात्र हिस्से की निर्मुक्ति को सुकर बनाने के लिए, मंत्रालय ने पूर्व संसद सदस्यों को छोड़कर पदासीन संसद सदस्यों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पीयूसी, एयूसी, यूसी प्रस्तुत करने में एकमुश्त छूट भी प्रदान की ।

(ग) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल, 2020 को आयोजित की गई अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए एमपीलैड्स योजना का संचालन न करने और तद्नुसार कोविड-19 और समाज पर इसके बुरे प्रभाव की चुनौतियों के प्रबंधन में सरकार के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु एमपीलैड योजना के लिए वार्षिक बजटीय आबंटन को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के निपटान पर रखा गया । मंत्रालय ने इस संबंध में इसे अधिसूचित किया और दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के अपने परिपत्र सं. ई-4/2020-एमपीलैड्स (भाग-II) के द्वारा अनुदेश जारी कर माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी सिफारिशों को प्राथमिकता दें, जहां कहीं व्यवहार्य हो, क्योंकि एमपीलैड्स के अंतर्गत किस्तें जारी नहीं की जाएंगी । जिला प्राधिकारियों से भी यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि वे सदस्यों की सिफारिशों के निष्पादन के लिए लागत को उनके पास पहले से उपलब्ध निधियों से पूरा करें या पहले से संस्तुत कार्यों को रद्द करें ।

(घ) इस परिपत्र के द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2020 के पिछले परिपत्र को अनावश्यक पाए जाने पर रद्द कर दिया था ।

(ड.) चूंकि क्षेत्रीय स्तर पर एमपीलैड योजना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और संसद सदस्य संबंधित नोडल जिला प्राधिकारियों को कार्यों/परियोजनाओं की संस्तुतियां भेजते

हैं, मंत्रालय द्वारा कार्य-वार विस्तृत स्थिति का केंद्रीय रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता है । इसलिए, कोविड-19 के संबंध में जांच, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं की खरीद/स्थापना के लिए एमपीलैड्स निधियों का ब्यौरा मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है ।"

अन्य संस्थानों से अनुरोध

3.14 समिति यह जानना चाहती थी कि क्या मंत्रालय को मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन करने के लिए सांसदों से कोई प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं जो सांसदों को मामले की तात्कालिकता/महत्व को ध्यान में रखते हुए मौजूदा दिशानिर्देशों में निर्धारित के अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थानों को एमपीलैड निधि की कुछ राशि स्वीकृत करने की अनुमति दे सकते हैं। एमओएसपीआई ने निम्नवत उत्तर दिया:

> "नहीं, इस मंत्रालय को एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में संशोधन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जो सदस्यों को केवल विशेष संस्थान के लिए कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाता है।"

माननीय सांसदों के लिए सुविधा केन्द्र

3.15 मंत्रालय ने समिति को अवगत कराया कि जिला कलेक्टर कार्यालय में सुविधा केन्द्र का प्रावधान है। उपस्कर, फर्नीचर आदि सहित ऐसी सुविधाओं की स्थापना की पूंजीगत लागत 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और इसे एमपीलैड्स निधियों से पूरा किया जाएगा। सुविधा केन्द्रों का मुख्य कार्य सभी सांसदों को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक एक ही स्थान पर सभी जानकारी प्रदान करना होगा। यदि किसी जिले को एक से अधिक सांसदों द्वारा चुना गया है, तो सुविधा केंद्र सभी सांसदों को सेवा प्रदान करेगा। ये सुविधा केन्द्र जिला प्राधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करेंगे और केन्द्र के प्रबंधन के लिए पर्याप्त कंप्यूटर प्रचालन ज्ञान वाले व्यक्ति को अनुबंध पर रखा जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को दो प्रतिशत प्रशासनिक प्रभारों के साथ अनुबंध फर्म की आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगाया जा सकता है। यह भी बताया गया कि यदि डाटा एंट्री ऑपरेटर को नियुक्त किया जाता है, तो उसकी नियुक्ति पूरी तरह से नैमेत्तिक, आउटसोर्स, संविदात्मक होगी, यह किसी भी पद के स्थान पर नहीं होगी और किसी भी रूप में इसे सरकारी रोजगार के रूप में नहीं माना जाएगा। यह भी बताया गया कि भविष्य में राज्य सरकार अथवा केंद्र पर कोई प्रशासनिक अथवा कानूनी अथवा वित्तीय दायित्व नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी जिला प्राधिकारी की होगी।

3.16 यह पूछे जाने पर कि क्या इस सुविधा केंद्र का लाभ उठाना अनिवार्य है और क्या इस सुविधा का लाभ नहीं उठाने के इच्छुक किसी सांसद के एमपीलैड निधि से भी 2% प्रशासनिक शुल्क काटा जाएगा, तो एमओएसपीआई ने निम्नवत बताया:

"नहीं, सुविधा केंद्रों का लाभ उठाना अनिवार्य नहीं है। यह दोहराया जाता है कि उपस्कर, फर्नीचर आदि सहित ऐसे सुविधा केन्द्रों की स्थापना की पूंजीगत लागत 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और इसे एमपीलैड्स निधियों से पूरा किया जाना है और यह 2% प्रशासनिक प्रभारों में समावेशी नहीं है।

यदि कोई सांसद सुविधा केन्द्र का लाभ नहीं उठा रहा है, तो भी सदस्य को जारी की गई प्रत्येक किस्त में से 2% प्रशासनिक व्यय काटा जाना जारी रहेगा। नोडल जिला, कार्यान्वयन जिला और राज्य नोडल विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यय से किए जाने वाले कार्यों और कर्तव्यों की सीमा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 4.17 (II) में स्पष्ट रूप से दी गई है। ऐसे कुछ कार्य हैं- खातों के संचालन के लिए सेवाओं/परामर्शदाताओं को नियुक्त करना, आंकड़े अपलोड करना आदि, इस योजना के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और चल रहे और पूर्ण कार्यों के बारे में सूचना का प्रसार करना, स्टेशनरी की खरीद, एमपीलैड्स आयोजना/निगरानी के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर सहित कार्यालय उपकरण, टेलीफोन/फैक्स/डाक प्रभार आदि।

प्रशासनिक व्यय नियमित व्यय हैं जो इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक हैं और इसे सुविधा केंद्रों की स्थापना की पूंजीगत लागत के समान नहीं माना जा जाए।"

3.17 मंत्रालय ने आगे बताया कि 2% प्रशासनिक व्यय एक सांसद की 5 करोड़ रुपये की वार्षिक पात्रता का हिस्सा हैं। माननीय सदस्य के संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रत्येक किस्त से 2% प्रशासनिक व्यय को नोडल जिला प्राधिकारी, कार्यान्वयन जिला प्राधिकारी और राज्य नोडल विभाग के बीच इस प्रकार साझा किया जाता है: 02% राज्य नोडल विभाग को आवंटित किया जाता है, 1% कार्यान्वयन जिले को आवंटित किया जाता है और 0.8% नोडल जिले द्वारा रखा जाता है।

3.18 समिति के इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या 2% प्रशासनिक प्रभारों के उचित/उपयुक्त उपयोग की निगरानी करने या उस पर नजर रखने के लिए कोई तंत्र है, एमओएसपीआई ने निम्नानुसार बताया:

"एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 4.17 में भाग III के अनुसार, एक राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रशासनिक निधियों के लिए एक अलग बैंक खाता खोला जाएगा और साथ ही राज्य स्तर पर नोडल विभाग द्वारा साथ ही नोडल जिले और कार्यान्वयन जिले द्वारा भी वर्ष के दौरान किए गए प्रशासनिक व्यय के लिए एक अलग रोकड़ बही रखी जाएगी।

उपयोग प्रमाण पत्र के उद्देश्य के लिए, नोडल जिले द्वारा एक बार वितरित किए जाने वाले प्रशासनिक व्ययों को व्यय के रूप में माना जाएगा और इन व्ययों के लिए अलग से उपयोग प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।"

3.19 पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा किए गए प्रशासनिक प्रभारों का सुविधा-वार ब्योरा और प्रशासनिक प्रभारों के लिए प्रदान की जा रही सुविधाओं पर व्यय सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के ब्योरे के संबंध में एमओएसपीआई ने निम्नलिखित जानकारी दी:

"नोडल जिले, कार्यान्वयन जिले और राज्य नोडल विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यय से किए जाने वाले कार्य और कर्तव्य एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 4.17 (II) में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं।

"उपयोग प्रमाण पत्र के उद्देश्य के लिए, नोडल जिले द्वारा एक बार वितरित किए जाने वाले प्रशासनिक व्ययों को व्यय के रूप में माना जाएगा और इन व्ययों के लिए अलग से उपयोग प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक व्यय जिला प्राधिकारियों और राज्य सरकारों द्वारा फिल्ड स्तर पर किए जाने हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य एमपीलैड्स को बेहतर ढंग से कार्यान्वित करना है। इस प्रकार, प्रशासनिक व्यय से खरीदी/उपगत की गई सुविधाओं के ब्योरे मंत्रालय द्वारा नहीं मांगे जाते हैं।

मंत्रालय ने अपने परिपत्र संख्या सी-42/2011 दिनांक 08.08.2011 के माध्यम से राज्य के नोडल विभागों और जिला प्राधिकारियों को प्रशासनिक व्ययों से किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में बताया। योजना के उचित कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रशासनिक व्ययों के उपयोग को मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्षिक समीक्षा बैठकों और विभिन्न अन्य मंचों के दौरान, विशेष रूप से माननीय एमओएसपीआई की अध्यक्षता में 27.03.2018 को आयोजित राज्यसभा सदस्यों के साथ ओपन हाउस चर्चा के दौरान दोहराया गया है।"

3.20 यह पूछे जाने पर कि क्या एमपीलैड्स निधि से 2% प्रशासनिक प्रभारों की कटौती को बंद करना व्यवहार्य है और इस संबंध में मंत्रालय द्वारा प्राप्त सुझावों का विवरण और साथ ही इस तरह के सुझाव पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, एमओएसपीआई ने निम्नानुसार बताया:

"मंत्रालय को अब तक प्रशासनिक व्ययों को बंद करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके विपरीत, मंत्रालय को उन कार्यों की मौजूदा सीमा को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन्हें प्रशासनिक व्यय से किया जा सकता है। 17.01.2020 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एमपीलैड्स पर 22वीं वार्षिक समीक्षा बैठक के दौरान, मंत्रालय को ऐसे सुझाव प्राप्त हुए। प्रशासनिक व्यय पर सुझावों को एमपीलैड्स कार्यों के तृतीय पक्ष के वास्तविक मूल्यांकन के लिए चयनित एजेंसी द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट में फीडबैक के आधार पर जांच के लिए लिया जाएगा।"

अव्ययित शेष का उपयोग

3.21 वित्तीय वर्ष 2019-20 और पिछले वर्षों के लिए एमपीलैड्स निधियों को जारी नहीं किए जाने के मुद्दे और इसके परिणामस्वरूप योजना के तहत विभिन्न चल रही परियोजनाओं/कार्यों और अन्य प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए लगी संबंधित एजेंसियों/ठेकेदारों के लिए लंबित भुगतान के मुद्दे के संबंध में, सचिव, एमओएसपीआई ने मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति के समक्ष निम्नानुसार बताया: -

"..... मैं माननीय समिति के समक्ष यह कहना चाहूंगा कि हमारी एक सीमा है, चूंकि, हमें प्राप्त होने वाली अधिकांश सिफारिशों का राजकोषीय निहितार्थ है अतः, मुझे इसे सरकार के कार्य नियमों के अनुसार वित्त मंत्रालय की सहमति के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तदनुसार, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने पहले की बैठक में और हमारे लिखित उत्तर में भी उल्लेख किया था, इन दो वर्षों में जब यह योजना गैर-प्रचालनात्मक थी, तब बड़ी संख्या में माननीय सांसदों ने हमसे निधियों की कतिपय राशि, विशेषरूप से वे किस्तों, जो पूर्व में पहले से ही देय हैं और कतिपय अन्य अनिवार्यताओं के लिए निधियां प्रदान करने का अनुरोध किया है। हमने इसे वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया है। मैं सभी माननीय सदस्यों को हमें मिले उत्तर से अवगत कराना चाहूंगा। पहली बात - किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अव्ययित शेष है तो इसका उपयोग किया जाए। तदनुसार, हमने सभी प्राधिकारियों और सभी माननीय सदस्यों को पत्र लिखा है। हमने पुनः कुछ अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की है। मैं अभी यह कह सकता हूं कि हम वित्त मंत्रालय के

समक्ष उन समस्याओं को उठाना जारी रखेंगे जिनका हम सामना कर रहे हैं। यदि माननीय समिति कोई सिफारिशें आदि करती है, तो हम उस पर विचार करने का प्रयास करेंगे। मंत्रिमंडल का निर्णय यह था कि इन दो वर्षों में यह योजना गैर-प्रचालनात्मक होगी। कुछ प्रश्न थे कि इस अवधि के दौरान देय किस्त बाद में दी जाएगी या नहीं, या उन कुछ सांसदों के लिए वास्तविक स्थिति क्या होगी, जिनका कार्यकाल दो साल की इस अवधि के दौरान समाप्त हो रहा है। हमने वित्त मंत्रालय को फिर से पत्र लिखा है और उनसे पत्र-व्यवहार चल रहा है। हम आपके सुझाव को उनके समक्ष उठाएंगे। चूंकि निर्णय लेना संभव नहीं हो पाया है, इसलिए सभी संबंधितों को सूचित कर दिया गया है कि उपलब्ध शेष राशि का उपयोग किया जाना है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ।

3.22 जब मंत्रालय के सभी लिखित पत्राचार का ब्योरा सभी जिला प्राधिकारियों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिसमें उन पर कार्यों को पूरा करने में तेजी लाने, पूर्व सदस्यों के खातों के निपटान/बंद करने और मौजूदा सदस्यों (एलएस/आरएस) के बीच निधियों की अव्ययित शेष राशि के हस्तांतरण/पुनर्वितरण संबंधी आग्रह किया गया, तो एमओएसपीआई ने उत्तर दिया: -

मंत्रालय द्वारा सभी जिला प्राधिकारियों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी किए गए परिपत्र, जिसकी प्रतियां सांसदों को जारी की गई है, उसमें उन पर कार्यों को पूरा करने में तेजी लाने, पूर्व सदस्यों के खातों के निपटान/बंद करने और निवर्तमान सदस्यों (लोक सभा/राज्य सभा) के बीच अव्ययित शेष निधियों के अंतरण/पुनर्वितरण के लिए किए गए अनुरोध, परिशिष्ट पांच में हैं।

3.23 संबंधित नोडल प्राधिकारियों के पास वर्तमान में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिले-वार उपलब्ध एमपीलैड निधि का विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

"टेलीफोन, ई-मेल और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नोडल विभागों को पत्रों के द्वारा जिला प्राधिकारियों के साथ कठोर अनुपालन के माध्यम से 19 नवम्बर, 2020 को हुई प्राक्कलन समिति की बैठक के बाद मंत्रालय ने जिला प्राधिकारियों के पास उपलबध निधि की मात्रा का व्यापक और इन-हाउस आकलन किया है। लोक सभा के 545 निर्वाचन क्षेत्रों में से 481 निर्वाचन क्षेत्रों से आंकड़े प्राप्त किए गए हैं और इसका विवरण निम्नानुसार हैं:

जिलों के पास उपलब्ध निधि- ₹ 1250.30 करोड़

प्रतिबद्ध देयता - ₹ 1550.71 करोड़

शेष राशि =₹ (-)300.4 करोड़

जिसमें से

निवर्तमान सांसदों (17वीं लोक सभा) की शेष राशि = ₹ 59.5 करोड़

पूर्व सांसदों (17वीं लोकसभा) की शेष राशि = ₹-359.9 करोड़

राज्य सभा के 193 नोडल जिलों में से 169 नोडल जिलों से आंकड़े प्राप्त हुए हैं और उनका विवरण निम्नानुसार हैं-

जिलों के पास उपलब्ध निधि- ₹ 369.12 करोड़

प्रतिबद्ध देयता - ₹ 788.56 करोड़

शेष राशि =₹ (-)419.44 करोड़

जिसमें से

निवर्तमान सांसदों की शेष राशि - ₹ -147.34 करोड़

पूर्व सांसदों की शेष राशि- ₹-272.1 करोड़

निधियों का समुचित उपयोग न होना

3.24 मंत्रालय ने समिति को अवगत कराया कि एमपीलैड्स निधि के समुचित उपयोग न होने के लिए जिम्मेदार विभिन्न समस्या/पहलू हैं जो निम्नानुसार हैं:

क. एमपीलैड्स के तहत निधियां जारी करना सख्ती से निधि से संबंधित मानदंडों को पूरा करने और निधि से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और जांच में दस्तावेजों के नियमानुसार पाए जाने के अध्यधीन है। जिला प्राधिकारियों द्वारा मंत्रालय को जारी करने के लिए अपेक्षित निधि से संबंधित दस्तावेज जैसे उपयोग प्रमाण पत्र, अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी के परिणामस्वरूप लंबित किश्तों को जारी करने में देरी होती है।

ख. समय-समय पर विधानसभा/स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करने से एमपीलैड्स के संचालन में निष्क्रियता की अवधि पैदा होती है, जिसके दौरान नए कार्यों का निष्पादन रुक जाता है, जिसका असर नोडल जिला अधिकारियों द्वारा मंत्रालय को निधि से संबंधित दस्तावेजों को जमा करने पर पड़ता है।

ग. एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 3.13 के अनुसार कार्य को पूरा करने संबंधी अवधि सामान्यत: एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चूंकि एमपीलैड्स राज्य-विशेष प्रशासन, वित्तीय और तकनीकी नियमों के अनुसार फिल्ड स्तर पर कार्यान्वित की जाती है, भूमि संबंधी मामलों को समय पर न सुलझा पाने के कारण एमपीलैड्स के तहत परियोजना/ कार्यों का कार्यान्वयन/मंजूरी की गति प्रभावित होती है।

घ. कुछ अवसरों पर, सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशें एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार नहीं होती हैं, जिसके कारण जिला प्राधिकरण की ओर से ऐसी सिफारिशों पर अनिर्णय होता है और उन्हें ऐसी सिफारिशों की पात्रता पर मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह प्रक्रिया अपने आप में काफी समय लगता है।

ड. एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 2.11 के अनुसार, जिला प्राधिकरण एक उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसी का चयन करता है जिसके माध्यम से एक सांसद द्वारा अनुशंसित एक विशेष कार्य निष्पादित किया जाना है। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जिला प्राधिकरण को कार्य-वार पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफलता, बदले में, जिला प्राधिकरण की ओर से मंत्रालय को समेकित उपयोग प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत करने में विफलता का कारण बनता है।

च. एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, एमपीलैड्स के कार्यान्वयन पर समुचित प्राधिकारियों की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय और जिला-स्तरीय समीक्षा बैठकें अक्सर एमपीलैड्स

को अन्य राज्य-विशिष्ट मुद्दों और योजनाओं के साथ जोड़ देती हैं, जिससे अनजाने में एमपीलैड्स के मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं।

3.25 संसद सदस्य के कार्यकाल के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नए कार्यों के निष्पादन में लगने वाले औसत समय संबंधी विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहने पर, मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

"एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का पैरा 3.12 निम्नानुसार निर्धारित करता है, "सभी अनुशंसित पात्र कार्यों को सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, अनुशंसा प्राप्त होने की तारीख से 75 दिनों के भीतर स्वीकृत किया जाना चाहिए। हालाँकि, जिला प्राधिकरण, सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर, कारणों सहित, सांसदों को अस्वीकृति, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेगा।

चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित आदर्श आचार संहिता के संचालन की अवधि के भीतर आने वाली धारा में उल्लिखित समय सीमा के मामले में, आदर्श आचार संहिता द्वारा अधिसूचित ऐसी अवधि को समय सीमा की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

एमपीलैड्स के तहत कार्यों के निष्पादन की गति अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। हालांकि, संसद सदस्य के कार्यकाल के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नए कार्यों के निष्पादन में औसत समय का पता लगाने के लिए ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।"

निधियों के निष्फल उपयोग हेतु उपचारात्मक उपाय

3.26 मंत्रालय ने बताया कि एमपीलैड्स फंड के निष्फल उपयोग की समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए थे:

i. मंत्रालय ने एमपीलैड्स पर वार्षिक समीक्षा बैठक के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नोडल विभागों के साथ एमपीलैड्स निधियों के कम उपयोग के मामले को बार-बार उठाया है, जो हाल की 22वीं अखिल भारतीय समीक्षा बैठक 17 जनवरी 2020 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नोडल विभागों के साथ आयोजित की गई थी।

ii. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया गया था कि वे ऐसे मामलों को गंभीरता से उठाएं जहां निधियों का उपयोग संतोषजनक तरीके से नहीं किया जा रहा है ताकि उनके उपयोग में सुधार लाया जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है कि एक वर्ष में जारी की गई निधियों का उपयोग उसी वर्ष में किया जाए ताकि निधियों को जारी करने में विलंब को कम किया जा सके और बैंक खातों में निधियों को अव्ययित शेष के रूप में रहने देने/बैंक में पड़े रहने की घटनाओं को कम किया जा सके।

iii. जिला प्राधिकरणों को भी उपयोग में तेजी लाने (उचित प्रक्रियाओं का पालन करके) और एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.12 और 3.13 में निर्धारित समय-सीमा का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

iv. मंत्रालय समय पर निधि जारी करने के लिए निधि से संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने के लिए जिला अधिकारियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहता है।

v. एकीकृत एमपीलैड्स पोर्टल में ऑडिट प्रमाण पत्र, उपयोग प्रमाण पत्र, अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र और मासिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की सुविधा है। जिला अधिकारियों को एमपीलैड्स पोर्टल पर इन सेवाओं/सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने की सलाह दी गई है। पोर्टल को आगे एनआईआईपी के तहत पुर्नोत्थान करने की मांग की गई है जिसमें एमपीलैड्स के तहत किए गए कार्यों की जियो-टैगिंग और फील्ड स्तर से कार्यों/परियोजनाओं की स्थिति को रीयल-टाइम अपडेट करने की विशेषताएं शामिल होंगी।

vi. इस योजना के हितधारकों के लिए वास्तविक समय की जानकारी तक पहुंच की सुविधा के लिए, एक मोबाइल ऐप का विकास प्रक्रियाधीन है। मोबाइल ऐप से आम जनता सहित सभी हितधारकों के लिए योजना का एक आसान निगरानी साधन प्रदान करने की उम्मीद है।

vii. मंत्रालय के अधिकारियों को योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए विभिन्न राज्यों/जिलों का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है जो कार्यों के निष्पादन की गति को तेज करने में सकारात्मक योगदान देता है।

viii. मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के नोडल विभागों को एमपीलैड योजना के तहत निधियों के कार्यान्वयन और उपयोग की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने पर भी बल दिया है, यदि अब तक ऐसा नहीं किया गया है। उनसे

बार-बार अनुरोध किया जाता है कि वे वर्ष में कम से कम एक बार जिला अधिकारियों और सांसदों के साथ मुख्य सचिव/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित करें और ऐसी बैठकों के कार्यवाही सारांश मंत्रालय को भेजें।

पारदर्शिता और जवाबदेही

3.27 एमपीलैड योजना के तहत, अधिक जन जागरूकता और पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं:

क. कार्य स्थल पर स्थायी रूप से परियोजना को प्रायोजित करने वाले सांसद का नाम और शामिल लागत, कार्य शुरू करने, पूरा करने और उद्घाटन, तारीख और नाम दर्शाते हुए 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्य' शिलालेख वाले एक पट्टिका को लगाया जाना चाहिए।

ख. एमपीलैड्स निधि से पूर्ण हो चुके एवं चल रहे सभी कार्यों की सूची जिला प्राधिकरण कार्यालय में प्रदर्शित की जानी चाहिए तथा आम जनता की जानकारी के लिए वेबसाइट पर पोस्ट की जानी चाहिए।

ग. जिला अधिकारियों को एमपीलैड योजना के किसी भी पहलू, जैसे सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों, स्वीकृत/अस्वीकृत कार्यों, स्वीकृत कार्यों की लागत, कार्यान्वयन एजेंसियों, पूर्ण किए गए कार्यों की गुणवत्ता आदि के बारे में आम जनता को जानकारी प्रदान करना। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यक है, क्योंकि योजना के कार्यान्वयन को उक्त अधिनियम के दायरे में लाया गया है।

3.28 एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में कि यदि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में, एक परियोजना की सिफारिश, अनुमोदन पिछले सांसद के कार्यकाल के दौरान की गयी थी, लेकिन वही परियोजना अगले निर्वाचित सांसद के कार्यकाल के दौरान पूरी हो जाती है, ऐसे मामले में जिसका नाम परियोजना के उद्घाटन बोर्ड पर प्रदर्शित होगा, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपने साक्ष्य के दौरान इस प्रकार कहा:

> "सर पैरा नं. 3.22 में स्पष्ट लिखा है कि नेम प्लेट पर प्रायोजक सांसद का नाम लिखा होगा।"

मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित भी बताया:

"एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का पैरा 3.22, अन्य बातों के साथ-साथ, स्पष्ट रूप से निम्नानुसार निर्धारित करता है "अधिक से अधिक जन जागरूकता के लिए, एमपीलैड्स के तहत निष्पादित सभी कार्यों के लिए एक पट्टिका (पत्थर/धातु) जिसमें 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्य' शिलालेख होता है जिसमें प्रारंभ, समापन और उद्घाटन की तारीख, शामिल लागत और परियोजना को प्रायोजित करने वाले सांसद का नाम होता है स्थायी रूप से खड़ा किया जाना चाहिए।

3.29 जांच के दौरान, समिति ने यह जानना चाहा कि क्या कोई वेबसाइट या पारदर्शी तंत्र है जिसके माध्यम से माननीय संसद सदस्य या स्थानीय जनता एमपीलैड योजना के तहत किसी विशेष परियोजना के विवरण और स्थिति की जांच कर सकती है। इस पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:

> "चूंकि सदस्य अपनी सिफारिशें सीधे नोडल जिला प्राधिकरणों को भेजते हैं और एमपीलैड्स के तहत कार्य संबंधित राज्य सरकार के तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय नियमों के अनुसार जिला अधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, कार्यों की विस्तृत जानकारी जिला स्तर पर केंद्रीकृत नहीं होती है। तथापि, मंत्रालय ने एमपीलैड्स पोर्टल (www.mplads.gov.in) पर वित्तीय विवरण के साथ-साथ कार्यों/परियोजनाओं का विवरण दर्ज करने के लिए जिला प्राधिकरणों के लिए प्रावधान किए हैं। परियोजना/कार्य-वार विवरण दर्ज करने के लिए जिला अधिकारियों को लॉग-इन आईडी पहले ही दी जा चुकी हैं। वही आम जनता के लिए "डबल्यूएमएस रिपोर्ट" टैब के माध्यम से उपलब्ध होगा।
>
> एमपीलैड्स पोर्टल का एक नया संस्करण जून, 2019 में शुरू किया गया था, जिसमें माननीय सदस्यों के लिए कार्यों/परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन सिफारिशें करने के प्रावधान थे। इसके अलावा, एक हितधारक के रूप में कार्यान्वयन एजेंसी को पहले ही एमपीलैड्स पोर्टल पर जोड़ा जा चुका है ताकि डेटा की ग्रैन्युलैरिटी को अंतिम स्थान तक बढ़ाया जा सके।।
>
> मंत्रालय जिला प्राधिकरणों को एकीकृत एमपीलैड्स पोर्टल पर प्रशिक्षण प्रदान करता है या तो (i) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधियों को बुलाकर और उन्हें पोर्टल

पर प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसे बाद में जिला अधिकारियों को उनके राज्य में वापस आने पर 'सृजन' मास्टर ट्रेनर सिद्धांत' पर प्रशिक्षण दिया जाता है; या (ii) मंत्रालय के अधिकारियों की टीमों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्यालय में इस उद्देश्य के लिए एकत्रित जिला प्राधिकरणों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिनियुक्त करना।

एकीकृत एमपीलैड्स पोर्टल में ऑडिट प्रमाण पत्र, उपयोग प्रमाण पत्र, अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र और मासिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की सुविधा है। जिला अधिकारियों को एमपीलैड्स पोर्टल पर इन सेवाओं/सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने की सलाह दी गई है। पोर्टल को अब एनआईआईपी के तहत पुर्नोत्थान करने की मांग की गई है जिसमें एमपीलैड्स के तहत किए गए कार्यों की जियो-टैगिंग और फील्ड स्तर से कार्यों/परियोजनाओं की स्थिति को रीयल-टाइम अपडेट करने की विशेषताएं शामिल होंगी। इस योजना के हितधारकों के लिए वास्तविक समय की जानकारी तक पहुंच की सुविधा के लिए, इस उद्देश्य के लिए एक मोबाइल ऐप का विकास प्रक्रियाधीन है। मोबाइल ऐप से आम जनता सहित सभी हितधारकों के लिए योजना का एक आसान निगरानी उपकरण प्रदान करने की उम्मीद है।

मंत्रालय ने निम्नलिखित शर्तों के साथ डैशबोर्ड के विकास के लिए अपनी आवश्यकताओं से भी अवगत कराया है: "एक डैशबोर्ड पेज लेआउट पर एक से अधिक डैशबोर्ड घटकों को एक साथ दिखाया जा सकता है, जो एक विषय पर अनेक रिपोर्टों पर एक शक्तिशाली दृश्य प्रदर्शन और उसको अवलोकन करने का एक तरीका है।"

अध्याय-चार

निगरानी तंत्र

निगरानी तंत्र

योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक निगरानी समिति है जो निधि जारी करने, प्रशासनिक मंजूरी, कार्य का समुचित और समय पर कार्यान्वयन इत्यादि पर नजर रखती है। जिला प्राधिकरण कार्यान्वयन एजेंसी के साथ एमपीलैड कार्यों के कार्यान्वयन का प्रत्येक महीने और किसी कारणवश तिमाही में कम से कम एक बार समीक्षा करेगा। यह संबंधित सांसद को ऐसे समीक्षा बैठक के लिए आमंत्रित करेगा और ऐसे समीक्षा बैठकों की रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजेगा। ऐसी समिति की बैठकों में भाग लेने वाले अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की संरचना जिला प्राधिकारी/ जिला कलेक्टर द्वारा तय की जाती है।

4.2 एक विशिष्ट प्रश्न कि ऐसी निगरानी समिति के सभापति के रूप में किसे नामित किया गया है, के जवाब में एमओएसपीआई ने समिति को बताया कि " एमपीलैड्स दिशा-निर्देश के पैरा 2.10 के तहत जिला प्राधिकारी/ जिला कलेक्टर अर्थात अधिकृत जिला पदाधिकारी जिले में एमपीलैड्स के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

4.3 जांच के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि के द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि एमपीलैड फण्ड स्कीम के तहत किए गए खर्च की लेखा परीक्षा राज्य करता है। यह पूछे जाने पर कि क्या लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण को राज्य प्राधिकरणों से योजना को कार्यान्वित करने वाले प्राधिकरण में बदलना संभव है, एमओएसपीआई ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत कहा:

> एमपीलैड्स के तहत कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय नियमों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं।
>
> एमपीलैड दिशानिर्देशों के पैरा 6.3(ii) इस प्रकार निर्धारित करता है, "राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार आपत्तियों और लेखा परीक्षा एवं उपयोग प्रमाण पत्र में उत्पन्न होने वाले मुद्दों की समीक्षा करेगा।" एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के पैरा 6.3(vii) में लेखा परीक्षण प्रक्रिया में राज्य सरकार की भूमिका स्पष्टत: उल्लिखित है जो निम्नवत् निर्धारित करता है

"राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार प्रत्येक जिला प्राधिकरण के एमपीलैड्स खातों की लेखा परीक्षा के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के महालेखाकार द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से, एक लेखापरीक्षक की व्यवस्था करेगा। लेखा परीक्षा जारी रखने के लिए, वही लेखा परीक्षक (यदि राज्य सरकार चाहे) तीन वर्ष के लिए बना रहेगा और कोई भी नई नियुक्ति अगले तीन वित्तीय वर्ष के लिए कैलेंडर वर्ष के जनवरी माह में होनी चाहिए।"

एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के पैरा 5.4 यह निर्धारित करता है, "जिला प्राधिकारी और कार्यान्वयन एजेंसियां एमपीलैड्स खातों को उचित रूप से बनाए रखेंगे। जिला प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष दिशा-निर्देश में यथा-निर्धारित रूप में उपयोग प्रमाण पत्र राज्य सरकार और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। इन खातों और उपयोग प्रमाण पत्रों की लेखा परीक्षा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार प्रक्रिया के तहत चार्टर्ड एकाउंटेंट या स्थानीय फंड लेखा परीक्षक या किसी सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक जिला प्राधिकरण के लिए लेखापरीक्षकों की व्यवस्था संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के महालेखाकार द्वारा की गई संस्तुति के आधार-पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा की जाती है। जिला प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को लेखा परीक्षा खातों, रिपोर्टो और प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करेगा। इस योजना के तहत जिला प्राधिकारी और कार्यान्वयन एजेंसियों के खातों के लेखा परीक्षण के लिए सामान्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया लागू होगी। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक टेस्ट ऑडिट करेंगे और जिला प्राधिकारियों, राज्य सरकार और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेंगे।

4.4 एमपीलैड फण्ड स्कीम पर सीएजी प्रतिवेदन और इस स्कीम पर सीएजी की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में पूछे जाने पर एमओएसपीआई ने निम्नवत् उत्तर दिया:-

"वित्त वर्ष 2010-11 के लिए एमपीलैड्स के सीएजी के सीएजी संबंधी कार्यनिष्पादन और लेखापरीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से पहले से ही उपलब्ध है और इस वेब लिंक https://cag.gov.in/cn/auditreport/details/2341 से डाउनलोड किया जा सकता है।

दिशा समिति में एमपीलैड स्कीम संबंधी मुद्दे

4.5 यह पूछे जाने पर कि क्या एमओएसपीआई के प्रतिनिधि भी दिशा समिति की बैठकों में भाग लेंगे और दिशा समिति की बैठकों में एमपीलैड फंड स्कीम से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, एमओएसपीआई ने निम्नवत् उत्तर दिया:

"सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधि दिशा मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं।

दिशा डैशबोर्ड के साथ एमपीलैड स्कीम संबंधी सूचनाओं का एकीकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समुचित परामर्श और सहयोग से किया जा रहा है।

आरंभ में एमपीलैड स्कीम मार्च 2018 में दिशा समिति में जिलेवार वास्तविक और वित्तीय प्रगति को दर्शाने के लिए दिशा डैशबोर्ड पर था। तत्पश्चात्, एमपीलैड्स एमआईएस /डैशबोर्ड में सुधार किया गया और वर्षवार ब्योरा एमपीलैड्स एमआईएस /डैशबोर्ड पर भी देखा जा सकता था। बाद में, दिशा डैशबोर्ड पर एमपीलैड स्कीम को दिसम्बर, 2020 के दौरान कुछ अतिरिक्त मानकों के साथ दोबारा दर्शाया गया था जो निम्नवत् है:

1. वर्ष-वार पात्रता 2) वर्ष वार निर्गति 3) श्रेणियों द्वारा वर्ष वार खर्च और 4) सांसदों के लम्बित किस्त। आज की तिथि तक, दिशा डैशबोर्ड पर निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं:

कुल संस्तुत राशि (जिले-वार, वर्ष-वार)
कुल स्वीकृत राशि (जिले-वार, वर्ष-वार)
कुल जारी धनराशि (जिले-वार, वर्ष-वार)
कुल व्यय (जिले-वार, वर्ष-वार)
कुल संस्तुत कार्य (जिले-वार, वर्ष-वार)
कुल स्वीकृत कार्य (जिले-वार, वर्ष-वार)
कुल पूर्ण कार्य (जिले-वार, वर्ष-वार)

4.6 जब यह पूछा गया कि क्या दिशा समिति की बैठकों में एमपीलैड स्कीम संबंधी मुद्दों को उठाया जाना आवश्यक है और क्या मंत्रालय को दिशा समिति की बैठकों में एमपीलैड स्कीम संबंधी मुद्दों को न उठाये जाने से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है, मंत्रालय ने निम्नवत कहा:

"दिशा समिति बैठकें में मंत्रालय द्वारा एमपीलैड्स संबंधी मुद्दों को उठाने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं क्योंकि देश के ग्रामीण और शहरी जिलों में जिला विकास समन्वयक और निगरानी समितियों के गठन की अवधारणा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ और अधिसूचित की गई है और दिशा समिति सम्बन्धी दिशा-निर्देश भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गई है। दिशा समिति सम्बन्धी बैठकों की कोई भी शिकायत मंत्रालय के ध्यानार्थ नहीं लाई गई है।

<u>प्रदर्शन और उपलब्धियां</u>

4.7 जांच के दौरान, समिति ने जानना चाहा कि क्या मंत्रालय ने स्कीम के उपलब्धियों और लक्ष्यों को जानने के लिए एमपीलैड फण्ड वर्ष 1993 में इसकी शुरुआत होने के तहत किये गये कार्यों का आकलन किया था। समिति के इस प्रश्न पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् कहा:

"वर्ष 1993 में एमपीलैड स्कीम के शुरुआत से 24,87,018 कार्य संस्तुत किये गये, 22,05,653 कार्य स्वीकृत किये गये और 20,05,830 कार्य पूरे किये गये, मंत्रालय से अद्यतन जानकारी मांगी गई है; ताजे आंकड़े प्रतीक्षित हैं, ।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नोडल विभागों के साथ नवीनतम/अंतिम समीक्षा बैठक 17.01.2020 को हुई जिसमें कुछ मुद्दे यथा-जिला प्राधिकरणों से निधि सम्बन्धित दस्तावेजों के प्राप्त न होनें के कारण किस्तें जारी न करना, एमपीलैड्स फण्ड का धीमा उपयोग राज्य/जिला स्तर की समीक्षा बैठकें बुलाना, एमपीलैड्स पोर्टल का पूर्ण संचालन, पूर्व सांसदों के खातों की बन्द करने इत्यादि पर विस्तृत चर्चा हुई।

मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 में एमपीलैड्स कार्यों के लिए तृतीय पक्ष भौतिक निगरानी संबंधी पहल की शुरुआत की है और तृतीय तक्ष निगरानी का कार्य नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज (एनएवीसीओएनएस) को सौंपा गया था। वर्ष 2007-08 में प्रथम चरण में 30 जिलें, वर्ष 2008-09 में द्वितीय चरण में 43 जिले, वर्ष 2009-10 में तृतीय चरण में 60 जिले और वर्ष 2010-11 में चौथे चरण में 75 जिलों को नावकान्स द्वारा कवर किया गया।

नावकान्स द्वारा प्रस्तुत 208 जिलों की रिपोर्ट की जांच की गई और वास्तविक स्थिति और जहां आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय हेतु मंत्रालय की प्रतिक्रिया/टिप्पणियों को सम्बन्धित जिला प्राधिकारियों और उनके सम्बन्धित राज्य के नोडल विभाग को एक प्रति के साथ भेजा गया।

कृषि वित्त निगम (एएफसी) लिमिटेड को वर्ष 2012-13 में उत्तरी जोन और पश्चिमी जोन में प्रत्येक 50 जिलों को कवर करते हुए कुल 100 चयनित जिलों में कार्यों के तृतीय पक्ष निगरानी का कार्य सौंपा गया। जैसा कि नावकान्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मामलों में, 100 चयनित जिलों के लिए एएफसी की भौतिक निगरानी रिपोर्टों का मंत्रालय द्वारा विश्लेषण किया गया और कार्यान्वयन में पायी गयी कमियों/खामियों के बारे में सम्बन्धित जिला प्राधिकरण को उनके टिप्पणी और जहां आवश्यक हो, अपेक्षित उपचारात्मक कार्रवाई हेतु सूचित किया गया।

<u>निष्कर्ष</u>

दोनों निगरानी समितियों ने पाया कि एमपीलड स्कीम एक अद्वितीय स्कीम है जिसकी खासियत विकेन्द्रीकृत विकास है और जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली परिसम्पत्तियों का निर्माण हुआ है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताने-बाने और भौतिक वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अपनी रिपोर्ट में, नावकान्स में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि व्यापक स्तर पर, एमपीलैड स्कीम की उपलब्धि अन्य स्कीमों से बेहतर प्रतीत होती है। यह राष्ट्र स्तर पर एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसमें स्थानीय समुदाय और लोगों के समूहों और वर्गों की भागीदारी "स्थानीय आवश्यकताओं" के और स्थानीय लोगों की इच्छाओं के आधार पर अपेक्षित कार्य/सुविधाएं सुनिश्चित की जाती है।

तथापि, एमपीलैड कार्य की तृतीय पक्ष निगरानी ने स्कीम के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ कमियों/खामियों को उजागर किया: जिसमें से कुछ है-अपात्र कार्यों की स्वीकृति, एमपीलैड्स परिसम्पत्तियों का अतिक्रमण, एमपीलैड्स परिसम्पत्तियों की अस्तित्वविहिनता, परिसम्पत्तियों का विपधन, वित्तीय मंजूरी में देरी और कार्यों का समापन तथा अपात्र न्यास/सोसायटियों को कार्य का आबंटन कार्य।

<u>की गई कार्रवाई:</u>

वित्तीय अनियमितता के सभी मामलों में मंत्रालय ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और संबंधित राज्य सरकार प्राधिकारियों से निधियों की प्रतिपूर्ति करने और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया था। दूसरे मामलों में उपयुक्त सुधारात्मक उपाय जैसे अतिक्रमण हटाया जाना,

अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली, परिसंपत्तियों को उसके मूल उपयोग में बहाल करना और सभी कार्यस्थलों पर पट्टिकाओं का लगाया जाना आदि सुझाए गए।

इसके अतिरिक्त, जिला प्राधिकरणों/ राज्य सरकारों को निम्नवत् कार्यों हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए थे जैसे कार्यनिष्पादन मामले में किए गए कार्य की जांच, तकनीकी, कार्य का अनुमान और संबंधित राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के संविदा और प्रशासनिक पक्रिया, कार्य के पूरा हो जाने के तुरंत बाद अनुरक्षण के लिए उपयोगकर्ता एजेंसी से प्रतिबद्धता लेना, कार्य समापन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना एवं आवश्यक रजिस्टर/रिकार्डों का अनुरक्षण आदि।

संबंधित जिला प्राधिकारियों ने रिपोर्ट में बताए गए मुद्दों पर की गई कार्रवाई की प्रतिवेदन/ वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत किया।

दो एजेंसियों के निष्कर्षों के मद्देनजर, विभिन्न बैठकों में एमपीलैड दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन के बारे में जोर दिया गया और इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्यों का दौरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निधियों को जारी करने के लिए अव्ययित शेष की सीमा तय करने संबंधी दिशानिर्देशों में उचित संशोधन किया गया है ताकि इन निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। एकीकृत एमपीलैड पोर्टल को दिशानिर्देशों में निर्धारित उपबंधों के साथ जोड़ दिया गया है ताकि इस स्कीम के तहत किए गए कार्यों की निगरानी की जा सके।

4.8 समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए मंत्रालय ने बताया कि एमपीलैड फंड स्कीम के लिए आबंटित 3,960 करोड़ रूपए में से 10 करोड़ रूपए आमतौर पर स्कीम के तृतीय पक्ष मूल्यांकन हेतु अलग से रखे गए थे। जब मंत्रालय से इस योजना के तृतीय पक्ष मूल्यांकन हेतु उपयोग किए गए 10 करोड़ रूपए संबंधी विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया, एमओएसपीआई ने निम्नवत् बताया:

"वास्तविक सेवा शीर्ष के तहत मंत्रालय को आबंटित 10 करोड़ रूपए एमपीलैड स्कीम के तृतीय पक्ष मूल्यांकन हेतु एक स्वतंत्र एजेंसी के चयन के लिए है जो सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 में विहित कंसल्टेंसी सर्विसेज सेवाएं लेने हेतु गुणवत्ता और लागत आधारित चयन प्रक्रिया (क्यूसीबीएस) के तहत है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मंत्रालय का इरादा एक स्वतंत्र एजेंसी के चयन के तहत देश के 216 नोडल जिलों में एमपीलैड कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन करना है।

4.9 मंत्रालय से तृतीय पक्ष मूल्यांकन हेतु निर्धारित 10 करोड़ रूपए के समुचित/कुशल उपयोग की निगरानी, यदि कोई हो, करने के लिए तंत्र का विवरण भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस संबंध में एमओएसपीआई ने निम्नवत् बताया:

"भुगतान अनुसूची को कार्य के निष्पादन से जोड़ा गया है और कार्य को पूरा करने के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की गयी है। इन सभी को इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज में विधिवत् रूप से शामिल किया गया है।"

4.10 ऐसी एजेंसियों के कार्यात्मक विवरण के साथ-साथ इस स्कीम की निगरानी/ मूल्यांकन के लिए तृतीय पक्ष के रूप में एजेंसी के चयन हेतु अपनाए गए मानदंडों/ प्रक्रिया का विवरण प्रदान करने को कहे जाने पर एमओएसपीआई ने निम्नवत् कहा:

"एमपीलैड्स कार्यों के तृतीय पक्ष मूल्यांकन हेतु 216 नोडल जिलों में एजेंसी का चयन सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 में विहित कंसल्टेंसी सर्विसेज की सेवाएं लेने हेतु गुणवत्ता और लागत आधारित चयन प्रक्रिया (क्यूसीबीएस) के तहत किया जाएगा।

प्रस्ताव 'दो बोली' पद्धति के तहत संभावित बोलीदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। तकनीकी बोली के मूल्यांकन का मानदंड आरएफपी प्रलेखों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किए गए हैं जैसे कि औसत वार्षिक कारोबार, पचास लाख रूपए और उससे उपर लागत वाले पूरे किए गए कार्यों की संख्या, बहु-राज्य परियोजनाओं में कवर किए गए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या, संगठनात्मक ताकत और अवसंरचना, तकनीकी कर्मचारियों की गुणवत्ता व अनुभव, कार्य योजना पर स्व-मूल्यांकन और प्रस्तुतीकरण आदि।

इसके अतिरिक्त, तकनीकी बोलियों का विश्लेषण और मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा गठित कंसल्टेंसी मूल्यांकन समिति (सीईसी) द्वारा किया जाएगा। सीईसी उसके द्वारा विश्लेषित और मूल्यांकित तकनीकी प्रस्तावों के स्वीकृति या अस्वीकृति संबंधी कारणों का विस्तृत रिकार्ड रखेगा।

मंत्रालय केवल उन बोलीदाताओं के लिए वित्तीय बोली खोलेगा जिन्हें कंसल्टेंसी मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया है।"

भाग दो

समिति की सिफारिशें/टिप्पणियाँ

1. एक सिंहावलोकन

एमपीलैड योजना की परिकल्पना स्थानीय स्तर पर महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामुदायिक बुनियादी ढांचे सहित बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के साथ टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के लिए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने हेतु संसद सदस्यों के लिए एक तंत्र प्रदान करने के लिए की गई है। यह योजना "देश के विकास सम्बन्धी असंतुलन की पहचान करने में नागरिकों की भागीदारी" के विचार पर शुरू की गई है ताकि आम जनता को लाभ मिले। प्रत्येक संसद सदस्य को सालाना ₹ 5 करोड़ की निधि आवंटित की जाती है जिसका उपयोग वह आम जनता के कल्याण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को लागू करने में कर सकता है।

एमपीलैड्स के तहत निधियां जारी करना समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों में उल्लिखित 20 बार संशोधित निधि-संबंधी मानदंडों की पूर्ति और निधि से संबंधित दस्तावेजों की जांच के अधीन है। इसके अलावा, संवीक्षा पर उन दस्तावेजों को अव्ययित और अस्वीकृत शेष की पूर्ति के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए । तथापि, जिला प्राधिकारियों द्वारा निधि से संबंधित अपेक्षित दस्तावेज जैसे उपयोग प्रमाण पत्र, अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी से लंबित किश्तों के जारी होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके कारण चल रही परियोजनाओं में बाद में देरी होती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए कोविड-19 महामारी के कारण एमपीलैड फंड को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष भाग के दौरान

एमपीलैड फंड की बहाली के साथ-साथ, एक किश्त में प्रति सांसद ₹ 2 करोड़ की दर से एमपीलैड्स फंड जारी करने को मंजूरी मिली । मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि 2022-23 से 2025-26 तक, इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को ₹ 2.5 करोड़ की दो किश्तों में प्रति वर्ष ₹ 5 करोड़ की दर से धनराशि जारी की जाएगी।

समिति द्वारा योजना की जांच और निधियों को जारी करने, उपयोग प्रमाण पत्र, एमपीलैड निधियों के निलंबन, निधि से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में देरी, परित्यक्त परियोजनाओं/कार्यों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा शत- प्रतिशत अधिभार, विभिन्न ट्रस्टों/सोसायटियों के लिए निधि, दिशानिर्देशों में विहित के अलावा अन्य संस्थानों से अनुरोध, सुविधा केंद्र , निधियों का उपयोग न करना, पारदर्शी तंत्र की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों पर उनकी टिप्पणियां/सिफारिशें और निगरानी समिति के साथ मुद्दों का विवरण आगामी पैराग्राफ में दिया गया है।

2. <u>एमपीलैड्स फंड जारी करना</u>

समिति नोट करती है कि आम चुनाव के बाद लोक सभा के गठन और राज्य सभा के सदस्य के निर्वाचन के बाद नोडल जिला प्राधिकारी को बिना किसी दस्तावेज के 2.5 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की गई। हालांकि, शेष बचे बाद के वर्षों में पहली किस्त जारी करने संबंधी मानदंड गत वर्ष की पहली किस्त के खर्च के कम से कम 80% को कवर करते हुए पिछले वर्ष का अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। समिति लगभग एक वर्ष के अंतराल में 80% उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की इस शर्त को एक बाधा के रूप में देखती है जब प्रत्येक राज्य में क्षेत्र-वार स्थितियाँ और परिस्थितियाँ एक दूसरे से बहुत भिन्न होती हैं। समिति ने पाया कि एक वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त जारी करने के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का मानदंड बोझिल और

समय खपाऊ प्रक्रिया है क्योंकि उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने और प्रस्तुत करने में विभिन्न प्राधिकरण, कागजी कार्य और कई औपचारिकताएं शामिल हैं। इससे निरपवाद रूप से निधियां जारी करने में देरी होती है और संबंधित एजेंसियों/ठेकेदारों को भुगतान में भी देरी होती है जिसके परिणामस्वरूप चल रही परियोजनाएं रुक जाती हैं और लागत बढ़ जाती है।

इसलिए, समिति मंत्रालय से उपरोक्त मानदंडों की समीक्षा करने और दिशानिर्देशों में उचित संशोधन लाने का आग्रह करती है ताकि निधि जारी करने की प्रक्रिया को सरल और तेज किया जा सके। समिति सिफारिश करती है कि एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्ताव की प्रक्रिया, उसके अनुमान, निविदा, बिलों को पारित करने और ठेकेदारों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए जो एमपीलैड योजना के तहत परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन में मदद करेगा।

3. <u>एमपीलैड्स फंड का निलंबन</u>

समिति नोट करती है कि सांसदों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से आम जनता/सोसाइटियों/ट्रस्टों से लगातार विभिन्न विकास कार्यों को करने/लोगों के कल्याण के लिए परिसम्पत्ति सृजित करने के संबंध में कई अनुरोध प्राप्त होते हैं। एमपीलैड्स फंड को कोविड-19 महामारी के दौरान दो साल, यानी 2020-21 और 2021-22 के लिए निलंबित कर दिए जाने से सांसद किसी भी नई परियोजना की सिफारिश नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार आम जनता/सोसाइटियों/ट्रस्टों से प्राप्त उनके अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया है। समिति का दृढ़ मत है कि चूंकि देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति कम हो गई है, वर्तमान सांसदों के लिए, 5वें वर्ष की एमपीलैड्स निधि को चौथे वर्ष के दौरान अग्रिम रूप से जारी किया जा सकता है , ताकि सांसद उपरोक्त अनुरोधों के संबंध में परियोजनाओं की सिफारिश/स्वीकृति कर सकें।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान किश्तों को छमाही में जारी करने की एक निश्चित समय-सीमा होनी चाहिए। समिति को उम्मीद है कि किसी विशिष्ट वर्ष की दूसरी किस्त जल्द जारी करने से संबंधित कंपनी/ठेकेदारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा ताकि परियोजनाओं का सुचारू कार्यकरण किया जा सके।

जैसा कि यह निर्णय लिया गया था कि वित्तीय वर्ष 2020 -21 और 2021-22 के लिए एमपीलैड्स का कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा, इसलिए इन दो वर्षों के दौरान एमपीलैड्स की किश्तों को 3 1.03.2022 को या उससे पहले जारी नहीं किया गया था। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एमपीलैड्स के लिए वार्षिक बजटीय परिव्यय को कोविड - 19 के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों के प्रबंधन के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के समक्ष निपटान हेतु रखा गया था। हालांकि, विषय की जांच के दौरान, समिति ने पाया कि अधिकांश सांसदों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 की किश्तें भी जारी नहीं की गई थीं । समिति नोट करती है कि कतिपय स्वीकृत/अनुमोदित परियोजनाएं हैं जो पूरी हो चुकी हैं या पूर्ण होने के चरण में हैं, लेकिन पिछली किश्तों को जारी न करने के कारण, ऐसी परियोजनाओं/कार्यों के लिए भुगतान अभी भी लंबित हैं, जिसके परिणामस्वरूप दुर्भाग्य से परियोजनाओं को मध्य में ही छोड़ दिया गया था। इस पर काबू पाने के लिए, समिति अब सरकार से एमपीलैड योजना के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को चुकाने के लिए गत वर्षों की लंबित किस्तों को जारी करने हेतु उचित व्यवस्था करने और लोगों को एमपीलैड्स के तहत पूर्व में बन्द / परित्यक्त इन परियोजनाओं से लाभ प्राप्त करने में मदद करने का आह्वान करती है।

4. <u>फंड से संबंधित दस्तावेजों को जमा करने में देरी</u>

एमपीलैड्स के तहत निधियां जारी करना दिशा-निर्देशों में यथा उल्लिखित निधि से संबंधित मानदंडों और निधि से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और उन दस्तावेजों को जांच के क्रम में

पाए जाने के साथ-साथ अव्ययित और अस्वीकृत शेष राशि के मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन है। जिला प्राधिकारियों द्वारा निधि से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों जैसे उपयोग प्रमाण पत्र, अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी से लंबित किश्तों के जारी होने पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

समिति ने जांच के दौरान कुछ ऐसे उदाहरण पाए जिनमें संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा मंत्रालय को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बावजूद निधियां जारी नहीं की गई थीं। समिति ने यह भी पाया कि जिला नोडल अधिकारियों और केंद्रीय मंत्रालय के बीच समन्वय की कमी के कारण किश्तों के जारी होने में देरी हुई। इस पर संज्ञान लेते हुए, समिति चाहती है कि मंत्रालय प्रलेखन के इस पहलू पर फिर से विचार करे ताकि निधियों को जारी करने में देरी संबंधी मामलों में कमी लाई जा सके। समिति का मत है कि समय पर धनराशि जारी करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि भुगतान लंबित है तो कार्यान्वयन एजेंसियां/ठेकेदार काम बंद कर देंगे। समिति दोहराती है कि विकास से जुड़ा कोई भी कार्य रूकना नहीं चाहिए।

5. <u>परित्यक्त परियोजनाओं/कार्यों का समापन</u>

समिति पाती है कि कई मौकों पर पूर्ववर्ती सांसद के कार्यकाल के दौरान विधिवत प्रस्तावित, स्वीकृत, अनुमोदित और शुरू की गई कुछ परियोजनाओं/कार्यों को अधूरा छोड़ दिया गया था। कुछ उदाहरणों में, उत्तरवर्ती सांसद के कार्यकाल के दौरान उन परियोजनाओं को न तो कार्यात्मक पाया गया और न ही उपयोग की स्थिति में पाया गया। समिति पाती है कि यद्यपि उत्तरवर्ती सांसद ऐसी परियोजनाओं/कार्यों को पूरा करने की अनुशंसा करते हैं, लेकिन राज्य सरकारें इन अधूरी परियोजनाओं/कार्यों को पूरा करने के लिए अनिच्छुक रहती हैं। समिति इसे एक गंभीर खामी के रूप में देखती है और मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह ऐसी परियोजनाओं

की पहचान करने के लिए राज्य प्राधिकरणों/नोडल जिला प्राधिकरणों के समक्ष इन मामले (जो निर्वाचित प्रतिनिधि के परिवर्तन के कारण किसी भी परियोजना/कार्य को बीच में छोड़ने के कारण पिछड़ रही हैं) को उठाएं जिससे धन की भारी बर्बादी होती है और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए कदम उठाएं। समिति सिफारिश करती है कि *अन्य बातों के साथ-साथ एमपीलैड योजना का मूल्यांकन करने* में मंत्रालय की भूमिका है और इसलिए प्रत्येक राज्य से ऐसी परित्यक्त परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वीकृत परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाएं एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। समिति का यह भी मत है कि पूर्ववर्ती सांसद को आवंटित अप्रयुक्त निधि का उपयोग ऐसी परित्यक्त परियोजनाओं/कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए जिसमें प्रलेखन प्रक्रिया में न्यूनतम विलंब हो। समिति लोक सभा के विगत तीन कार्यकालों के लिए ऐसी परियोजनाओं पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/सांसदवार स्थिति रिपोर्ट चाहती है ।

6. <u>समयबद्ध निपटान</u>

एमपीलैड योजना के तहत पूर्ववर्ती सांसद की धनराशि का उत्तरावर्ती सांसद द्वारा सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है। समिति को सूचित किया जाता है कि पूर्ववर्ती सदस्यों की 1723 करोड़ रुपये की अव्ययित निधि का समुचित उपयोग तभी किया जा सकता है जब पूर्ववर्ती सदस्य के सभी पात्र कार्य पूरे हो जाएं और पूर्ववर्ती सदस्य का बैंक खाता बंद कर दिया जाए और पूर्ववर्ती सदस्यों की शेष राशि उत्तरवर्ती सदस्यों के बैंक खाते में अंतरित हो जाए। समिति नोट करती है कि "निधि का अप्रतिबद्ध शेष का अंतरण/वितरण और खातों को बंद करने" की यह पूरी प्रक्रिया एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और ऐसे मामलों से संबंधित जो राशि जमा है वह 1723 करोड़ रुपये है। समिति उम्मीद करती है कि मंत्रालय इतनी बड़ी राशि के बेकार पड़े रहने से जुड़ी समस्याओं की

पहचान करे। जैसा कि एमपीलैड दिशा-निर्देशों में निर्धारित है समिति मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए कहती है कि एमपीलैड्स से जुड़े पूर्ववर्ती सांसद का बचत बैंक खाता बंद कर दिया गया है और समयबद्ध तरीके से उत्तरवर्ती सांसद के एमपीलैड खाते में फंड ट्रांसफर किया गया है, और समिति को इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

7. <u>शैक्षिक सोसाइटियों/न्यासों के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश</u>

समिति नोट करती है कि एमपीलैड योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, एमपीलैड फंड से प्रत्येक ट्रस्ट/सोसाइटी के जीवनकाल के लिए 50 लाख रुपये की सीमा है । समिति ने पाया है कि कुछ ट्रस्ट/सोसाइटियां लंबे समय से सामुदायिक सेवा में लगी हुई हैं और इसलिए कई संस्थानों का संचालन करती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ऐसी सोसाइटियां हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में लगभग 100 इकाइयाँ / स्कूल हैं, लेकिन दिशानिर्देशों में मौजूदा प्रावधानों के कारण, सांसद इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों के लिए धन की सिफारिश नहीं कर सकते हैं। समिति इस प्रावधान को देश में शिक्षा प्रणाली/बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक बाधा के रूप में देखती है । इसलिए, समिति का मत है कि मंत्रालय को ₹50 लाख की सीमा में वृद्धि करनी चाहिए , ताकि सांसद इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त राशि की सिफारिश/स्वीकृति कर सकें। समिति यह भी सिफारिश करती है कि देश में अधिक से अधिक स्कूलों की सहायता करने और शिक्षा प्रणाली के बेहतर भविष्य के लिए, एमपीलैड योजना के दायरे का विस्तार किया जाना चाहिए और एमपीलैड योजना संबंधी दिशानिर्देशों को इस तरह से संशोधित किया जाना चाहिए ताकि सांसदों को देश में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के विकास / बेहतरी के लिए भी फंड की सिफारिश/स्वीकृति की अनुमति मिल सके।

8. <u>अन्य संस्थानों से अनुरोध</u>

जांच के दौरान, समिति ने पाया है कि विभिन्न अवसरों पर, सांसदों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए एमपीलैड फंड की मंजूरी के लिए कुछ संस्थानों से अनुरोध प्राप्त होते हैं, जो मौजूदा दिशानिर्देशों में शामिल नहीं हैं। ऐसे मामलों में, सांसद उनकी सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं, भले ही संस्थान/संगठन योग्य लगते हों। उदाहरण के लिए, समिति कुछ एम्बुलेंस प्रदाताओं से अवगत है जहां वाहनों का स्वामित्व जिला परिषदों/निगमों के पास है, फिर भी उनके रखरखाव के पहलुओं को एक गैर-लाभकारी संगठन/एनजीओ द्वारा बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जाता है। चूंकि चुने हुए प्रतिनिधियों की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक संस्थाओं /सोसाइटियों की ऐसी

शिकायतों /व्यावहारिक कठिनाइयों को देखें, इसलिए समिति महसूस करती है कि एमपीलैड दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन किया जाए ताकि संसद सदस्य एमपीलैड योजना के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं /कार्यों की संस्तुति कर पाएं अथवा पात्र गैर लाभकारी संगठनों /एनजीओ की सहायता कर पाएं। समिति यह सिफारिश करती है कि एमपीलैड योजना के दायरे को व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि सांसद अधिक से अधिक संस्थानों की सहायता कर सकें /विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश कर सकें जिससे देश में शिक्षा प्रणाली/बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति का निर्माण सुनिश्चित हो सके। ।

9. <u>पीएसयू द्वारा शत-प्रतिशत अधिभार</u>

समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने एमपीलैड योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं/कार्यों को शुरू करने के लिए एनबीसीसी लिमिटेड जैसे कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिकृत किया है जबकि राज्य स्तर पर इसे राज्य निगमों द्वारा पूरा किया जा रहा है। एमपीलैड योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण कार्य के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य निगमों दोनों पर्यवेक्षी, वास्तुशिल्प और अन्य संस्थागत सहायता प्रदान करते हैं। समिति, आगे, नोट करती है कि मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएसयू सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रभारित शत-प्रतिशत अधिभार की अनुमति नहीं दी गई है। यह अक्सर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आधिकारिक रूप से वसूल किए जाने वाले प्रतिशत के संदर्भ में जिला स्तर पर विवाद का कारण बनता है । समिति का मानना है कि चूंकि ये सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम केंद्रीय बजट से पैसा नहीं लेते हैं, मंत्रालय को एमपीलैड्स के तहत परियोजनाओं/कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों दोनों के लिए अधिकतम प्रतिशत सीमा सहित दिशानिर्देशों में उचित संशोधन करना चाहिए।

10. <u>सुविधा केंद्र की आवश्यकता</u>

समिति नोट करती है कि योजना के अंतर्गत जिला कलेक्टर कार्यालय में सुविधा केन्द्र का प्रावधान है। उपकरण, फर्नीचर आदि सहित ऐसी सुविधा केन्द्रों की स्थापना की पूंजीगत लागत 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है और एमपीलैड्स निधियों के 2% प्रशासनिक शुल्क से वहन किया जाएगा। सुविधा केंद्रों का मुख्य कार्य सभी सांसदों को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक ही स्थान पर प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है। मंत्रालय ने आगे समिति को अवगत कराया है कि माननीय सदस्य के संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी प्रत्येक किश्त से 2% प्रशासनिक व्यय इस

अनुपात में साझा किया जाता है कि 0.2% राज्य नोडल विभाग को आवंटित किया जाता है, 1% कार्यान्वयनकारी जिला को आवंटित किया जाता है और 0.8% नोडल जिले के पास रहता है।

समिति को यह जानकर आश्चर्य होता है कि ऐसे मामलों में जहां एक सांसद भी सुविधा केंद्र का लाभ नहीं उठा रहा है, फिर भी सदस्य को जारी की गई प्रत्येक किस्त से 2% प्रशासनिक व्यय की कटौती की जाती है। समिति यह जानकर निराश है क्योंकि उन्हें लगता है कि सुविधा केंद्र का लाभ नहीं उठाने की स्थिति में सांसद के एमपीलैड्स फंड से 2% प्रशासनिक शुल्क की कटौती नहीं की जानी चाहिए। इसके आलोक में, समिति मंत्रालय से एमपीलैड्स फंड से प्रशासनिक शुल्क की कटौती से संबंधित प्रावधान में समुचित संशोधन करने का आग्रह करती है, जहां सुविधा केंद्र की सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जाता है।

11. <u>प्रशासनिक खर्चों की लेखापरीक्षा की आवश्यकता</u>

एमपीलैड दिशानिर्देशों के तहत जिला समाहर्ता कार्यालय में सुविधा केंद्र हेतु 2% प्रशासनिक व्यय का प्रावधान है जिसे काट लिया जाता है। माननीय सदस्य के संबंध में जारी की गई प्रत्येक किस्त में से 2% प्रशासनिक व्यय को नोडल प्राधिकरण, कार्यान्वयन करने वाले जिला प्राधिकरण और राज्य नोडल विभाग द्वारा निर्धारित अनुपात में साझा किया जाता है। समिति ने पाया कि एक बार नोडल जिले द्वारा वितरित किए जाने के बाद इस प्रशासनिक व्यय को खर्च के रूप में माना जाएगा और उन खर्चों के लिए अलग से उपयोग प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सुविधा केन्द्र के खर्च को सांसदों को आबंटित एमपीलैड्स निधि से काटे गए 2% प्रशासनिक व्ययों में से वहन की जाती है, समिति का दृढ़ मत है कि मंत्रालय को इन व्ययों के समुचित उपयोग की सख्ती से निगरानी करनी चाहिए और उसे नियंत्रित करना चाहिए। मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संबंध में किसी भी तरह के दुर्विनियोजन के लिए दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। समिति यह महसूस करती है कि यह 2% प्रशासनिक खर्च अनिवार्य रूप से सार्वजनिक धन है और इसके उचित उपयोग का पता लगाने के लिए एक अनिवार्य लेखा परीक्षा होनी चाहिए। समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह जिला प्राधिकारियों के साथ परामर्श कर इस संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करे ताकि उन्हें अगले वित्तीय वर्ष से अधिसूचित किया जा सके। समिति को इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए।

12. <u>निधियों का उपयोग नहीं किया जाना</u>

समिति पाती है कि एमपीलैड स्कीम के अंतर्गत कई अवसरों पर बड़ी मात्रा में निधियां अप्रयुक्त रह जाती हैं/व्यपगत हो जाती हैं क्योंकि संस्तुत परियोजनाएं तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति आदि प्राप्त करने में विलंब के कारण शुरू नहीं होतीं। समिति मंत्रालय से यह अपेक्षा करती है कि वह नोडल जिला प्राधिकारियों को यह अनुदेश जारी करे कि अनुशंसित परियोजनाओं/कार्यों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में शामिल सभी स्वीकृतियां/औपचारिकताएं ऑनलाइन सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं तथा प्रक्रिया में जानबूझकर देरी करने के दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए क्योंकि ऐसी परियोजनाओं की संस्तुति आम लोगों के कल्याण/हित और उनके क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए की जाती है।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि ऐसे मामले में जहां कतिपय अनुशंसित/स्वीकृत परियोजनाएं समय पर शुरू नहीं हो सकी हैं, वहां इसका एक वैध कारण होना चाहिए और इसे संबंधित सांसदों को समय पर सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे किसी अन्य/नई परियोजना/कार्य के लिए निधि का पुन: आबंटन कर सकें जिससे एमपीलैड्स निधि के उपयुक्त और इष्टतम उपयोग में काफी मदद मिले।

13. <u>वास्तविक समय आंकड़ों की उपलब्धता में सहजता</u>

समिति यह नोट किया है कि मंत्रालय के पास एक वेबसाइट/डैशबोर्ड है जो देश में एमपीलैड योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं/कार्यों की वास्तविक समय की स्थिति/प्रगति को दर्शाता है ताकि सांसदों के साथ-साथ आम जनता को इन परियोजनाओं/कार्यों की स्थिति/प्रगति का पता लगाने में सक्षम बनाया जा सके। किंतु समिति यह नोट कर चकित है कि अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिला परिषद/जिला प्रशासन से उनके अनुशंसित कार्यों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस वेबसाइट/डैशबोर्ड के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो, समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने पूर्व में राज्य सरकार/नोडल जिला प्राधिकारियों को इसकी विशेषताओं/प्रचालनों के संबंध में सूचना का प्रसार करने के साथ-साथ इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने/उपाय करने और प्रशिक्षण भी दिए जाने का निदेश दिया है। तथापि, इसका अपेक्षित प्रभाव अभी भी नहीं देखा

गया है। समिति यह महसूस करती है कि एमओएसपीआई के एमपीलैड्स पर विद्यमान डैशबोर्ड की समीक्षा करने और इस तरह के एक ऑनलाइन पोर्टल/वेब-आधारित एमआईएस को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करे कि एमपीलैड योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं/कार्यों के संबंध में सूचना समय पर जारी हो और उसे अद्यतन किया जाए। इससे सांसदों के साथ-साथ आम जनता सहित सभी हितधारकों को इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं/कार्यों की स्थिति और प्रगति के बारे में अद्यतन/वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। समिति यह महसूस करती है कि मंत्रालय को विशेष रूप से संसद सदस्यों के लिए एमपीलैड्स पोर्टल का एक विस्तृत और प्रयोक्ता अनुकूल डैशबोर्ड विकसित करने की दिशा में प्रयास करना जारी रखना चाहिए, जिसमें वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित विकास कार्यों के संबंध में कार्यवाही सारांशों और परिपत्रों/अधिसूचनाओं को देखने के लिए अपने ई-खाते में लॉग इन कर सकें। एक आटोमेटेड एसएमएस अलर्ट तंत्र की भी सुविधा हो ताकि संसद सदस्यों को सदस्यों के अपने विशिष्ट डैशबोर्ड पर परिपत्रों आदि को अपलोड करने से संबंधित अधिसूचनाएं प्राप्त हो सकें। इसके अलावा, उक्त अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति स्वत: सभी राज्य सचिवों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तक पहुंचे, जो बाद में अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तैनात सभी डीएम/डीसी को इसको पृष्ठांकित कर सकें। समिति इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहेगी।

14. <u>निगरानी समिति</u>

समिति नोट करती है कि इस योजना के अंतर्गत निधियों को जारी करने, प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य के उचित और समय पर कार्यान्वयन आदि पर नियंत्रण रखने के लिए जिला स्तर पर निगरानी समिति का प्रावधान है। यह जिला प्राधिकरण का कार्य है कि वह प्रत्येक माह और किसी भी मामले में, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार कार्यान्वयन एजेंसी के साथ एमपीलैड कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा करे। इसके अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण को संबंधित सांसदों को ऐसी समीक्षा बैठकों में आमंत्रित करना होता है और ऐसी समीक्षा बैठकों की रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजनी होती है। इसके मद्देनजर, समिति मंत्रालय आग्रह करती है वह यह सुनिश्चित करे कि एमपीलैड योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निगरानी समिति द्वारा नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएं और योजना के कार्यान्वयन/निष्पादन में बाधा

डालने वाली विभिन्न कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाए। यह सुनिश्चित करना कि ऐसी समीक्षा बैठकों की रिपोर्टें निर्धारित समय के भीतर प्राप्त हो जाएं ताकि मंत्रालय को रिपोर्टों में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों के आधार पर तत्काल आवश्यक कदम उठाने में सक्षम बनाया जा सके और इस प्रकार सामने लाए गए मुद्दों/कमियों को दूर करने में मदद मिले।

15. तीसरे पक्ष वास्तविक मूल्यांकन

समिति ने पाया कि एमओएसपीआई ने मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के समग्र संशोधन का कार्य शुरू किया है जो वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान 216 जिलों में एमपीलैड्स कार्यों के प्रस्तावित तीसरे पक्ष के वास्तविक मूल्यांकन के निष्कर्षों पर आधारित होगा। समिति को यह भी सूचित किया जाता है कि एमपीलैड के तीसरे पक्ष के वास्तविक मूल्यांकन के प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) वर्तमान में प्रक्रिया में है जिसमें स्वतंत्र तीसरा पक्ष पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एमपीलैड के काम का मूल्यांकन करेगा। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि एमओएसपीआई अपने मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन के माध्यम से एमपीलैड योजना के उन्नयन में सक्रिय रूप से लगा हुआ है और अब तक इस योजना के तहत कार्यों में सुधार के लिए बीस संशोधन किए गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, समिति चाहती है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि एमपीलैड्स के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को केवल सुपुर्द ही न कर दिया जाए बल्कि ये आने वाले वर्षों में भी चालू रहें। समिति को आशा है कि उनकी सिफारिशों को चयनित तीसरे पक्ष मूल्यांकनकर्ता के समक्ष रखा जाएगा। वे मंत्रालय से अनुरोध करेंगे कि वह उन्हें इस योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के लिए किए गए तीसरे पक्ष के वास्तविक मूल्यांकन की स्थिति के बारे में भी अद्यतन जानकारी देते रहें। समिति चाहती है कि उचित समय पर तीसरे पक्ष के मूल्यांकन दल की रिपोर्ट पर एमओएसपीआई द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में अवगत कराया जाए।

16. तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए धन का पूर्ण उपयोग

समिति ने नोट किया है कि मंत्रालय एमपीलैड योजना के तहत सृजित विकास कार्यों/परियोजनाओं के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये निर्धारित करता है। गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (जीसीबीएस) प्रक्रिया के माध्यम से तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र एजेंसी के चयन के लिए 'व्यावसायिक सेवाएं' शीर्ष के तहत मंत्रालय को 10 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। समिति ने पाया है कि मंत्रालय तीसरे पक्ष का मूल्यांकन करने में अनियमित रहा है जिसके कारण 10 करोड़ रुपये (ऐसे मूल्यांकन के लिए)

वापस हो गए। समिति इस चूक को गंभीरता से लेती है और मंत्रालय से ऐसा तंत्र तैयार करने का आग्रह करती है जो प्रत्येक वर्ष परियोजनाओं के नमूने के लिए वार्षिक मूल्यांकन सुनिश्चित करे। मंत्रालय में एक समर्पित इकाई स्थापित की जाए जो बिना किसी चूक के नियमित मूल्यांकन को प्राथमिकता देगी। समिति मंत्रालय द्वारा किए गए पिछले तीसरे पक्ष के मूल्यांकनों के परिणामों और तत्संबंधी की गई कार्रवाई से भी अवगत होना चाहती है।

17. <u>समयबद्ध कार्रवाई</u>

समिति ने पाया है कि एमपीलैड दिशानिर्देशों के पैरा 3.13 में चूककर्ता कार्यान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान है। दिशानिर्देशों के अनुसार, मंजूरी पत्र में आवश्यक रूप से कार्य को पूरा करने की समय-सीमा का उल्लेख होना चाहिए जो आमतौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। समिति ने नोट किया कि मंजूरी पत्र में सरकारी प्रक्रिया के अनुसार काम पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में कार्यान्वयन एजेंसी के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई के लिए एक खंड शामिल होना चाहिए। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि एमपीलैड दिशानिर्देशों की परिकल्पना परिणाम प्राप्त करने के लिए की गई है लेकिन दिशानिर्देशों के तहत प्रावधानों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मंत्रालय की है। समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह स्वीकृत विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए पूरे समर्पण के साथ पुरजोर प्रयास करे। अत: समिति उन मामलों से अवगत होना चाहती है जहां जिला प्राधिकारी से प्राप्त असंतोषजनक प्रतिक्रिया पर चूककर्ता एजेंसियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई थी।

18. <u>अधीनस्थ इकाई/कार्यालय का सृजन</u>

समिति का यह मानना है कि जिला स्तर पर निगरानी समितियों की अवधारणा निधियों को समय पर जारी किए जाने, विकास कार्यों को पूरा करने आदि पर नियंत्रण रखने के लिए तैयार की गई है, लेकिन प्रत्येक राज्य/जिले में एमओएसपीआई द्वारा कार्यों का कोई प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण नहीं किया गया है। एमपीलैड्स केन्द्रीय योजना होने के नाते, निधियों को जारी करने, निगरानी, लेखा रखने और मूल्यांकन में अपनी भूमिका के लिए एमओएसपीआई के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि एमओएसपीआई को एक समर्पित निगरानी इकाई स्थापित करनी चाहिए ताकि एमपीलैड्स के तहत स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगति पर प्रत्यक्ष रूप से नजर रखी जा सके। एक बार वास्तविक समय डेटा वाला ऑनलाइन पोर्टल विकसित हो जाए

तो प्रत्येक संकेतक की प्रगति की निगरानी करना इस समर्पित इकाई के लिए आसान हो जाएगा और योजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता और तेजी लाई जा सकती है। वर्तमान में, मंत्रालय निधियों, स्वीकृति पत्रों आदि को जारी करने के संबंध में आगे की कार्रवाइयों के लिए निगरानी समितियों की रिपोर्टों (त्रैमासिक) की प्रतीक्षा करता है और उन पर निर्भर रहता है। समिति का दृढ़ मत है कि ऐसी इकाई के होने से निश्चित रूप से राज्य स्तर पर किसी भी समस्या की पहचान कर ली जाएगी और एमपीलैड्स परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित और कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय किया जा सकेगा, जैसा कि एमपीलैड्स को फील्ड स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है।

नई दिल्ली;
31 मार्च, 2022
10 चैत्र, 1944 (शक)

गिरीश भालचंद्र बापट
सभापति
प्राक्कलन समिति

अनुलग्नक।

17वीं लोकसभा के उन सांसदों की सूची जिनकी एमपीलैड्स के तहत 2019-20 की किस्तें 30.06.2021 तक जारी नहीं की गई हैं						
क्रम सं.	राज्य का नाम	सदस्य का नाम	नोडल जिला	निर्वाचन-क्षेत्र	किस्त संख्या	किस्त वर्ष
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	श्री कुलदीप राय शर्मा	दक्षिण अंडमान	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	दूसरी किस्त	2019-2020
2	आंध्र प्रदेश	श्री बालाशोरी वल्लभनेनी	कृष्णा	मछलीपट्टनम	दूसरी किस्त	2019-2020
3	अरुणाचल प्रदेश	श्री तपीर गाओ	लोहित	अरुणाचल पूर्व	दूसरी किस्त	2019-2020
4	असम	श्री मौलाना अजमल बदरुद्दीन	धुबरी	धुबरी	दूसरी किस्त	2019-2020
5	असम	श्री दिलीप सैकिया	दरांग	मंगलदोई	दूसरी किस्त	2019-2020
6	असम	श्री होरेन सिंग बे	कार्बी एंग्लोंग	स्वायत्त जिला (एसटी)	दूसरी किस्त	2019-2020
7	असम	श्री प्रद्युत बोरदोलोई	नोव्गोंग	नोव्गोंग	दूसरी किस्त	2019-2020
8	असम	श्री तेली रामेश्वर	डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़	दूसरी किस्त	2019-2020
9	असम	श्री राजदीप रॉय	सिलचर	कछार	दूसरी किस्त	2019-2020
10	बिहार	श्री चंदन सिंह	शेखपुरा	नवादा	दूसरी किस्त	2019-2020
11	बिहार	श्री चिराग पासवान	जमुई	जमुई (एससी)	दूसरी किस्त	2019-2020
12	बिहार	श्री दिनेश चंद्र यादव	सहरसा	मधेपुरा	दूसरी किस्त	2019-2020
13	बिहार	श्री गिरिराज सिंह	बेगूसराय	बेगूसराय	दूसरी किस्त	2019-2020
14	बिहार	श्री राधा मोहन सिंह	मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)	पूर्वी चंपारण	दूसरी किस्त	2019-2020
15	बिहार	श्री राज कुमार सिंह	भोजपुर (आरा)	आरा	दूसरी किस्त	2019-2020
16	बिहार	श्री राजीव प्रताप रूडी	सारन	सारन	दूसरी किस्त	2019-2020
17	बिहार	श्री राजीव रंजन (ललन) सिंह	लखीसराय	मुंगेर	दूसरी किस्त	2019-2020
18	बिहार	श्री राम कृपाल यादव	पटना	पाटलिपुत्र	दूसरी किस्त	2019-2020
19	बिहार	श्री रविशंकर प्रसाद	पटना	पटना साहिब	दूसरी किस्त	2019-2020
20	बिहार	डॉ. संजय जायसवाल	बेतिया (डब्ल्यू. चंपारण)	पश्चिम चंपारण	दूसरी किस्त	2019-2020

21	दादरा तथा नगर हवेली	श्री मोहनभाई संजीभाई देलकर	दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली (एसटी)	दूसरी किस्त	2019-2020
22	दिल्ली	डॉ हर्षवर्धन	आपुक्त उत्तर दिल्ली नगर निगम	चांदनी चौक	दूसरी किस्त	2019-2020
23	गुजरात	डॉ भारतीबेन धीरूभाई श्याल	भावनगर	भावनगर	दूसरी किस्त	2019-2020
24	गुजरात	डॉ महेंद्रभाई कालूभाई मुंजपारा	सुरेंद्रनगर	सुरेंद्रनगर	दूसरी किस्त	2019-2020
25	हरियाणा	डॉ अरविंद कुमार शर्मा	रोहतक	रोहतक	दूसरी किस्त	2019-2020
26	हरियाणा	श्री कृष्ण पाल गुर्जर	फरीदाबाद	फरीदाबाद	दूसरी किस्त	2019-2020
27	हिमाचल प्रदेश	श्री राम स्वरूप शर्मा	मंडी	मंडी	दूसरी किस्त	2019-2020
28	झारखंड	सुश्री अन्नपूर्णा देवी	कोडरमा	कोडरमा	दूसरी किस्त	2019-2020
29	झारखंड	श्री गीता कोरा	चाईबास (पश्चिमी सिंहभूम)	सिंहभूम (एसटी)	दूसरी किस्त	2019-2020
30	झारखंड	श्री जयंत सिन्हा	हजारीबाग	हजारीबाग	दूसरी किस्त	2019-2020
31	झारखंड	डॉ. निशिकांत दुबे	देवघर	गोड्डा	दूसरी किस्त	2019-2020
32	कर्नाटक	श्री गंगासंद्र सिद्दप्पा बसवराज	तुमकुरु	तुमकुर	दूसरी किस्त	2019-2020
33	कर्नाटक	श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्य	बेंगलुरू अर्बन	बेंगलौर दक्षिण	दूसरी किस्त	2019-2020
34	कर्नाटक	श्री रमेश चंदप्पा जिगजिनागी	बीजापुर	बीजापुर (एससी)	दूसरी किस्त	2019-2020
35	कर्नाटक	डॉ उमेश जाधवी	कलबुर्गी	गुलबर्गा (एससी)	दूसरी किस्त	2019-2020
36	केरल	श्री राजमोहन उन्नीधन	कासरगोड	कासरगोड	दूसरी किस्त	2019-2020
37	लक्षद्वीप	श्री फैजल पी.पी. मुहम्मद	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप (एसटी)	दूसरी किस्त	2019-2020
38	मध्य प्रदेश	श्री दुर्गा दास उइके	बैतूल	बैतूल (एसटी)	दूसरी किस्त	2019-2020
39	मध्य प्रदेश	श्री राकेश सिंह	जबलपुर	जबलपुर	दूसरी किस्त	2019-2020
40	महाराष्ट्र	डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवचारी महास्वामीजी	सोलापुर	सोलापुर (एससी)	दूसरी किस्त	2019-2020
41	महाराष्ट्र	श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन रजनीबालकर	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	दूसरी किस्त	2019-2020

42	महाराष्ट्र	श्री प्रतापराव जाधव	बुलढाणा	बुलढाणा	दूसरी किस्त	2019-2020
43	महाराष्ट्र	डॉ प्रीतम गोपीनाथ मुंडे	बीड	बीड	दूसरी किस्त	2019-2020
44	महाराष्ट्र	श्री रावसाहेब पाटिल दानवे	जलना	जलना	दूसरी किस्त	2019-2020
45	महाराष्ट्र	श्री संजय (काका) रामचंद्र पाटिल	सांगली	सांगली	दूसरी किस्त	2019-2020
46	मणिपुर	डॉ. लोरहो एस. फोज़े	सेनापति	बाहरी मणिपुर (एसटी)	दूसरी किस्त	2019-2020
47	मणिपुर	डॉ. रंजन सिंह राजकुमार	इंफाल पूर्व	भीतरी मणिपुर	दूसरी किस्त	2019-2020
48	नागालैंड	श्री तोखेहो येप्थोमी	दीमापुर	नागालैंड	दूसरी किस्त	2019-2020
49	ओडिशा	श्री बसंत कुमार पांडा	कालाहांडी	कालाहांडी	दूसरी किस्त	2019-2020
50	ओडिशा	श्री प्रताप चंद्र सारंगी	बालासोर	बालासोर	दूसरी किस्त	2019-2020
51	ओडिशा	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	बोलंगीर	बोलंगीर	दूसरी किस्त	2019-2020
52	राजस्थान	श्री देवजी मानसिंहराम पटेल	जालौर	जालौर	दूसरी किस्त	2019-2020
53	राजस्थान	श्री नरेंद्र कुमार	झुंझुनूं	झुंझुनूं	दूसरी किस्त	2019-2020
54	राजस्थान	श्री ओम बिरला	कोटा	कोटा	दूसरी किस्त	2019-2020
55	राजस्थान	श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर	जयपुर	जयपुर ग्रामीण	दूसरी किस्त	2019-2020
56	राजस्थान	श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया	टोंक	टोंक-सवाई माधोपुरी	दूसरी किस्त	2019-2020
57	तमिलनाडु	डॉ ए चेल्लाकुमार	कृष्णागिरी	कृष्णागिरी	दूसरी किस्त	2019-2020
58	तमिलनाडु	श्री ए.के.पी. चिनराज	नमक्कल	नमक्कल	दूसरी किस्त	2019-2020
59	तमिलनाडु	श्री अविमुधु राजा	नीलगिरी	नीलगिरी (एससी)	दूसरी किस्त	2019-2020
60	तमिलनाडु	श्री डी. रविकुमार	विल्लुपुरम	विलुप्पुरम (एससी)	दूसरी किस्त	2019-2020
61	तमिलनाडु	श्री धनुष एम कुमार	तिरुनेलवेली	तेनकासी (एससी)	दूसरी किस्त	2019-2020
62	तमिलनाडु	श्री गौतम सिगमनी पोन	विल्लुपुरम	कल्लाकुरिची	दूसरी किस्त	2019-2020
63	तमिलनाडु	डॉ के जयकुमार	तिरुवल्लूर	तिरुवल्लुर (एससी)	दूसरी किस्त	2019-2020
64	तमिलनाडु	श्री के. शनमुगा	कोयंबत्तूर	पोलाची	दूसरी किस्त	2019-2020

		सुंदरम				
65	तमिलनाडु	श्री के. सुब्बारायण्य	तिरुपुर	तिरुपूर	दूसरी किस्त	2019-2020
66	तमिलनाडु	श्री कनि के. नवस	रामनाथपुरम	रामनाथपुरम	दूसरी किस्त	2019-2020
67	तमिलनाडु	श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि	तूतीकोरिन	थूथुकुडी	दूसरी किस्त	2019-2020
68	तमिलनाडु	श्री कार्ति पी चिदंबरम	शिवगंगा	शिवगंगा	दूसरी किस्त	2019-2020
69	तमिलनाडु	श्री एम सेल्वाराजी	थिरुवरुर	नागपट्टिनम (एससी)	दूसरी किस्त	2019-2020
70	तमिलनाडु	श्री मनिकम टैगोर बी	विरुधुनगर	विरुधुनगर	दूसरी किस्त	2019-2020
71	तमिलनाडु	श्री पी.आर. नटराजन	कोयंबत्तूर	कोयंबत्तूर	दूसरी किस्त	2019-2020
72	तमिलनाडु	श्री एस. वेंकटेशन	मदुरै	मदुरै	दूसरी किस्त	2019-2020
73	तमिलनाडु	श्री एस. रामलिंगम	तंजावुर	माइलादुत्रयी	दूसरी किस्त	2019-2020
74	तमिलनाडु	श्री एस जगतरक्षकन	वेल्लोर	अराकोणम	दूसरी किस्त	2019-2020
75	तमिलनाडु	श्री एस.आर. पार्थीबन	सलेम	सलेम	दूसरी किस्त	2019-2020
76	तमिलनाडु	श्री थिरुमा वलवन थोल	अरियालुर	चिदंबरम (एससी)	दूसरी किस्त	2019-2020
77	तेलंगाना	श्री असदुद्दीन ओवैसी	हैदराबाद	हैदराबाद	दूसरी किस्त	2019-2020
78	तेलंगाना	श्री किशन रेड्डी गंगापुरम	हैदराबाद	सिकंदराबाद	दूसरी किस्त	2019-2020
79	उत्तर प्रदेश	श्री अतुल कुमार सिंह	मऊ	घोसी	दूसरी किस्त	2019-2020
80	उत्तर प्रदेश	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	जालौन	जालौन (एससी)	दूसरी किस्त	2019-2020
81	उत्तर प्रदेश	श्री हरीश द्विवेदी	बस्ती	बस्ती	दूसरी किस्त	2019-2020
82	उत्तर प्रदेश	श्री कीर्ति वर्धन सिंह	गोंडा	गोंडा	दूसरी किस्त	2019-2020
83	उत्तर प्रदेश	श्री मोहम्मद आजम खान	रामपुर	रामपुर	दूसरी किस्त	2019-2020
84	उत्तर प्रदेश	श्री श्याम यादव सिंह	जौनपुर	जौनपुर	दूसरी किस्त	2019-2020
85	उत्तर प्रदेश	श्रीमती सोनिया गांधी	रायबरेली	रायबरेली	दूसरी किस्त	2019-2020
86	उत्तराखंड	डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक	हरिद्वार	हरिद्वार	दूसरी किस्त	2019-2020

87	उत्तराखंड	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी गढ़वाल	गढ़वाल	दूसरी किस्त	2019-2020
88	पश्चिम बंगाल	श्री अभिषेक बनर्जी	दक्षिण चौबीस परगना	डायमंड हार्बर	दूसरी किस्त	2019-2020
89	पश्चिम बंगाल	श्री अबू ताहिर खान	मुर्शिदाबाद	मुर्शिदाबाद	दूसरी किस्त	2019-2020
90	पश्चिम बंगाल	श्री अर्जुन सिंह	उत्तर चौबीस परगना	बर्रक्पुर	दूसरी किस्त	2019-2020
91	पश्चिम बंगाल	श्री बाबुल सुप्रियो	पश्चिम बर्धमान	आसनसोल	दूसरी किस्त	2019-2020
92	पश्चिम बंगाल	श्री चौधरी मोहन जटुआ	दक्षिण चौबीस परगना	मथुरापुर (एससी)	दूसरी किस्त	2019-2020
93	पश्चिम बंगाल	श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो	पुरुलिया	पुरुलिया	दूसरी किस्त	2019-2020
94	पश्चिम बंगाल	श्री कुनार हेम्ब्रम	झारग्राम	झारग्राम (एसटी)	दूसरी किस्त	2019-2020
95	पश्चिम बंगाल	सुश्री मिमी चक्रवर्ती	दक्षिण चौबीस परगना	जादवपुरी	दूसरी किस्त	2019-2020
96	पश्चिम बंगाल	श्रीमती नुसरत जहां रूही	उत्तर चौबीस परगना	बशीरहाट	दूसरी किस्त	2019-2020
97	पश्चिम बंगाल	श्रीमती प्रतिमा मंडल	दक्षिण चौबीस परगना	जोयनगर (एससी)	दूसरी किस्त	2019-2020
98	पश्चिम बंगाल	श्री राजू बिष्ट	दार्जिलिंग	दार्जिलिंग	दूसरी किस्त	2019-2020
99	पश्चिम बंगाल	श्री एस.एस. अहलूवालिया	पूर्व बर्धमान	बर्धमान-दुर्गापुर	दूसरी किस्त	2019-2020
100	पश्चिम बंगाल	प्रो. सौगत रॉय	उत्तर चौबीस परगना	डम डम	दूसरी किस्त	2019-2020
101	पश्चिम बंगाल	श्री सौमित्र खान	बांकुड़ा	बिष्णुपुर (एससी)	दूसरी किस्त	2019-2020
102	पश्चिम बंगाल	डॉ सुभाष सरकार	बांकुरा	बांकुरा	दूसरी किस्त	2019-2020

अनुलग्नक-II

क्रम स.	सांसद का नाम	राज्यसभा/लोकसभा सांसद और राज्य
1	श्री के वी पी रामचंद्र राव	पूर्व राज्यसभा सांसद, तेलंगाना
2	श्री वेवैथिलिंगम	17वीं लोकसभा पांडिचेरी
3	अधिवक्ता श्री अदूर पकाश	17वीं लोकसभा सांसद अत्तिंगल केरल
4	श्री के मुरलीधरनी	17वें लोकसभा सांसद वडकारा केरल
5	श्री थिरुमा वलवन थोल	17वीं लोकसभा सांसद चिदंबरम तमिलनाडु
6	श्री के जयकुमार	17वीं लोकसभा तिरुवल्लुर, तमिलनाडु
7	अधिवक्ता श्री ए एम आरिफ	17वीं लोकसभा सांसद अलाप्पुझा केरल
8	श्री श्रीरंगअप्पा बर्ने	17वीं लोकसभा सांसद मावल, महाराष्ट्र
9	श्री मनीष तिवारी	17वीं लोकसभा सांसद आनंदपुर साहिब पंजाब
10	श्री सुरेश गोपी	राज्यसभा मनोनीत, केरल
11	श्री दयानिधि मारन	17वीं लोकसभा चेन्नई सेंट्रल, तमिलनाडु
12	श्री बी मनिकम टैगोर	17वीं लोकसभा विरुधनगर, तमिलनाडु
13	श्री पी के कुन्हालीकुट्टी	17वीं लोकसभा मलप्पुरम, केरल
14	श्री बंदा प्रकाश	राज्य सभा सांसद, तेलंगाना
15	श्री अमर पटनायक	राज्य सभा सांसद, ओडिशा
16	श्री अच्युतानंद सामंत	17वीं लोकसभा कंधमाल, ओडिशा
17	श्री प्रभात झा	पूर्व राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश
18	श्री बी के हरिप्रसाद	पूर्व राज्य सभा सांसद कर्नाटक
19	श्री ढाल सिंह बिसेन	17वीं लोकसभा बालाघाट, मध्य प्रदेश
20	श्री विवेक नारायण शेजवलकर	17वीं ग्वालियर, मध्य प्रदेश
21	श्री एन गोकुलकृष्णन	राज्यसभा सांसद पुडुचेरी
22	श्री नरेंद्र सवाईकार	16वीं लोकसभा दक्षिण गोवा, गोवा
23	श्री रामन डेका	16वीं लोकसभा मंगलदोई, असम

24	श्री कीर्ति आज़ाद	15वीं और 16वीं लोकसभा दरभंगा, बिहार
25	श्री निहाल चंद	17वीं लोकसभा श्रीगंगानगर, राजस्थान
26	श्री राहुल शेवाले	16वीं और 17वीं लोकसभा मुंबई दक्षिण मध्य, महाराष्ट्र
27	श्री मनोज रजोरिया	17वीं लोकसभा करौली, राजस्थान
28	श्री गोपाल नारायण सिंह	राज्य सभा सांसद बिहार
29	श्री अनंत कुमार हेगड़े	16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा उत्तर कन्नड़ कर्नाटक
30	श्री चंद्र पाल सिंह यादव	राज्य सभा सांसद उत्तर प्रदेश
31	श्री संजय सेठ	राज्यस सभा सांसद उत्तर प्रदेश (पिछले कार्यकाल के लिए)
32	श्रीमती रेणुका एस. सरुता	17वीं लोकसभा सरगुजा, छत्तीसगढ़
33	श्री प्रफुल्ल पटेल	राज्य सभा सांसद महाराष्ट्र
34	श्री एम वी राजीव गौड़ा	राज्य सभा सांसद कर्नाटक
35	श्री बीरेंद्र प्रसाद वैश्य	राज्य सभा सांसद असम
36	श्री राम नाथ ठाकुर	राज्य सभा सांसद बिहार
37	श्री मनसुखभाई डी वासवा	17वीं लोकसभा सांसद भरूच गुजरात
38	श्री सी एन अन्नादुरई	17वीं लोकसभा सांसद तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु
39	श्री विनायक बी राउत	16वीं और 17वीं लोकसभा सांसद रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र
40	श्री एच डी देवेगौड़ा	16वीं लोकसभा सांसद हसन और 17वीं लोकसभा सांसद हसन के लिए
41	श्री राम एम. एन. किंजारापु	17वीं लोकसभा सांसद श्रीकाकुलम और 16वीं लोकसभा सांसद श्रीकाकुलम के लिए
42	श्री समशेर एस. मनहास	राज्यसभा सांसद जम्मू और कश्मीर, नोडल जिला- जम्मू

43	श्री डॉ के केशव राव	राज्यसभा सांसद आंध्र प्रदेश
44	श्री संतोष के गंगवार	16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा सांसद बरेली उत्तर प्रदेश
45	श्री नज़ीर अहमद लावाय	राज्यसभा सांसद जम्मू और कश्मीर
46	श्री तोखेहो यप्थोमी	17वीं लोकसभा नागालैंड
47	श्री हिशे लचुंगपा	राज्यसभा सांसद सिक्किम
48	श्री रामेश्वर तेली	16वीं लोकसभा सांसद असम
49	श्री अजय प्रताप सिंह	राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश एमपी
50	श्री प्रभास कुमार सिंह	16वीं लोकसभा सांसद बरगढ़ ओडिशा
51	श्री उमेश बी पाटिल	17वीं लोकसभा सांसद जलगांव महाराष्ट्र
52	सुश्री जसकौर मीना	17वीं लोकसभा सांसद दौसा, राजस्थान
53	श्री ए विजयकुमार	राज्यसभा सांसद तमिलनाडु
54	श्री बृज लाल	राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थनगर
55	श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा	राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश, उरैया
56	श्री एम शणमुगम	राज्यसभा सांसद, तमिलनाडु
57	श्री सुरेश कोडिकुन्निल	लोकसभा सांसद, केरल
58	श्री ई.टी. बसेहीर	17वीं लोकसभा सांसद, केरल
59	श्री राम्यहर हरिदास	17वीं लोकसभा सांसद, केरल
60	श्री हिबि इडेन	17वीं लोकसभा सांसद, केरल
61	श्री एस जोथिमणि	17वीं लोकसभा सांसद, तमिलनाडु
62	श्री एस आर पार्थिबन	17वीं लोकसभा तमिलनाडु
63	श्री अगाथा के संगमा	17वीं लोकसभा सांसद, मेघालय
64	श्री लोर्हो एस फोज़े	17वीं लोकसभा सांसद, मणिपुर
65	श्री रेणुका सिंह	17वीं लोकसभा छत्तीसगढ़
66	श्री अधीर रंजन चौधरी	17वीं लोकसभा पश्चिम बंगाल
67	श्री चंदेश्वर प्रसाद	17वीं लोकसभा बिहार
68	श्री गौरव गोगोई	17वीं लोकसभा असम
69	श्री संजय जायसवाल	16वीं और 17वीं लोकसभा बिहार
70	श्री सतीश चंद्र दुबे	16वीं लोकसभा सांसद, बिहार

71	श्री शांतनु सेन	राज्यसभा सांसद, पश्चिम बंगाल
72	श्री अबू हसन चौधरी	16वीं और 17वीं लोकसभा सांसद, पश्चिम बंगाल
73	श्री कल्याण बनर्जी	17वीं लोकसभा सांसद, पश्चिम बंगाल
74	श्री सुनील कुमार मंडल	16वीं और 17वीं लोकसभा सांसद, पश्चिम बंगाल
75	श्री तारिक अनवर	16वीं लोकसभा सांसद, बिहार
76	श्री वंग गीता विश्वनाथ,	17वीं लोकसभा सांसद, आंध्र प्रदेश
77	श्री अमर पटनायक	राज्यसभा सांसद, ओडिशा
78	श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी	लोकसभा सांसद, तेलंगाना
79	श्री असदुद्दीन ओवैसी	16वीं और 17वीं लोकसभा, तेलंगाना
80	श्री भीमराव बसवंतराव पाटिल	16वीं लोकसभा, तेलंगाना
81	श्रीमती शताब्दी रॉय	17वीं लोकसभा, पश्चिम बंगाल
82	श्री अर्जुन लाल मीणा	17वीं लोकसभा, राजस्थान
83	श्री प्रकाश जावड़ेकर	राज्यसभा सांसद, महाराष्ट्र
84	श्री कृपाल बालाजी तुमानी	17वीं लोकसभा सांसद, महाराष्ट्र
85	श्री भावना गवाली	16वीं लोकसभा महाराष्ट्र

अनुलग्नक-1

वर्ष 2016 से एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में संशोधन का विवरण

क्रमांक	विषय	जारी करने की तारीख
1.	दिव्यांगजनों के लिए एमपीलैड्स निधि का उपयोग	05 सितंबर, 2016
2.	एमपीलैड्स के दिशानिर्देशों में ग्रामीण बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समावेशन	07 सितंबर, 2016
3.	बिना ब्रेक के पुनः चयनित राज्यसभा सांसदों के संबंध में एमपीलैड्स निधियों की निर्मुक्ति और प्रबंधन	07 सितंबर, 2016
4.	एमपीलैड्स के तहत दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी	06 अक्टूबर, 2016
5.	एमपीलैड्स निधि की दूसरी किस्त जारी करने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना	02 नवंबर, 2016
6.	शैक्षणिक संस्थानों, गांवों और चयनित स्थानों में स्थिर वाई-फाई सिस्टम की स्थापना	28 नवंबर, 2016
7.	सौर प्रकाश प्रणाली का प्रावधान	20 दिसंबर, 2016
8.	एमपीलैड्स निधि जारी करना	29 दिसंबर 2016
9.	कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए उपकरण	16 फरवरी, 2017
10.	कार्यान्वयन एजेंसी का चयन	23 फरवरी, 2017
11.	एमपीलैड्स निधि जारी करना	28 अगस्त, 2017
12.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास क्षेत्रों के लिए एमपीलैड्स निधि का उपयोग	18 सितंबर, 2017
13.	ट्रस्टों/सोसाइटियों के कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधियों का आवंटन	25 सितंबर, 2017
14.	एमपीलैड योजना के तहत वन एमपी-वन आइडिया योजना पर स्पष्टीकरण	01 दिसंबर, 2017
15.	सभी कार्यान्वयन एजेंसियां तत्काल प्रभाव से पीएफएमएस-ईएटी मॉड्यूल का उपयोग करके व्यय का वहन करेंगी	03 जनवरी, 2018
16.	एमपीलैड्स के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय का उपयोग	08 अप्रैल, 2018
17.	केरल राज्य में पुनर्वास कार्यों के लिए योगदान	18 सितंबर 2018
18.	एमपीलैड्स के तहत गंभीर आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में [illegible]स और पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने के लिए संशोधित प्रक्रिया	26 अक्टूबर, 2018
19.	एमपीलैड्स के तहत एक पात्र वस्तु के रूप में लैपटॉप की स्वीकार्यता	25 फरवरी, 2019

20	लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पूर्ववर्ती सांसद द्वारा छोड़ी गई एमपीलैड्स निधियों की शेष राशि (पूर्ववर्ती सांसद के कार्यों के लिए अप्रतिबद्ध निधि)	12 मार्च 2020
21	एमपीलैड्स के तहत स्टबल क्लियरिंग और सुपर सीडर मशीनों की खरीद	19 अक्टूबर 2020

अनुलग्नक IV

परिपत्र सं. ई-4/2020- एमपीलैड्स(पार्ट)
भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमपीलैड्स प्रभाग
******

पूर्वी खंड-6, लेवल-5,
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांकः 30 अप्रैल, 2021

विषयः एमपीलैड्स योजना अंतर्गत कोविड-19 के संबंध में तत्काल उपाय के रूप में सरकारी अस्पतालों/औषधालयों में परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं की खरीद तथा स्वतंत्र ऑक्सीजन निर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए अतिरिक्त समय के संबंध में।

माननीय संसद सदस्यों और जिला अधिकारियों से एमपीलैड्स के अंतर्गत कोविड-19 के संबंध में परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं की खरीद के लिए एकमुश्त छूट हेतु हाल ही में संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिसे इस मंत्रालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24 03 2021 के द्वारा अधिसूचित किया गया था और जिसे केवल वित्त वर्ष 2020-21 तक प्रतिबंधित रखने का इरादा था। इसी क्रम में, सरकारी अस्पतालों/औषधालयों में स्वतंत्र ऑक्सीजन निर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए एमपीलैड्स से निधियों के उपयोग की अनुमति देने के संदर्भ भी प्राप्त हो रहे हैं।

2. भयावह कोविड-19 महामारी से उत्पन्न मानव जीवन के लिए निरंतर खतरे को ध्यान में रखते हुए, कोविड -19 के संबंध में परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं की खरीद के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत एकमुश्त छूट को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ***एकमुश्त उपाय के रूप में वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सरकारी अस्पतालों/औषधालयों में स्वतंत्र ऑक्सीजन निर्माण संयंत्रों की स्थापना की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है।***

3. इस बात को समझा जाए कि वर्तमान में एमपीलैड्स को अपरिचालित कर दिया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए बजटीय परिव्यय को पहले ही कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों के प्रबंधन के लिए वित्त मंत्रालय को निपटान के लिए सौंपा जा चुका है।

इसलिए, माननीय सदस्यों द्वारा कोविड-19 के संबंध में परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं की खरीद के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र/संसद सदस्य और जिला प्राधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रतिबद्ध उत्तरदायित्वों

का सम्मान और उचित मूल्यांकन करते हुए नोडल जिला प्राधिकरण के बचत खाते में उपलब्ध निधि से की जा सकती हैं।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(राज कृष्ण भोरिया)
निदेशक (एमपीलैड्स)

सेवा में,

1. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नोडल सचिव।
2. दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई के निगम आयुक्त।
3. सभी जिला क्लेकटर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. माननीय उपाध्यक्ष, राज्य सभा के निजी सचिव।
2. माननीय सभापति, लोक सभा के निजी सचिव।
3. माननीय राज्यमंत्री (प्रभारी), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निजी सचिव।
4. संसद के सभी माननीय सदस्य (राज्य सभा/लोक सभा)
5. मंत्रिमंडल सचिव के प्रधान निजी सचिव।
6. सचिव/महानिदेशक (सी एंड ए)/अपर सचिव/अपर सचिव और एफए/डीडीजी (प्रशासन)/ निदेशक(एमपीलैड्स)/उप सचिव (एमपीलैड्स)।
7. अपर निदेशक, एमपीलैड्स शाखा समिति, लोक सभा सचिवालय।
8. निदेशक, एमपीलैड्स शाखा समिति, राज्य सभा सचिवालय।
9. सभी संबंधित अधिकारी/ एमपीलैड्स शाखा के सभी अधिकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
10. एनआईसी- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को एमपीलैड्स पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

अनुबंध X

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमपीलैड्स प्रभाग

शुद्धिपत्र

पूर्वी ब्लॉक-6, लेवल-6 आर.के.पुरम,
नई दिल्ली-110066, दिनांक: 13.05.2021

विषयः एमपीलैड्स योजना अंतर्गत कोविड-19 के संबंध में तत्काल उपाय के रूप में सरकारी अस्पतालों/औषधालयों में परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं की खरीद तथा स्वतंत्र ऑक्सीजन निर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए अतिरिक्त समय के संबंध में।

परिपत्र सं.ई-4/2020-एमपीलैड्स (भाग): इस मंत्रालय के दिनांक 30.04.2021 के समसंख्यक परिपत्र में आंशिक आशोधन करते हुए उल्लिखित परिपत्र के प्रारंभिक पैरा में कथित तिथि को 24.03.2021 के स्थान पर **24.03.2020** के रूप में पढ़ा जाएगा।

(राज कृष्ण भोरिया)
निदेशक (एमपीलैड्स)

सेवा में,

1. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नोडल सचिव।
2. दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई के निगम आयुक्त।
3. सभी जिला क्लेकटर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय उपाध्यक्ष, राज्य सभा के निजी सचिव।
2. माननीय सभापति, लोक सभा के निजी सचिव।
3. माननीय राज्यमंत्री (प्रभारी), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निजी सचिव।
4. संसद के सभी माननीय सदस्य (राज्य सभा/लोक सभा)

5. मंत्रिमंडल सचिव के प्रधान निजी सचिव।
6. सचिव/महानिदेशक (सी एंड ए)/अपर सचिव/अपर सचिव और एफए/डीडीजी (प्रशासन)/ निदेशक(एमपीलैड्स)/उप सचिव (एमपीलैड्स)।
7. अपर निदेशक, एमपीलैड्स शाखा समिति, लोक सभा सचिवालय।
8. निदेशक, एमपीलैड्स शाखा समिति, राज्य सभा सचिवालय।
9. सभी संबंधित अधिकारी/ एमपीलैड्स शाखा के सभी अधिकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
10. एनआईसी- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को एमपीलैड्स पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Members of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
ईस्ट ब्लॉक 6, लेवल 6, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110066
GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Statistics & Programme Implementation
East Block 6, Level 6
R.K. Puram, New Delhi - 110 066.
Phone : 011-26104106, E-mail : mplads@nic.in

सं.सी-66/2011-एमपीलैड्स-खंड.III

दिनांक: 05.06.2015

सेवा में,

(1) आयुक्त,
कोलकाता/चेन्ई/दिल्ली नगर निगम
(2) सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/जिला आयुक्त

विषय: एम्बुलेंस/शव वाहनों की खरीद।

महोदय/महोदया,

एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों में निहित पूर्व अनुदेशों के अधिक्रमण में दिशानिर्देशों के पैरा 3.25 में निम्नुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:

पैरा 3.25 एम्बुलेंसों/शव वाहनों की खरीद किसी संसद सदस्य की संस्तुति पर जिला प्राधिकारी/जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के अनुबंध II-क में पैरा 10 निम्नुसार संशोधित करने का निर्णय भी लिया गया है:

पैरा 10: एम्बुलेंस/शव वाहन (पैरा 3.25):

(क) किसी संसद सदस्य की संस्तुति पर जिला प्राधिकारियों/जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एम्बुलेंसों की खरीद करने की पहले से ही अनुमति है।

(ख) एम्बुलेंसों/शव वाहनों की खरीद किसी भी संसद सदस्य की संस्तुति और अध्यक्ष के रूप में जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर तथा सदस्यों के रूप में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर के एक प्रतिनिधि से युक्त तीन सदस्यीय समिति द्वारा जांच के बाद की जाएगी।

(ग) खरीदी गई एम्बुलेंस/शव वाहन का स्वामित्व जिला प्राधिकारी/जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास होगा और यह प्रमुखत: जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में होगा।

(घ) उपयोगकर्ता शुल्क का निर्धारण जिला प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। (उचित रूप से गठित समिति की संस्तुति पर) जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि निर्धारित शुल्क उचित और आम आदमी के लिए किफायती है।

(ङ) जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट जनता के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु इन एम्बुलेंसों/शव वाहनों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की निगरानी करेगा।

(च) इस प्रकार खरीदी गई प्रत्येक एम्बुलेंस/शव वाहन के दोनों ओर मोटे अक्षरों में मार्किंग की जाएगी जिसमें लिखा होगा---------- संसद सदस्य द्वारा अभिदत्त भारत सरकार, एमपीलैड्स निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस/शव वाहन" ।

(छ) जिला प्राधिकारी सरकारी अस्पतालों, नगरपालिका/पंचायत कार्यालयों आदि में महत्वपूर्ण स्थानों पर संसद सदस्यों द्वारा उनकी एमपीलैड्स निधियों से एम्बुलेंस/शव वाहन की व्यवस्था के विषय में दूरभाष नंबर के साथ सार्वजनिक नोटिस लगाएगा ताकिजनता एम्बुलेंस/शव वाहन की सेवाओं का लाभ उठा सकें, और दुरूपयोग या अनुप्रयोग के मामलों में शिकायत दर्ज कराई जा सके ताकि जिला प्राधिकारी उन शिकायतों की उचित जांच करने के बाद आवश्यक कार्रवाई कर सके।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(तपन मित्रा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रति सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोकसभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड्स के साथ डील कर रहे सचिव, नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
3. एमपीलैड्स से संबंधित राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
4. एमपीलैड्स से संबंधित लोकसभा समिति, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
5. एमपीलैड्रा प्रभाग में राभी संबंधित
6. एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनआईसी।

अनुलग्नक -V

फाईल सं. सी-38/2015-एमपीलैड्स
भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमपीलैड्स प्रभाग
*****

पूर्वी ब्लॉक-6, लेवल-5
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 23.04.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 21 महीनों की निर्धारित अवधि खत्म होने पर पूर्व सांसदों के बचत खातों का निपटान और खाते बंद करने के संबंध में ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 14 मई, 2020 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन और उसके बाद के दिनांक 16.07.2020, 31.08.2020 और 01.01.2021 के अनुस्मारकों का संदर्भ ग्रहण करें(प्रतिलिपि संलग्न), जिसमें खातों को शीघ्र बंद करने और समापन रिपोर्ट इस मंत्रालय को भेजने का अनुरोध किया गया था। तथापि, यह देखा गया है कि अनेक खाते अभी भी बंद नहीं किए हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ समापन दस्तावेज इस मंत्रालय को अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

2. पूर्व सांसदों के बचत खातों की स्थिति भी फिर से समीक्षा की गई है और यह देखा गया है कि अभी तक पिछले वर्ष के दौरान कुछ खातों के समापन विवरण प्राप्त हुए हैं। यह भी स्मरण कराया जाता है कि मंत्रालय ने इसके समसंख्यक का.ज्ञा. के माध्यम से बहुदा पूछे जाने वाले प्रश्नों (त्वरित संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न) की एक सूची भी परिचालित की थी, जिसका अर्थ जिला प्राधिकरणों का मार्गदर्शन करना और एमपीलैड्स के खातों को बंद करने को सरल बनाना था। जिला प्राधिकारियों को बार-बार निर्देश देने और टेलिफोन पर वार्तालाप के बावजूद बचत खातों का निपटान और उन्हें बंद करने की प्रक्रिया इष्टतम स्तर पर नहीं है । लोकसभा के पूर्व सांसदों के साथ-साथ आपके राज्य के राज्यसभा सांसदों के अनेक खाते जिन्होंने अपने कार्यालय को 30.08.2019 या उससे पहले छोड़ा था, अभी भी बंद करने बाकी हैं । 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा और राज्य सभा के ऐसे खातों की संशोधित समेकित सूची तैयार कर ली है, जो बंद खातों (अगस्त 2020 से 20.04.2021 के दौरान) और उन खातों जो अभी बंद किए जाने बाकी हैं, को दर्शाती है, एतद्वारा संलग्न की जा रही हैं (क्रमश: अनुबंध- I, II, III और IV) ।

3. इसलिए पुन: अनुरोध किया जाता है कि न्याय के हित और वर्तमान सांसद द्वारा एमपीलैड्स के कार्यों को पूरा करने के लिए अवचनबद्ध निधियों के लाभदायक उपयोग के लिए खातों के समापन/निपटान की प्रक्रिया को तेज किया जाए और इस मंत्रालय को संलग्न प्रारूप में विवरण 30 सितंबर 2020 तक निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाए ।

संलग्न: उपर्युक्त

(तनवीर कमर मोहम्मद)
संयुक्त सचिव (एमपीलैड्स)
js.mplads@mospi.gov.in

सेवा में,

1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव (इस अनुरोध के साथ कि खातों को शीघ्र बंद करने और मंत्रालय को 30 सितंबर 2020 तक समेकित आउटकम रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए संबंधित जिला प्राधिकारियों को उपयुक्त निदेश जारी करें ।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल सचिव
3. दिल्ली/कोलकाता/मुम्बई/चेन्नई के निगम आयुक्त ।
4. सभी जिला क्लेकटर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/जिला योजना अधिकारी/परियोजना निदेशक/कलेक्टर और विकास आयुक्त।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. संसद के सभी माननीय सदस्य (राज्य सभा/लोक सभा)
2. एनआईसी- साख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को एमपीलैड्स पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

(तनवीर कमर मोहम्मद)
संयुक्त सचिव (एमपीलैड्स)
js.mplads@mospi.gov.in

सी-38/2015-एमपीलैड्स
भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
(एमपीलैड्स प्रभाग)
*****

पूर्वी ब्लॉक-6, लेवल-6 और 7
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 14 मई 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 21 महीनों की निर्धारित अवधि खत्म होने पर पूर्व सांसदों के बचत खातों का निपटान और **खाते बंद करने के संबंध में ।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना (एमपीलैड्स) ऐसे पूर्व सांसदों के बचत खातों के निपटान और उन्हें बंद करने पर विचार कर रहा है जिन्होंने निर्धारित 21 महीनों की अवधि के समाप्ति पर पद त्याग कर दिया है । यह देखा गया है कि ऐसे खाते जिनमें **1723 करोड़ रुपए** का समग्र शेष है, अभी भी चालू हैं और जिनका निपटान और उसे बंद किया जाना है और अव्ययित शेष को एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों के संशोधित पैरा 4.7 और 4.8 तथा विद्यमान पैरा 4.9 और 4.10 के अनुसार वर्तमान पदधारी को हस्तांतरित किया जाएगा ।

2. विशेषत: यह देखा गया है कि 14वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा (ऐसे सांसदों के संबंध में जिन्होंने 16वीं लोक सभा के विघटन से पहले मृत्यु, त्यागपत्र इत्यादि के कारण पदत्याग कर दिया था) और पूर्व राज्य सभा सांसदों, जिन्होंने 30.06.2018 को या उससे पहले पदत्याग किया था से संबंधित नोडल जिला प्राधिकारी द्वारा खोले गए खाते, 21 महीने पूरे होने पर भी **अभी तक बंद नहीं किए गए** । पूर्व लोक सभा और राज्य सभा सांसदों के ऐसे खातों की समेकित सूची जो अभी तक बंद नहीं किए गए, को **अनुबंध-I से** IV पर दिखाया गया है । इससे संबंधित विवरण एमपीलैड्स पोर्टल पर भी उपलब्ध है ।

3. यह दोहराया जाता है कि वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए एमपीलैड्स योजना परिचालित नहीं करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में एमपीलैड्स के संबंध में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजटीय अनुदान को पहले ही कोविड-19 प्रकोप के आर्थिक और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय के निपटान पर रखा गया है । अत: आगामी दो वित्तीय वर्षों के दौरान किसी प्रकार की नई एमपीलैड निधि जारी करने पर विचार नहीं किया जा रहा, साथ ही 31.03.2020 के अनुसार अनिर्मोचित किस्तों को पहले ही जारी किया जा चुका है और माननीय सांसदों से उपलब्ध अव्ययित निधियों के आधार पर अपने संस्तुत कार्यों को पुन:वरीयता देने का अनुरोध किया गया है ।

4. इसको प्राथमिकता दी जाए, जैसा कि अनेक माननीय सांसद अपने संस्तुत किए गए कार्य को पूरा करने और अपनी प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए दिनांक 31 मार्च 2020 को देय किस्त को जारी करने के लिए मंत्रालय से संपर्क कर रहे हैं । माननीय सदस्यों से अलग से अनुरोध किया गया कि वे अपने संस्तुत किए गए कार्यों को पुन: प्राथमिकता प्रदान करें और उनको जिला स्तर पर उपलब्ध कुल समग्र अव्ययित शेष से पूरा करें ।

का सम्मान और उचित मूल्यांकन करते हुए नोडल जिला प्राधिकरण के बचत खाते में उपलब्ध निधि से की जा सकती हैं।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(राज कृष्ण भोरिया)
निदेशक (एमपीलैड्स)

सेवा में,

1. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नोडल सचिव।
2. दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई के निगम आयुक्त।
3. सभी जिला क्लेकटर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. माननीय उपाध्यक्ष, राज्य सभा के निजी सचिव।
2. माननीय सभापति, लोक सभा के निजी सचिव।
3. माननीय राज्यमंत्री (प्रभारी), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निजी सचिव।
4. संसद के सभी माननीय सदस्य (राज्य सभा/लोक सभा)
5. मंत्रिमंडल सचिव के प्रधान निजी सचिव।
6. सचिव/महानिदेशक (सी एंड ए)/अपर सचिव/अपर सचिव और एफए/डीडीजी (प्रशासन)/ निदेशक(एमपीलैड्स)/उप सचिव (एमपीलैड्स)।
7. अपर निदेशक, एमपीलैड्स शाखा समिति, लोक सभा सचिवालय।
8. निदेशक, एमपीलैड्स शाखा समिति, राज्य सभा सचिवालय।
9. सभी संबंधित अधिकारी/ एमपीलैड्स शाखा के सभी अधिकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
10. एनआईसी- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को एमपीलैड्स पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

फाईल सं. सी-38/2015-एमपीलैड्स
भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमपीलैड्स प्रभाग
*****

पूर्वी ब्लॉक-6, लेवल-5
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 16.07.2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 21 महीनों की निर्धारित अवधि खत्म होने पर पूर्व सांसदों के बचत खातों का निपटान और खाते बंद करने के संबंध में ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 14 मई, 2020 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ ग्रहण करें (प्रतिलिपि संलग्न), जिसमें खातों को शीघ्र बंद करने और समापन रिपोर्ट इस मंत्रालय को **15 जून, 2020** तक भेजने का अनुरोध किया गया था । तथापि, यह देखा गया है कि अनेक खाते अभी भी बंद नहीं किए हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ समापन दस्तावेज इस मंत्रालय को अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

2. पूर्व सांसदों के बचत खातों की स्थिति की फिर से समीक्षा की गई है और यह देखा गया है कि अभी तक मध्यवर्ती अवधि के दौरान 50 करोड़ रूपए की राशि के लगभग 50 खातों के समापन विवरण ही प्राप्त हुए हैं । इस मंत्रालय द्वारा बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद बचत खातों का निपटान और उन्हें बंद करने की प्रक्रिया इष्टतम स्तर पर नहीं है । लोकसभा के पूर्व सांसदों के साथ-साथ आपके राज्य के राज्यसभा सांसदों के ऐसे अनेक खाते, जिन्होंने अपने कार्यालय को 30.09.2018 या उससे पहले छोड़ दिया था, अभी भी बंद करने बाकी हैं । एनआईसी और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परामर्श से 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा और राज्य सभा के ऐसे खातों की संशोधित समेकित सूची तैयार कर ली है, जो बंद खातों (अगस्त 2020 से 20.04.2021 के दौरान) और उन खातों जो अभी बंद किए जाने बाकी हैं, को दर्शाती है, एतद्द्वारा संलग्न की जा रही हैं (क्रमशः अनुबंध- I, II, III और IV) ।

3. पूर्व सांसदों के खातों में लगभग 1693.24 करोड़ रुपये तक की अव्ययित शेष राशि (21 महीने की निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बाद भी कुछ नए खाते जोड़े गए हैं) पड़ी हुई/निष्क्रिय पाई गई है, जिसका कारण निधियों के उपयोग की धीमी गति को ठहराया जा सकता है। इनमें से अधिकांशतः खातों को अतिरिक्त एमपीलैड्स निधियों से भरने की आवश्यकता नहीं है और एमपीलैड्स निधियों के बेहतर और लाभदायक उपयोग के लिए, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के संशोधित पैरा 4.7, पैरा 4.8, पैरा 4.9 और 4.10 के अनुसार उत्तरवर्ती सांसदों को हस्तांतरण करने के लिए तैयार हैं। यह वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण विकास परियोजनाओं/कार्यों को क्रियान्वित करने में आ रही निधि की कमी के मुद्दे का समाधान करने में कारगर साबित हो सकता है ।

4. मामले की जांच करते हुए, यह पाया गया कि कई जिला प्राधिकारी संदेहपूर्ण हैं और उन्होंने एमपीलैड योजना के संबंध में बैंक खाते बंद करने के विषय में प्रश्न उठाए हैं। जिला प्राधिकारियों द्वारा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साझा किए गए अनुभव के आधार पर, जिला प्राधिकारियों के लिए एक गाइड के रूप में काम करने और एमपीलैड्स के लिए खातों को बंद करने की सुविधा के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को संकलित किया गया है और इसे अनुबंध-V में रखा गया है।

5. यह पुन: अनुरोध किया जाता है कि खातों को बंद करने की प्रक्रिया में तेजी लाया जाए और इस मंत्रालय को संलग्न प्रारूप के अनुसार विवरण 15 अगस्त, 2020 तक प्रस्तुत करें।

संलग्न: उपर्युक्त

(तनवीर कमर मोहम्मद)
संयुक्त सचिव (एमपीलैड्स)
js.mplads@mospi.gov.in

सेवा में,

1. **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल सचिव (इस अनुरोध के साथ कि खातों को शीघ्र बंद करने और मंत्रालय को 15 अगस्त 2020 तक समेकित आउटकम रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए संबंधित** जिला प्राधिकारियों को उपयुक्त निदेश जारी करें ।
2. दिल्ली/कोलकाता/मुम्बई/चेन्नई के निगम आयुक्त ।
3. सभी जिला क्लेकटर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/जिला योजना अधिकारी/परियोजना निदेशक/कलेक्टर और विकास आयुक्त।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. संसद के सभी माननीय सदस्य (राज्य सभा/लोक सभा)
2. एनआईसी- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को एमपीलैड्स पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

फाईल सं. सी-38/2015-एमपीलैड्स
भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमपीलैड्स प्रभाग
*****

पूर्वी ब्लॉक-6, लेवल-5
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 31.08.2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 21 महीनों की निर्धारित अवधि खत्म होने पर पूर्व सांसदों के बचत खातों का निपटान और खाते बंद करने के संबंध में ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 16 जुलाई, 2020 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ ग्रहण करें (प्रतिलिपि संलग्न), जिसमें खातों को शीघ्र बंद करने और समापन रिपोर्ट इस मंत्रालय को 15 अगस्त 2020 तक भेजने का अनुरोध किया गया था । तथापि, यह देखा गया है कि अनेक खाते अभी भी बंद नहीं किए हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ समापन दस्तावेज इस मंत्रालय को अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

2. पूर्व सांसदों के बचत खातों की स्थिति की फिर से समीक्षा की गई है और यह देखा गया है कि अभी तक मध्यवर्ती अवधि के दौरान 70 करोड़ रूपए की राशि के लगभग 50 खातों के समापन विवरण ही प्राप्त हुए हैं। यह भी स्मरण कराया जाता है कि मंत्रालय ने इसके समसंख्यक का.ज्ञा. के माध्यम से बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों (त्वरित संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न) की एक सूची भी परिचालित की थी, जो जिला प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए और एमपीलैड्स के खातों को बंद करने को सरल बनाने के लिए है । जिला प्राधिकारियों को बार-बार निर्देश देने और टेलिफोन पर वार्तालाप के बावजूद बचत खातों का निपटान और उन्हें बंद करने की प्रक्रिया इष्टतम स्तर पर नहीं है । लोकसभा के पूर्व सांसदों के साथ-साथ आपके राज्य के राज्यसभा सांसदों के ऐसे अनेक खाते, जिन्होंने अपने कार्यालय को 30.08.2019 या उससे पहले छोड़ दिया था, अभी भी बंद करने बाकी हैं । एनआईसी और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परामर्श से 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा और राज्य सभा के ऐसे खातों की संशोधित समेकित सूची तैयार कर ली है, जो बंद खातों (अगस्त 2020 से 20.04.2021 के दौरान) और उन खातों जो अभी बंद किए जाने बाकी हैं, को दर्शाती है, एतद्वारा संलग्न की जा रही हैं (क्रमश: अनुबंध- I, II, III और IV) ।

3. इसलिए पुन: अनुरोध किया जाता है कि न्याय के हित और वर्तमान सांसद द्वारा एमपीलैड्स के कार्यों को पूरा करने के लिए अवचनबद्ध निधियों के लाभदायक उपयोग के लिए खातों के समापन/निपटान की प्रक्रिया को तेज किया जाए और इस मंत्रालय को संलग्न प्रारूप में विवरण 31 मई 2021 तक निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाए ।

संलग्न: उपर्युक्त

(तनवीर कमर मोहम्मद)
संयुक्त सचिव (एमपीलैड्स)
js.mplads@mospi.gov.in
mplads@nic.in

सेवा में,

1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव (इस अनुरोध के साथ कि खातों को शीघ्र बंद करने और मंत्रालय को 31 मई 2021 तक समेकित आउटकम रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए संबंधित जिला प्राधिकारियों को उपयुक्त निदेश जारी करें ।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल सचिव
3. दिल्ली/कोलकाता/मुम्बई/चेन्नई के निगम आयुक्त ।
4. सभी जिला क्लेकटर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/जिला योजना अधिकारी/परियोजना निदेशक/कलेक्टर और विकास आयुक्त ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. संसद के सभी माननीय सदस्य (राज्य सभा/लोक सभा)
2. एनआईसी- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को एमपीलैड्स पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

अति तत्काल

फाइल सं. सी-38/2015-एमपीलैड्स
भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
(एमपीलैड्स प्रभाग)
*****

पूर्वी ब्लॉक-6, लेवल-6
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 01.01.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पूर्व सांसदों के बचत खातों के निपटान और उन्हें बंद करना – तत्संबंधी ।

कृपया इस मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में एमपीलैड्स निधि से संबंधित डेटा संग्रहण के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा की गई प्रक्रिया का संदर्भ लें । एमपीलैड्स प्रभाग ने पत्रों/ईमेलों/गूगल लिंक/टेलीफोन/व्हाट्सऐप. इत्यादि के माध्यम से संग्रहित डाटा के आधार पर एमपीलैड्स प्रभाग ने लोक सभा और राज्य सभा सांसदों (आसीन और पूर्व) की राज्य वार और नोडल जिला वार निधि संबंधी स्थिति को समेकित किया है । आपके राज्यों और नोडल जिलों से संबंधित समेकित डाटा एतद्द्वारा संलग्न किया जा रहा है ।

2. यह अनुरोध किया जा रहा है कि अपने राज्य/नोडल जिलों में प्रतिबद्ध देयता की समस्या को सुगम बनाने के लिए डेटा (प्रतिलिपि संलग्न) की समीक्षा करें और सुझाव, यदि कोई हों, तो प्रदान करें ।

3. इसके अतिरिक्त यह अनुरोध भी किया जा रहा है कि लोक सभा और राज्य सभा के पूर्व सांसदों के संबंध में नोडल जिलों के लेखों में उपलब्ध अव्ययित शेष को एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के पैरा 4.7, 4.8, 4.9 तथा 4.10 के अनुसरण में हस्तांतरित/पुन: आवंटित किया जा सकता है ।

4. कुछ नोडल जिलों के संबंध में अवचनबद्ध शेष से संबंधित डेटा यदि उपलब्ध नहीं करवाया गया है तो इस मंत्रालय को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जाए ।

5. इस कार्यालय को यह रिपोर्ट 7 जनवरी, 2021 तक भेजी दी जाए ।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

संलग्न: उपर्युक्त

(सुधा मीणा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

जिला क्लेकटर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/ जिला योजना अधिकारी/परियोजना निदेशक/कलेक्टर और विकास आयुक्त।

प्रतिलिपि:

1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव (इस अनुरोध के साथ कि खातों को शीघ्र बंद करने और समेकित आउटकम रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए संबंधित जिला प्राधिकारियों को उपयुक्त निदेश जारी करें ।

प्राक्कलन समिति (२०२०-२१) की सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, **19 नवंबर, 2020** को 1130 बजे से 1300 बजे तक समिति कक्ष 'डी', संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री गिरिश भालचंद्र बापट - सभापति

सदस्य

2 कुंवर दानिश अली

3 श्री सुदर्शन भगत

4 श्री पी. पी. चौधरी

5 श्री नन्द कुमार सिंह चौहान

6 थिरु दयानिधि मारन

7 श्री के. मुरलीधरन

8 कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर

9 श्री विनायक भाउराव राउत

10 श्री मागुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी

11 श्री राजीव प्रताप रुडी

12 श्री फ्रांसिस्को कॉसमे सारदीना

13 श्री पिनाकी मिश्रा

14 श्री केसिनेनी श्रीनिवास

15 श्री अजय भट्ट

16 श्री परवेश साहब सिंह

सचिवालय

१.	श्रीमती बी. विसाला	-	निदेशक
२.	श्री आर. एस. नेगी	-	उप सचिव

साक्षी

१.	डॉ. के. शिवाजी	-	सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
२.	मिस ममता सक्सेना	-	महानिदेशक (सी&ए), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
३.	मिस टी. राजेश्वरी	-	अपर सचिव (पीई), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
४.	श्री टी. क्यू. मोहम्मद	-	संयुक्त सचिव (एमपीलैड्स), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

२. बैठक की शुरुआत में सभापति ने सदस्यों को समिति की बैठक में स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में जानकारी दी अर्थात सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का "एमपीलैड फंड योजना के तहत धन आवंटन और उपयोग की समीक्षा" विषय के संबंध में प्रमाण । संक्षिप्त चर्चा के बाद, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष रखने के लिए बुलाया गया ।

३ सभापति ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हें समिति में अपना परिचय देने को कहा और समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के बारे में अध्यक्ष, लोकसभा द्वारा दिशा-निर्देश 55 (1) की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। समिति के सदस्यों ने सभापति से अनुरोध किया कि मंत्रालय प्रस्तुति देने के बजाय उन्हें मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेने की अनुमति दी जाये क्योंकि वे पहले से ही पृष्ठभूमि सामग्री और पावर प्वाइंट प्रस्तुति का अध्ययन कर चुके हैं। सभापति ने सदस्यों के अनुरोध को स्वीकार किया ।

४. इसके बाद, सदस्यों ने इस विषय से संबंधित कई प्रश्न उठाए, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए निलंबित एमपीलैड फंड को वित्तीय वर्ष 2022-23 में जारी करना शामिल था; पिछले वर्षों के स्वीकृत एमपीलैड निधियों की लंबित किस्तों को जारी करना; पहले से पूरी हो चुकी परियोजनाओं या पूर्ण होने के करीब परियोजनाओं के लिए ठेकेदारों को भुगतान करने का स्रोत; परियोजना के नेम प्लेट पर सांसद के नाम का दर्शाना जिसकी निधि से परियोजना पूरी हुई है; एमपीलैड निधि का पर्याप्त उपयोग होना; एमपीलैड निधि योजना में पारदर्शिता; एमपीलैड निधि परियोजनाओं की जियोटैगिंग; सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों / श्मशान और कब्रिस्तान के लिए एमपीलैड निधि का उपयोग अनुमोदित परियोजनाओं के लिए क्रियान्वयन एजेंसी; जिला नोडल अधिकारियों और केंद्र सरकार

एमपीलैड्स के कार्यालय के अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी; धार्मिक स्थानों जैसे मंदिरों, चर्चों, मस्जिदों आदि के लिए एमपीलैड निधि का उपयोग करना; परियोजनाओं के समय पर पूरा होने के लिए निगरानी तंत्र; कंप्यूटर, फर्नीचर और सहायक के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय में सांसद के लिए अलग कार्यालय का प्रावधान; पीएसयू एजेंसियों द्वारा वसूला जाने वाला सर्विस सरचार्ज, इत्यादि ।

4. मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा सदस्यों के प्रश्नों का विधिवत उत्तर दिया गया। सभापति ने गवाहों को उपयोगी जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिया और उनसे उन बिंदुओं पर लिखित जवाब देने को कहा, जिनका उत्तर बैठक के दौरान नहीं दिया जा सकता था।

5. साक्षी की बैठक की शब्दशः कार्यवाही को रिकॉर्ड में रखा गया है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हो गयी ।

[खंडन : हिंदी संस्करण में किसी संदेह/व्याख्या की स्तिथि में, अंग्रेज़ी संस्करण को प्रामाणिक माना जाना चाहिए।]

अनुबंध- II

प्राक्कलन समिति (२०२०-२१) की ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार **05 जनवरी, 2021** को 1130 बजे से 1340 बजे तक समिति कक्ष '2', ब्लॉक-ए, संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री गिरिश भालचंद्र बापट - **सभापति**

सदस्य

2 कुंवर दानिश अली

3 श्री कल्याण बनर्जी

4 **श्री पी. पी. चौधरी**

5 **श्री नन्द कुमार सिंह चौहान**

6 श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप

7 **श्री के. मुरलीधरन**

8 **डॉ. के. सी. पटेल**

9 **कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर**

10 **श्री केसिनेनी श्रीनिवास**

11 **श्री परवेश साहब सिंह**

सचिवालय

१.	श्रीमती बी. विसाला	-	निदेशक
२.	श्रीमती ए. ज्योतिर्मयी	-	अपर निदेशक

साक्षी

१.	डॉ. के. शिवाजी	-	सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
२.	मिस ममता सक्सेना	-	महानिदेशक (सी&ए), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
३.	श्री टी. क्यू. मोहम्मद	-	संयुक्त सचिव (एमपीलैड्स), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

२. बैठक की शुरुआत में सभापति ने सदस्यों को समिति की बैठक में स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में जानकारी दी अर्थात सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का "एमपीलैड फंड योजना के तहत धन आवंटन और उपयोग की समीक्षा" विषय के संबंध में और साक्ष्य । संक्षिप्त चर्चा के बाद, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष रखने के लिए बुलाया गया ।

३. सभापति ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हें समिति में अपना परिचय देने को कहा और समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के बारे में अध्यक्ष, लोकसभा द्वारा दिशा-निर्देश 55 (1) की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया।

४. इसके बाद, सदस्यों ने इस विषय से संबंधित कई प्रश्न उठाए, जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 और पिछले सालों की एमपीलैड निधि की लंबित किश्तों को जारी करना; एमपीलैड निधि में वृद्धि के सुझाव; मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन वर्ष 2019-20 के लिए शेष राशि के आवंटन की नवीनतम स्थिति; एमपीलैड निधि का कोविड-19 के इलाज में प्रयोग; वर्ष 2019-20 की एमपीलैड निधि को जारी करने की कट-ऑफ डेट; एमपीलैड निधि को जारी करने में भेदभाव; यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी करने के पीछे का तर्क इरादा उद्देश्य; यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी करने के फायदे और नुकसान; एमपीलैड निधि का हर साल समय पर जारी करना; एमपीलैड निधि जारी न होने के कारण स्वीकृत / मंजूर की गयी परियोजनाओं का पूरा होने में देरी; एमपीलैड कार्यों / परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठकें; एमपीलैड निधि का सांसद द्वारा उपयोग और साइट पर उपयोग के बीच का अंतर; एमपीलैड निधि का कुशल उपयोग; कंप्यूटर, फर्नीचर, सहायक / टाइपिस्ट / डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय में एमपी के लिए एक अलग कार्यालय / सुविधा केंद्र का प्रावधान और सहायक / टाइपिस्ट / डेटा एंट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक का जरिया;

2% प्रशासनिक शुल्क, एमपीलैड निधि योजना पर सीएजी की रिपोर्ट; दीशा समिति के लिए निधि; ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति; एमपीलैड परियोजनाओं / कार्यों की स्थिति को दर्शाने वाला एक वास्तविक समय का डैशबोर्ड; पाँचवे वर्ष की एमपीलैड निधि को चौथे वर्ष में ही अग्रिम में जारी करना; एमपीलैड फंड योजना का प्रभावी / उचित कार्यान्वयन, आदि।

५. मंत्रालय क प्रतिनिधियों द्वारा सदस्यों के प्रश्नों का विधिवत उत्तर दिया गया। सभापति ने बताया कि यह इस विषय पर अंतिम बैठक थी और फिर गवाहों को उपयोगी जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिया और उनसे उन विंदुओं पर लिखित जवाब देने को कहा, जिनका उत्तर बैठक के दौरान नहीं दिया जा सकता था।

६. समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही को रिकॉर्ड में रखा गया है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हो गयी ।

[खंडन : हिंदी संस्करण में किसी संदेह/व्याख्या की स्तिथि में, अंग्रेज़ी संस्करण को प्रामाणिक माना जाना चाहिए।]

अनुबंध F

<u>प्राक्कलन समिति (2021-22) की नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश</u>

समिति गुरुवार, 31 मार्च, 2022 को 1600 बजे से 1650 बजे तक कमरा नं. '52 -बी', प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में बैठी।

उपस्थित

श्री गिरीश भालचंद्र बापट - अध्यक्ष

संदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री सुदर्शन भगत
4. श्री निहाल चंद चौहान
5. श्री हरीश द्विवेदी
6. श्री पार्वतागौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौदार
7. डॉ. संजय जायसवाल
8. श्री धर्मेंद्र कुमार कश्यप
9. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंदरिया
10. श्री दयानिधि मारान
11. श्री के. मुरलीधरन
12. डॉ केसी पटेल
13. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी
14. श्री दिलीप सैकिया
15. श्री जुगल किशोर शर्मा
16. श्री प्रताप सिम्हा
17. श्री केसिनेनी श्रीनिवास

सचिवालय

1. श्री मुरलीधरन. पी - निदेशक
2. श्रीमती गीता परमार - अपर निदेशक

2. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और उन्हें क्रमशः अनुलग्नक क और ख में दर्शाए गए कुछ परिवर्धन/संशोधनों के साथ अंगीकृत किया :

(i) XXX XXX XXX

(ii) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित ...

3. स'मिति ने तब अध्यक्ष को, संबंधित मंत्रालय से प्राप्त तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उसे लोक सभा को प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत क़िया।

4. XXX XXX XXX

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

चौदहवीं रिपोर्ट के मसौदे में समिति द्वारा किए गए संशोधन

पृष्ठ सं।	पैरा नं।	लाइन नंबर	के लिये	पढ़ना
62	8	-	जांच के दौरान, समिति ने पाया है कि विभिन्न अवसरों पर, सांसदों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए एमपीलैड निधि स्वीकृत करने हेतु मौजूदा दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित के अलावा कुछ संस्थानों से अनुरोध प्राप्त होते हैं। ऐसे मामले में जहां कुछ संस्थान एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के तहत कवर नहीं हैं, सांसद उनकी सहायता करने की स्थिति में नहीं होते हैं, भले ही संस्थान सहायता प्राप्त करने योग्य प्रतीत हो। समिति का विचार है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे जनता/संस्थानों/समाज के विभिन्न अनुरोधों/शिकायतों को देखें और तदनुसार उनके कल्याण और विकास के लिए परियोजनाओं/कार्यों की सिफारिश करें। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि एमपीलैड योजना के दायरे को व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि सांसद अधिक से अधिक संस्थानों की सहायता कर सकें और विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश कर सकें जिससे देश में शिक्षा प्रणाली/बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति का निर्माण सुनिश्चित हो सके। ।	जांच के दौरान, समिति ने पाया है कि विभिन्न अवसरों पर, सांसदों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए एमपीलैड फंड की मंजूरी के लिए कुछ संस्थानों से अनुरोध प्राप्त होते हैं, जो मौजूदा दिशानिर्देशों में शामिल नहीं हैं। ऐसे मामलों में, सांसद उनकी सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं, भले ही संस्थान/संगठन योग्य लगते हों। उदाहरण के लिए, समिति कुछ ए-बुलेंस प्रदाताओं से अवगत है जहां वाहनों का स्वामित्व जिला परिषदों/निगमों के पास है, फिर भी उनके रखरखाव के पहलुओं को एक गैर-लाभकारी संगठन/एनजीओ द्वारा बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जाता है। चूंकि चुने हुए प्रतिनिधियों की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक संस्थाओं/ सोसाइटियों की ऐसी शिकायतों/ व्यावहारिक कठिनाइयों को देखें, इसलिए समिति महसूस करती है कि एमपीलैड दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन किया जाए ताकि संसद सदस्य एमपीलैड योजना के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं/ कार्यों की संस्तुति कर पाएं अथवा पात्र गैर लाभकारी संगठनों/ एनजीओ की सहायता कर पाएं। समिति यह सिफारिश करती है कि एमपीलैड योजना के दायरे को व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि सांसद अधिक से अधिक संस्थानों की सहायता कर सकें / विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश कर सकें जिससे देश में शिक्षा प्रणाली/बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति का निर्माण सुनिश्चित हो सके। ।